राजस्थान विधान सभा की कार्यवाही का वृत्तान्त

अंक ३] तृतीय विधान सभा के तृतीय सत्र, १९६३ का ३२ वां दिवस [संख्या २५

मंगलवार, दिनांक ३० मार्च, १९६३

विधान सभा की बैठक म. पू. ११.२१ बजे विधान सभा भवन, जयपुर, में प्रारम्भ हुई।

(श्री रामनिवास मिर्धा, अध्यक्ष, पदासीन)

राजस्थान कन्डीशन्स ऑफ डिटेन्शन (डिफेन्स ऑफ इन्डिया) आर्डर, १९६२

(सदन की मेज पर रखना)

श्री अध्यक्ष : सदन की मेज पर रखे जाने वाले पत्र।

श्री मथुरादास माथुर (गृह मंत्री) : अध्यक्ष महोदय, में होम 'ए' विभाग की अधिसूचना संख्या एफ ७ (५) होम (ए. ग्री. ग्रार.) ६२ दिनांक २६ दिसम्बर, १९६२ को जिसके द्वारा राजस्थान कन्डीशन्स ग्रॉफ डिटेन्शन (डिफेन्स ग्रॉफ इंडिया) ग्रॉर्डर, १९६२ (राजस्थान कन्डीशन्स ग्रॉफ डिटेन्शन (डिफेन्स ग्रॉफ इंडिया), १९६२ ग्रॉर्डर प्रकाशित किया गया है, सदन की मेज पर रखता हूं।

ग्राम कुडू-कोट (जिला भीलवाडा) में चार व्यक्तियों की हत्या सम्बन्धी विषय पर ध्यान दिलाना

श्री अध्यक्ष : ग्रविलम्बनीय लोक महत्व के सवाल पर ध्यान दिलाना।

श्री विजयसिंह झाला (नाथद्वारा) : ग्रध्यक्ष महोदय, में ग्राम कुडू-कोट जिला भीलवाड़ा में हुई चार व्यक्तियों की हत्या की ग्रोर राजस्थान विधान सभा कार्य संचालन तथा प्रक्रिया नियमावली के नियम १३१ के ग्रन्तर्गत गृह मंत्री का ध्यान ग्राकर्षित करता हूं।

श्री मथुरादास माथुर (गृह मंत्री) : माननीय ग्रध्यक्ष महोदय, तारीख ६-३-६३ को सुबह चार बजे कुडू-कोट नामक गांव के रहने वाले मदनलाल जोशी ने पुलिस स्टेशन, भीलवाड़ा में इस ग्राशय की रिपोर्ट पेश की कि ५-६ की रात के दरम्यान श्री रघुनाथदास, उसके लड़के की ग्रौरत जसोदा, उसकी डॉटर सीता ग्रौर डॉटर-इन-लॉ सरोज-ये सबके सब रात को सोये हुए थे। रात को इन तीनों ग्रौरतों ग्रौर श्री रघुनाथदास का कत्ल हो गया। इस

(श्री मथुरादास माथुर)

सूचना के आते ही उस पर अमल किया गया और ३०२ की कार्यवाही शुरु हुई। डी. एस. पी. भीलवाड़ा मौके पर गये और लाशों को बरामद करके इनका पोस्ट मॉर्टम करवाया गया। तफतीश, माननीय अध्यक्ष महोदय, चालू है। डिप्टी. आई. जी. रेंज भी मौके पर गये और उन्होंने मौके का मुआयना किया। डी. एस. पी. क्राइम, इन्टेलीजेंस के यहां से आदमी भेजे जा रहे हैं और अभी तफतीश चालू है। मुलजिम अभी तक कोई गिरफ्तार नहीं हुआ है। क्योंकि मामला जेर तजवीज है इसलिए इस वक्त इस पर ज्यादा प्रकाश डालना मुनासिब नहीं होगा। पुलिस मुलजिमान को पकड़ने और पेश करने में पूरी जागरूक है और पुलिस के बड़े बड़े ऑफिसर्स जिले के और यहां के बड़े आफिसर्स इस काम में लगे हुए हैं। जब तफतीश पूरी हो जायगी तब प्रकाश डालना मुनासिब होगा।

श्री विजयसिंह झाला : एफ. आई. आर. किस समय मिला था और कितनी देर बाद पुलिस वहां से रवाना हुई ?

श्री मथुरादास माथुर : ६ तारीख को ४ बजे सुबह एफ. आई. आर. मिली। जबानी रिपोर्ट एक मदनलाल जोशी ने की थी और ५-६ के बीच वाकया हुआ। ६ तारीख को सुबह चार बजे रिपोर्ट मिली और मेरे ख्याल से रिपोर्ट मिलने के दो-तीन घंटे बाद पुलिस पहुंच गई।

श्री विजयसिंह झाला : एग्जेक्ट टाइम बताइये ?

श्री मथुरादास माथुर : एग्जेक्ट टाइम नहीं है। इमीजियेट लब्ज लिखा हुआ है। चार मील है वह गांव। पांच कोस है। पांच कोस जाने में समय ज्यादा लगता नहीं है। उसी समय रवाना हो गये, डी. एस. पी. सुबह पहुंच गये, वहां से लाश लाकर पोस्ट मार्टम कराया।

श्री मुरलीधर व्यास (बीकानेर) : पोस्टमार्टम की रिपोर्ट क्या है इन शख्सों की ?

श्री मथुरादास माथुर : पोस्ट मार्टम की कत्ल की रिपोर्ट है।

श्री भैरोंसिंह (किशनपोल, जयपुर) : कत्ल किससे हुआ था, यह बता सकते हैं ?

श्री मथुरादास माथुर : ब्लन्ट और शार्प वैपन से। Injuries are on hand and face.

श्री अब्दुल जब्बार (निम्बाहेड़ा) : इसके साथ माल-वाल चोरी जाने की रिपोर्ट है ?

श्री मथुरादास माथुर : लड़की के हाथ में ३०४, या २०४ (विराम) २४०) रुपये की कीमत के चांदी के या सोने के गहने, जो उसके हाथ में थे लूम वगैरह—इस तरह की चीज जो बाडी पर थीं वे गई हैं, और माल नहीं गया।

श्री विजयसिंह झाला : आप सिचुएशन बता सकते हैं, जहां मर्डर हुआ वहां की सिचुएशन ? आसपास घर थे या अकेले में घर था, जहां चोर आ गये या कुछ डकैती के लिये आये या कोई दूसरा कारण था ? उसके आसपास मकान हों, तो सिचुएशन से कुछ मालूम हो सके।

श्री मथुरादास माथुर : कारण कई हो सकते हैं। इस वक्त मामला तफतीश में है, इसलिये ज्यादा प्रकाश डालना उचित नहीं है।

Page No 3

श्री विजयसिंह झाला : मैं उस बारे में नहीं पूछना चाहता । जहां यह स्पोट है इसकी सिचुएशन बता दें ?

श्री मथुरादास माथुर : कारण कई हो सकते हैं, अदावत हो सकती है ।

श्री विजयसिंह झाला : सिचुएशन के बारे में पूछ रहा हूं ।

श्री मथुरादास माथुर : गांव के अन्दर मकान आया हुआ है । गांव के बीच में है ।

श्री विजयसिंह झाला : एग्जेक्ट बीच में हो नहीं, मगर उसके चारों तरफ मकान हैं ?

श्री मथुरादास माथुर : गांव के बीच में, हार्ट ऑफ दी विलेज में नहीं है । आसपास मकान हैं, आस पास बस्ती है ।

श्री मुरलीधर व्यास (बीकानेर) : ६ फरवरी से इन्वेस्टीगेशन जारी है । इतना समय हो गया, इतना लम्बा समय · · · · ·

श्री मथुरादास माथुर : ६ फरवरी नहीं है, छः मार्च है ।

श्री मुरलीधर व्यास : ६ मार्च को घटना हो जाय, इतने दिन हो जायं और आप कहते हैं कि इन्वेस्टीगेशन जारी है । मसला इतना महत्वपूर्ण है और इन्वेस्टीगेशन जारी है ।

श्री मथुरादास माथुर : मैं निवेदन कर रहा हूं कि हम पूरी तरह जागरूक हैं और जितनी जल्दी हो सकती है, उसके लिए मैंने पर्सनली इस केस के बारे में, जब से वायरलैस से सूचना आई है, ८ तारीख को, ७ तारीख को पर्सनली दिलचस्पी लेकर एस. पी. से टेलीफोन से कई दफा बात की है । एस. पी. क्राइम्स के यहां से एक्सपर्ट्स भेजे जा रहे हैं जो वहां जाकर और काम करेंगे । पुलिस के जितने इन्वेस्टीगेशन के मैथड्स होते हैं मौके पर करने के, उसके लिए क्राइम्स के लोग जा रहे हैं । जब मुलिजिमों को पकड लेंगे तब रिपोर्ट कर देंगे । बहुत से खून के दाग पडे हुए थे, उस खून की केमिकल जांच होगी ।

श्री अध्यक्ष : जो डिटेल्स हैं उसके बारे में नहीं पूछा ।

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा (रायसिहनगर) : यह बडी अच्छी बात है, आप बधाई के पात्र हैं । आप पूरा प्रयत्न कर रहे हैं और बडे प्रोपर कदम आपने लिये हैं ।

प्रश्न यह है कि ६ मार्च को यह वाकया हुआ, पुलिस इसके रीजन्स क्या एट्रीब्यूट करती है, क्या पपंज था, क्या डेकोइटी के लिए मर्डर किया गया या पर्सनल ग्रीवान्स के लिए किया गया, उसके क्या कारण हैं ? इन्वेस्टीगेशन करने लगे हैं, लेकिन इस तरह का कमिट नहीं किया कि मर्डर के रीजन्स क्या थे ?

श्री मथुरादास माथुर : इस वक्त मर्डर के बारे में ये सब बातें बताना मुनासिब नहीं होगा, क्योंकि मामला जेर तफतीश है ।

श्री मुरलीधर व्यास : आप कारण नहीं बता सकते, लेकिन आपने कितना इस तरफ इन्टरेस्ट लिया, उस पर भी आपने स्पोट की सिचुएशन के बारे में यह जवाब दिया कि आपको पूरा मालूम नहीं है । इसका मतलब यह है कि आप कितने उत्सुक हैं और किस प्रकार की कार्यवाही हुई है, यह स्पष्ट हो गया है ।

श्री मथुरादास माथुर : मेरी तफतीश कारगर नहीं है, क्योंकि में मौके पर नहीं गया। मैंने यह नहीं कहा कि में तफतीश करने वाला हूं। में पूछता रहा हूं यहां पर रह कर। अब उस मकान का दरवाजा किस तरफ है, खिड़की कितनी हैं, इस तरह की जिरह करें तो यह मेरा काम नहीं है। मकान आबादी के अन्दर है या अलग है, यह में रिपोर्ट के आधार पर कह सकता हूं। इससे पहले कहना मुनासिब नहीं होगा। जब तफतीश पूरी हो जायगी उस समय में सदन के सामने रख दूंगा।

श्री भैरोंसिंह : क्या यह सही है कि चोरी के मामलों में एस. आई. की इन्वेस्टीगेशन की रेस्पोन्सिबिलिटी होती है और अगर बरामदगी नहीं होती है तो उसकी तनख्वाह बन्द कर दी जाती है या इन्क्रीमेंट बन्द कर दिये जाते हैं ? यह इस तरह का मामला है, इसके अन्दर आवश्यक है कि जिनके द्वारा तफतीश होती है उन पर जिम्मेदारी डालने की कोई व्यवस्था करें।

श्री अध्यक्ष : तनख्वाह बन्द होती हो, ऐसा कोई नियम नहीं है।

श्री मथुरादास माथुर: ऐसा कायदा नहीं है।

श्री भैरोंसिंह : किया जाता है।

श्री मथुरादास माथुर : इस जमाने में नहीं होता है, जब आप थानेदार थे उस वक्त होता होगा।

श्री भैरोंसिंह : आप चाहें तो में ऐसे केसेज बता दूंगा।

श्री मथुरादास माथुर : आप थानेदार थे उस वक्त होता था।

श्री भैरोंसिंह : आज के जमाने के मामले हैं जिनमें रोक दिया जाता है।

आज के जमाने में प्रमोशन के मामलों में रेकॉर्ड वगैरह देखे जाते हैं और उस रेकॉर्ड के बेसिस पर लोगों के प्रमोशन्स रोक दिये जाते हैं।

श्री मथुरादास माथुर : प्रमोशन के मामलों में अगर किसी का रेकॉर्ड खराब हो तो उसकी एन्ट्री कॉन्फिडेन्शल रोल में लिख देते हैं। लेकिन अब इस समय में किसी की तनख्वाह नहीं रोकी जा सकती है। जिस समय आप थानेदार थे उस समय यह धान्धली चलती थी। आज डेमोक्रेसी में इस प्रकार की धान्धली नहीं चल सकती और किसी की तनख्वाह नहीं रोकी जा सकती है।

एक माननीय सदस्य : अध्यक्ष महोदय, तेजी से कत्लों की संख्या दिनों दिन बढती जा रही है; जैसे मांडल तहसील में भी कत्ल हुआ था मगर उसका भी कोई ट्रेस पुलिस नहीं लगा पाई है।

श्री मथुरादास माथुर : में नहीं कह सकता इस संबंध में लेकिन, में यह जरूर कहूंगा कि पुलिस द्वारा कोशिश पूरी पूरी की जाती है और की जावेगी। में यह नहीं कहता कि पुलिस का सेन्ट परसेन्ट रेकॉर्ड इस प्रकार के मामलों में रहा है, मगर पुलिस पूरी कोशिश करती है इस प्रकार के मामलों में।

श्री विजयसिंह झाला : अध्यक्ष महोदय, चार-चार आदमियों का कत्ल होता है और उसके लिये माननीय मंत्री यह फरमाते हैं। में माननीय मंत्री महोदय से कम से कम आश्वासन तो चाहूंगा कि वे आश्वासन तो दें।

(११.३१ म. पू.)

विधेयकों को विचारार्थ लेने संबंधी व्यवस्था

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्यों को सूचित है कि आज तीन विधेयकों पर विचार करना है। (१) राजस्थान सेल्स ऑफ मोटर स्पिरिट टैक्सेशन (संशोधन) विधेयक, १९६३, (२) राजस्थान होम गार्ड स विधेयक, १९६३ और (३) राजस्थान नगरपालिका (संशोधन) विधेयक, १९६३। तो पिछले दो विधेयकों को पहले ले लिया जावे तो ठीक रहेगा क्योंकि इनमें ज्यादा विवाद नहीं है और होम गार्ड्स बिल पीछे ले लिया जावे।

श्री मुरलीधर व्यास (बीकानेर) : अध्यक्ष महोदय, हम तो जिस सीरीज़ में बिल एजेन्डा में रखे हैं उसी हिसाब से तैयारी करके आये हैं।

श्री अध्यक्ष : और किस तरह से तैयारी करते ? किसी किसी बात पर तो सहमत हो जाया करें।

राजस्थान सेल्स ऑफ मोटर स्पिरिट टैक्सेशन (संशोधन) विधेयक, १९६३

(विचार-विमर्श एवं पारित)

श्री बालकृष्ण कौल (वित्त मंत्री) : अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि राजस्थान सेल्स ऑफ मोटर स्पिरिट टैक्सेशन (संशोधन) विधेयक, १९६३ को विचारार्थ लिया जाय।

श्री अध्यक्ष : प्रश्न यह है कि राजस्थान सेल्स ऑफ मोटर स्पिरिट टैक्सेशन (संशोधन) विधेयक, १९६३ को विचारार्थ लिया जाय ?

(स्वीकृत)

प्रस्ताव स्वीकार किया गया।

श्री बालकृष्ण कौल (वित्त मंत्री) : अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि इसको पारित किया जाय।

श्री अध्यक्ष : प्रश्न यह है कि राजस्थान सेल्स ऑफ मोटर स्पिरिट टैक्सेशन (संशोधन) विधेयक, १९६३ को पारित किया जाय ?

(स्वीकृत)

विधेयक पारित हुआ।

राजस्थान नगरपालिका (संशोधन) विधेयक, १९६३

(विचार-विमर्श एवं पारित)

श्री मथुरादास माथुर (गृह मंत्री) : अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि राजस्थान नगरपालिका (संशोधन) विधेयक, १९६३ को विचारार्थ लिया जाय।

श्री अध्यक्ष : प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल।

(अनुपस्थित)

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा।

श्री मुरलीधर व्यास (बीकानेर) : अध्यक्ष महोदय, वे इस हिसाब से नहीं आये हैं कि जिस समय यह बिल लिये जायेंगे वे यहां पहुंच जायेंगे।

श्री ज्वालाप्रसाद शर्मा (नसीराबाद) : Point of clarification, Sir. यह जो ऑर्डिनेन्स निकाला था उसमें एक प्रश्न उठा था कि रूल्स बन कर नहीं आये हैं। क्या अब भी सरकार जब कि दूसरा बिल प्रस्तुत

(श्री ज्वालाप्रसाद शर्मा)

हो रहा है इसको जरूरी समझती है ? मैं समझता हूं कि जब दूसरा बिल आ रहा है तो उसकी लाइट में इसको आप वापिस ले लें तो अच्छी बात होगी।

श्री मथुरादास माथुर (गृह मंत्री) : अब इसके रूल्स बना दिये हैं। रूल्स के बनने में देरी अवश्य हुई है यह मैं मानता हूं। मगर देर हुई उसको दुरुस्त करने को सदन पसन्द करना चाहेगा या उसको बिल्कुल गुलेटिन करना ? मैं समझता हूं कि इसको गुलेटिन करना सदन पसन्द नहीं करेगा। इसलिये मेरा निवदन है कि देर हुई है और चूंकि अब रूल्स बन गये हैं, अच्छा प्रावधान है जिससे अरबन एरिया वालों को भी एमर्जेन्सी में या नेशनल केलेमिटी के समय वॉलन्टियरी फोर्स में भर्ती होकर सर्विस जनता की व देश की करने का मौका मिलेगा और खास तौर से अरबन एरियाज को कहीं न कहीं काम करने का अवसर अवश्य मिलना चाहिये, जिससे वे देश के हित में काम कर सकें। इस हिसाब से रूल्स बनाये गये हैं। अब आप कानून बना दें।

श्री ज्वालाप्रसाद शर्मा : सदन यह जानना चाहेगा कि आयन्दा इस तरह के ऑर्डिनेन्स की जरूरत नहीं हो तो नहीं निकाले जायेंगे।

श्री मथुरादास माथुर : यह तो हम मंजूर करते हैं कि ऑर्डिनेन्स तभी निकाले जाते हैं जब हमें किसी लेजिस्लेशन को इमीजियेटली फोर्स में लाना होता है और उस समय एसेम्बली का अधिवेशन नहीं होता हो। मौजूदा एमर्जेन्सी के समय इसकी आवश्यकता थी और उसका टेम्पो उन दिनों मे बहुत जोरों से था। आज हमने रूल्स भी बना दिये हैं। अध्यक्ष महोदय, रूल्स बन जाने के बाद अब आपके सामने आया है इसलिये इसको पास करना चाहिये। यह बात सही है कि पहले पीपुल्स टेम्पों था उसमें कुछ डिक्रीज़ अवश्य हुआ है। इस बात का हमें खेद है जिस समय ऑर्डिनेन्स बनाया गया था उस समय इसकी इम्पोर्टेन्स थी। आयन्दा के लिये भी अगर यह पास हो जावेगा तो सभी लोगों को, चाहे वे शहरों में रहते हों या गांवों में, उनको देश की सुरक्षा में भाग लेने का मौका मिलेगा।

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा (रायसिंहनगर) : [संशोधन इस प्रकार है:–"विधेयक जन-मत जानने हेतु प्रसारित किया जावे"] अध्यक्ष महोदय, राजस्थान म्युनिसिपल (एमेन्डमेन्ट) ऑर्डिनेन्स ४ अक्टूबर को पास हुआ। बोर्ड के जो प्राइमरी और सेकन्डरी फंक्शन्स हैं उनमें से एक फंक्शन और कायम किया गया, वह है नगर में वॉलेन्टियर फोर्स कायम करने के लिये। जब देश पर आक्रमण हुआ और सारे देश में इमर्जेन्सी की स्थिति पैदा हुई तो देश में एकता का जन्म हुआ, और जन-शक्ति का जन्म हुआ। सरकार के लिये परम कर्त्तव्य यह हो गया कि वह जन-शक्ति को ऑर्गेनाइज करे और इस शक्ति का उपयोग ले। राजस्थान में भी इसके लिये प्रयत्न किया गया और इसके लिय राजस्थान सरकार ने एक बडी धन-राशि का प्रावधान किया और ६० हजार सिविल डिफेन्स के लिये व्यक्तियों को ट्रेन्ड करने का प्रावधान किया गया। इस संबंध में १॥ हजार ऑफिसर्स ट्रेन्ड होकर सैकन्ड क्लास सर्वेन्ट्स को ट्रेनिंग दे रहे हैं। इस प्रकार का कार्य किया है। म्युनिसिपैलिटी में इस कार्य को प्रारंभ करने के लिये सरका

Page No 7

(श्री योगेन्द्रनाथ हाण्डा)

यह बिल लाई है । जहां तक इस बिल की मंशा है मौजूदा स्थिति को देखते हुए यह ठीक है और मैं इसका समर्थन करता हूं और चाहता हूं कि इसका प्रावधान होना चाहिये । मगर साथ ही साथ यह भी निवेदन करूंगा कि इसका भार म्युनिसिपल एक्सचेकर पर न पड़ना चाहिये, क्योंकि म्युनिसिपैलिटीज़ की जो हालत है उसका अवलोकन किया जावे तो आपको मालूम होगा कि ये संस्थाएं अपनी प्राइमरी फंक्शन्स और ड्यूटीज हैं उनको भी पूरा नहीं कर पा रही हैं । सफाई, यूरिनल्स, स्लम क्लियरेंस, गलियों की सफाई—जो इनके प्राइमरी फंक्शन्स हैं वे भी राजस्थान की म्युनिसिपैलिटीज़ पर दृष्टिपात करें तो इनको भी म्युनिसिपैलिटीज का एक्सचेकर मीट नहीं कर पा रहा है । जयपुर की म्युनिसिपैलिटी, जो राजस्थान की राजधानी की म्युनिसिपैलिटी है, वह बड़ी दयनीय और दुर्लक्ष्यपूर्ण स्थिति में से गुजर रही है ।

यह सही है कि गांव गांव में इस तरह के फोर्सेज ऑर्गेनाइज़ करने की आवश्यकता है और उनको ट्रेनिंग देने की आवश्यकता है । ऑग्ज़िलेयरी फोर्सेज के रूप में, वॉलन्टियर ऑर्गेनाइजेशन के रूप में ट्रेनिंग देने की आवश्यकता है । सिविल डिफेन्स ट्रेनिंग के रूप में, नर्सिंग ट्रेनिंग के रूप में, रेड क्रोस की ट्रेनिंग के रूप में, इनकी ट्रेनिंग हो, चाहे वह एयर अटेक से बचने के सवाल को लेकर हो, हमें इन सारे अंकों की पूर्ति करनी है और जिस तरह राष्ट्र के लोग सचेत हुए हैं, खास करके मध्यमवर्ग, किसान, मजदूर उभर कर आगे आये हैं और उन्होंने इसके लिये मांग की है । ठीक है, इसको बनाना जरूरी है, पर इस संबंध में म्युनिसिपैलिटीज को कुछ प्रावधान देना भी जरूरी है । अगर इस तरह के वॉलन्टियर्स की ट्रेनिंग करवाते हैं म्युनिसिपैलिटीज़ से तो जिस तरह आर. ए. सी., पुलिस आदि के लिये खर्चा देते हैं उसी तरह म्युनिसिपैलिटीज़ को भी कुछ रकम प्रोवाइड करनी होगी ।

मैं इसका समर्थन करता हूं, पर इस संबंध में राशि जुटाना, एड्मिनिस्ट्रेटिव स्ट्रेक्चर बनाना, वालेन्टियर फोर्सेज को म्युनिसिपैलिटीज़ किस तरह से ऑपरेट करें, ट्रेनिंग का पैटर्न क्या हो, क्या क्या टेक्निकल असिस्टेन्ट्स सरकार से प्राप्त हों और जो ऑफिसर्स पहले डिफेन्स की ट्रेनिंग लेकर आये हैं, उनके क्या काम हैं, इन सब बातों के बारे में विचार करके निर्णय लेने की आवश्यकता है । तो ऐसे हालात में यह बिल एक दफा अगर सिलेक्ट कमेटी में जाय और वहां पर इन सब बातों के बारे में अच्छी तरह सोच सकें तो अच्छा रहेगा । अगर यों ही जल्दबाजी में इसे यहां ले लिया गया तो जितना इफेक्टिव इसे बनाने की आवश्यकता है उतनी शायद नहीं बना सकेंगे ।

इसलिये यही सजेशन देते हुए अपना स्थान ग्रहण करता हूं ।

श्री अध्यक्ष : श्री भैरोंसिंह ।

श्री भैरोंसिंह (किशनपोल, जयपुर): माननीय अध्यक्ष महोदय, राजस्थान नगरपालिका अधिनियम में इस संशोधन विधेयक के द्वारा यह व्यवस्था की जा रही है कि नगरपालिकाएं भी सिविल डिफेन्स के लिये वॉलन्टियर फोर्स कायम कर सकती हैं । यह वॉलन्टियर फोर्स जहां तक क्रियेट करने

(श्रीभैरोंसिंह)

का प्रश्न आता है, इसका तो कोई विरोध किसी भी प्रकार से नहीं किया जा सकता। माननीय गृह मंत्रीजी ने जिस प्रकार से स्वीकार किया है कि देश के ऊपर जिस समय आक्रमण हुआ था उस समय जिस प्रकार की एमर्जेन्सी थी, जिस प्रकार का वातावरण बना था, वह वातावरण धीरे धीरे उस प्रकार का नहीं रहा; लेकिन फिर भी पिछले दिनों में इस प्रकार के संकेत मिलते हैं कि चीन की सरकार हमारी सीमाओं के ऊपर अपनी सामरिक शक्ति को तैयार कर रही है और उस साम्यवादी चीन से कभी भी इस बात की अपेक्षा नहीं की जा सकती कि हमने जो भी शान्ति के प्रयत्न किये हैं, उनको ठुकरा कर वह अपने देश के ऊपर आक्रमण नहीं करेगा। इसलिये जहां तक एमर्जेन्सी का प्रश्न आता है इस एमर्जेन्सी में चाहे वातावरण में किसी प्रकार की कमी आई हो पर इसके संभावित खतरे से जो स्थिति बन सकती है उसको हम नजरअंदाज नहीं कर सकते। अब उन हालात के अन्दर हम उन सारे इस प्रकार के वातावरण को कैसे काबू कर सकते हैं, इसका तो प्रत्यक्ष ज्ञान उन क्षेत्रों में तो अब तक हो गया है जिन पर चीनी-साम्यवादी चीन के आक्रमण का प्रत्यक्ष रूप से कुछ प्रभाव पडा है, लेकिन जो अभी बहुत दूर हैं उनको शायद इसका पूर्णतया आभास नहीं हो पाया है। इस हालत में, एमर्जेन्सी के वातावरण में, जब कमी नजर आती है तो ऐसा लगता है कि हमारी सरकार की ढिलाई के कारण जन-मानस में जो तैयारी की भावना रहनी चाहिये थी वह नहीं रह पाई है।

अब इस हालत में वॉलन्टियर फोर्स तैयार करने की व्यवस्था कर रही है। आज हम राजस्थान होम गार्ड्स विधेयक पर भी विचार करेंगे, जो राजस्थान में होम गार्ड्स की व्यवस्था करने के लिये पर्याप्त हो। इसमें नगरपालिकाएं भी कवर होती हैं; पंचायत समितियां, पंचायतें भी इससे कवर होती हैं। कहना यह चाहिये कि राजस्थान का कोई हिस्सा ऐसा नहीं है जो राजस्थान होम गार्ड्स विधेयक के द्वारा प्रभावित नहीं हो या होम गार्ड्स की व्यवस्था इससे वहां नहीं की जा सके। फिर प्रश्न यह आता है कि नगरपालिकाओं में इस तरह वॉलन्टियर फोर्स तैयार करने की आवश्यकता किस प्रकार पूरी की जा सकती है? यह आवश्यकता, जैसा अभी रायसिहनगर से आने वाले माननीय सदस्य ने बताया कि हमें नर्सिंग की ट्रेनिंग, आग लगने पर किस तरह उससे बचा जा सकता है इसकी ट्रेनिंग और अन्य कई प्रकार की बातों की ट्रेनिंग देकर इस प्रकार का फोर्स हम तैयार कर सकते हैं। मैं समझता हूं हमारी सरकार ने पंचायत समितियों, पंचायतों के लिये अलग से कोई प्रावधान इस काम के लिये नहीं रखा है, केवल नगरपालिकाओं के लिये व्यवस्था की है और वह व्यवस्था भी अब मुझे ऐसा लगता है कि सरकार नगरपालिकाओं के क्षेत्र में होम गार्ड्स के द्वारा, जो उस पर उत्तरदायित्व आता है उससे बचने के लिये नगरपालिकाओं में इस तरह के वॉलन्टियर फोर्स तैयार करके, उस क्षेत्र को होम गार्ड्स से मिलने वाले लाभ से वंचित रखना चाहती है। सरकार की मंशा यह है कि होम गार्ड्स पर खर्चा होगा, जितने होम गार्ड्स राजस्थान में बनने चाहिये, उस अनुपात से सरकार के पास खर्चा नहीं है, उससे बचने के लिये यह तरीका निकाला है कि अलग अलग क्षेत्रों में वॉलन्टियर फोर्स बनाने की व्यवस्था करे ताकि वहां के लोग इस प्रकार के फोर्सेज के बनाने में अपनी तरफ से खर्चा करें। मैं

(श्री भैरोंसिंह)

ऐसा समझता हूं और इस सदन के माननीय सदस्य महसूस करते होंगे कि राजस्थान की नगरपालिकाएं, हमारी राजस्थान सरकार की कृपा के कारण, आर्थिक दृष्टि से इस गिरी हुई अवस्था में पहुंच गई हैं कि उनका असली स्वरूप इसी प्रकार से यदि चलता रहा तो कुछ दिनों में ही विकृत रूप लेकर हमारे सामने भयंकर स्थिति पैदा करने वाला होगा। इस प्रकार के वॉलन्टियर फोर्स तैयार करने के लिये यह मान कर चलिये कि नगरपालिकाओं को खर्चा करना पड़ेगा। नगरपालिकाएं जब खर्चा करने के लिये आज भी सरकार की मोहताज हैं, इसलिये कि जितनी आमदनी नगरपालिकाओं की थी सारी की सारी सरकार ने अपने हाथ में ले ली। सरकार ने जिन मदों से नगरपालिकायें अपनी आमदनी कर रही थीं उन मदों पर कुठाराघात करके उस आमदनी को कन्सोलिडेटेड फंड में जमा कर लेने की व्यवस्था कर दी। पिछले दिनों नगरपालिकाओं ने एन्टर्टेनमेंट टैक्स को लेने की कोशिश की, सरकार ने उसे ठुकराया। सरकार को जो एन्टर्टेनमेंट टैक्स द्वारा आमदनी हुई, तीन साल का एवरेज निकाल कर नगरपालिकाओं को उस आधार पर सहायता दी जाती रही, वह भी कोई कानून के जरिये नहीं। जिस नगरपालिका को हमारी सरकार देना उचित समझती थी उस नगरपालिका को उसने तत्काल दी और जिस नगरपालिका से उनका कुछ वैमनस्य था, जिस नगरपालिका का वे राजनैतिक दृष्टिकोण से शोषण करना चाहते थे, जिस नगरपालिका के काम में खराबियां पैदा हों, जनता में उस नगरपालिका के प्रति विश्वास पैदा हो, उन नगरपालिकाओं को एन्टर्टेनमेन्ट टैक्स की आमदनी समय पर नहीं दें और जिन नगरपालिकाओं को एन्टर्टेनमेन्ट टैक्स की आमदनी दी उसमें कमी की गई। कई नगरपालिकाओं की एन्टर्टेनमेन्ट टैक्स की आमदनी इसलिए रोक दी गई कि उनमें रकम बकाया थी, कई नगरपालिकाओं की एन्टर्टेनमेन्ट टैक्स की अमादनी इसलिये रोक दी गई कि उहोंने ग्रान्ट-इन-एड का हिसाब पेश नहीं किया, कइयों की इसलिए रोक दी गई कि ऑडिट रिपोर्ट समय पर नहीं आयी। मैं यह नही कहता कि ग्रान्ट-इन-एड का हिसाब पेश न करें, मैं यह नहीं कहता कि ऑडिट रिपोर्ट पेश न करें, लेकिन यदि यह समान व्यवहार हो तो समझ में आ सकता है। कई नगरपालिकाओं में गबन हो जाय, कई नगरपालिकाओं में ऑडिट के जरिये मिसएप्रोप्रियेशन की शिकायतें आयें, कई नगरपालिकाओं में आपको यह जानकारी आजाय कि अमुक चैयरमैन ने मिसएप्रोप्रियेशन किया है, नगरपालिका के धन का दुरूपयोग किया है, या धन को बेचा है, ऐसी नगरपालिकाओं को आप मदद देते हैं, लेकिन दूसरी तरफ उन नगरपालिकाओं को आप मदद नहीं देते जिनके लिए यह कह कर चलते हैं कि इनमें लाखों की बकाया है। अब, अध्यक्ष महोदय, एक प्रश्न पैदा होगा कि कई नगरपालिकाएं ऐसी हैं, जैसे दूसरी नगरपालिकाओं का उदाहरण नहीं देना चाहूंगा, जयपुर और कोटा, जोधपुर और बीकानेर, जितनी ये बडी बडी नगरपालिकायें हैं उनमें इलेक्ट्रिक, वाटर के लाखों रुपयों की बकाया है। यदि यह हो कि जिन लोगों में या नगरपालिकाओं में सरकार की बकाया है उनको किसी प्रकार की सहायता नहीं मिलेगी तो समझा जा सकता है। अगर समान रूप से नीति निर्धारित करके नगरपालिकाओं को सहायता न देने का कार्यक्रम दिया उसमें परिवर्तन किया जाय यह तो समझा जा

(श्री भैरोंसिंह)

सकता है लेकिन सरकार अपने डिस्क्रीशन के आधार पर जिन नगरपालिकाओं में बकाया है उनमें से कुछ को दे और कुछ को नहीं दे, यह समझ में नहीं आता और जिनको नहीं देती है उनके लिए समस्या पैदा हो रही है। नगरपालिकाओं के क्षेत्र में आने वाली जमीन को बेचने का अधिकार नगरपालिकाओं को है और जिनकी आमदनी नगरपालिकाओं में आती है। जहां दूसरे दलों की नगरपालिकायें हैं, जैसे कोटा में नगरपालिका जन संघ के हाथ में है, हमारी सरकार ने यह व्यवस्था कर दी है कि जितनी जमीन बेची जावेगी नगरपालिका की आमदनी न होकर मंडी कमेटी की होगी। कानून के अनुसार कोई हस्तक्षेप मंडी कमेटी का नहीं है। उसको सरकार का संरक्षण है और इस कारण नगरपालिका की आमदनी बेंची जा रही है। नगरपालिका को आमदनी इस प्रकार नहीं मिलती और बकाया चुक नहीं पाती और इस कारण ग्रान्ट-इन-एड नहीं मिल पाती। कई नगरपालिकाओं को ग्रान्ट-इन-एड दी जाती है जब कि उनमें बकाया है। कोटा में जन संघ की नगरपालिका है और इस कारण आपने एक पैसा भी ग्रान्ट-इन-एड का नहीं दिया। जमीन की आमदनी भी नहीं होने दी और मंडी कमेटी ने मिल कर बाला–बाला, बिना नगरपालिका को पूछे ही, जमीनों की नीलाम कर दिया। नगरपालिका कहती है कि इससे इतनी आमदनी हो सकती है, लेकिन उसकी सुनवाई नहीं हो सकती, उन नगरपालिकाओं की हो जायगी। वॉलेन्टियरी फोर्स क्रियेट करना है तो बताइये कौनसी आर्थिक स्थिति है जिनके लिए यह जिम्मेदारी डाल सकते हैं? आप कहें कि यह मेन्डेटरी नहीं है। नगरपालिका चाहे तो करे, नहीं तो न करे, एमर्जेन्सी का जहां सवाल आता है चाहे और न चाहे का सवाल नहीं आता। देश में संकट की स्थिति का सवाल आता है; हर व्यक्ति, नगरपालिका, पंचायत क्षेत्र में रहने वाले हैं, उन सब को उन फोर्सेज का निर्माण करना लाजमी होगा जिनकी जनता के संकट के निराकरण में आवश्यकता है। अब स्थिति यह है कि उन्हें ग्रान्ट-इन-एड नहीं मिलेगी, सरकारी सहायता नहीं मिलेगी, आर्थिक स्थिति उनकी पर्याप्त नहीं होगी उन क्षेत्रों में रहनेवाली जनता की नगरपालिकाओं का क्या हाल होगा? मैं निवेदन करना चाहूंगा सरकार वॉलन्टियर फोर्स क्रियेट करने के लिए, जैसा उन्होंने कहा कि इसके लिये रूल्स बनायेंगे और प्रेस्क्राइब्ड मैनर में होंगे। अच्छा यह होता कि आर्डिनेन्स के बजाय बिल आता। 'प्रेसक्राइब मैनर' क्या होगा? उसका रूप सदन में पेश किया जाता तो पता लगता। कितनी नगरपालिकायें वालन्टियर फोर्स का निर्माण करेंगी, कितने व्यक्तियों को ट्रेनिंग मिलेगी, क्या सरकार सहायता देगी, इस नाम पर पब्लिक कान्ट्रीब्यूशन या टैक्स इम्पोज किये जा सकते हैं या नहीं, इसमें कुछ नहीं है। अधिकांश नगरपालिकायें घाटे में चलती हैं। इस आवश्यक कार्य के लिये टैक्स इम्पोज करना चाहेंगी तो क्या अधिकार दिये हैं। वॉलन्टियर फोर्स के लिए कोई टैक्स इम्पोज कर सके, ऐसा प्रावधान नहीं है, तो टैक्स इम्पोज नहीं कर सकेगी। सरकार की ओर से देने के लिए प्रावधान नहीं है, नगरपालिकायें घाटे में चलती हैं, दैनिक आवश्यकताओं की पूर्ति नहीं करती हैं। यह वॉलन्टियर फोर्स निर्माण

(श्री भैरोंसिंह)

करना किसी प्रकार उचित नहीं है ? मैं इस नाते से अनुचित नहीं मानता कि इसको बनाना नहीं चाहिये। मैं उचित मानता हूं, बनाना चाहिये और तत्काल बनाना चाहिए और तत्काल बनाने के लिए जो आवश्यक सामग्री मिलनी चाहिए उसका प्रावधान इस बिल में कहीं देने को नहीं मिलता। नगरपालिका का पूरा अधिनियम देख लिया जाय, इसके लिये किस प्रकार व्यवस्था कर पायेंगे, उसका प्रावधान नहीं है। ऐसी हालत में मैं ऐसा समझता हूं कि आपने बिल पेश भी कर दिया, इस बिल का एग्जीक्यूशन हो सकेगा, इम्प्लीमेण्टेशन हो सकेगा, यह सम्भव नहीं है। इसको इम्प्लीमेंट करने के लिए कम्पलसरी करते हैं तो निश्चित रूप से वायोलेशन होगा और नगरपालिकायें इस स्थिति में नहीं आवेंगी। सबसे पहला प्रावधान करिये कि जिन नगरपालिकाओं के क्षेत्र में इस प्रकार की वालण्टियर फोर्सेज का निर्माण किया जावेगा तो इतना खर्चा सरकार बर्दाश्त करेगी, इतना खर्चा जनता बर्दाश्त करेगी और इतना खर्चा नगरपालिका बर्दाश्त करेगी और उस खर्चे द्वारा फोर्सेज का निर्माण किया जायेगा। ऐसा नहीं होगा तो कानून का वहां रहने वाली जनता पर कोई असर नहीं होगा। मेरा सुझाव है कि नगरपालिकाओं को आर्थिक साधन दिये बिना इस प्रकार का प्रावधान रखना उचित नहीं है, कहीं उनकी आर्थिक स्थिति गम्भीर न हो जाय, बल्कि असम्भव हो जाय।

नगरपालिकाओं में होम गार्ड्स के लिए व्यवस्था की है। यह पुलिस ऑफिसर्स के अन्तर्गत होगा। ट्रेनिंग पुलिस अधिकारी देंगे। ट्रेनिंग पीरियड होगा तो किस प्रकार स्टिपेण्ड देंगे, और बाकी की सहूलियतें प्रदान करेंगे ? इस वालण्टियर फोर्स के लिए ऐसा लगता है कि सरकार ने केवल एक शब्द इन्ट्रोड्यूस किया है, कोई प्रावधान नहीं है, नगरपालिकायें एस. पी. को यह कह सके कि अमुक ट्रेनिंग देने के लिए आवश्यकता है। सूबेदार, जमादार के बजाय, लोगों को ट्रेनिंग देने के लिये वह किसी डाक्टर को यह नहीं कह सकती कि नर्सिंग के काम में लेडी हैल्थ विजीटर की आवश्यकता है लीगल्ली डाक्टर ट्रेनिंग दे, उसके लिये बाध्य नहीं कर सकतीं। आखिर किस प्रकार ट्रेनिंग देंगी ? कई नगरपालिकायें ऐसी हैं जिनमें हैल्थ आफिसर नहीं हैं ? फायर ब्रिगेड नहीं होता। कई छोटी नगरपालिकायें ऐसी हैं जिनमें छोटी सी डिस्पेन्सरी रहती है लेकिन मेडीकल एड देने की व्यवस्था नहीं होती। उनके लिए आखिर क्या व्यवस्था की गई है ? किस नगरपालिका के चेयरमेन को अधिकार दे रहे हैं कि स्थानीय अधिकारियों को कह कर ट्रेनिंग देने की व्यवस्था कर सकते हैं ? (१२ मध्यान्ह)

वहां के डाक्टर के लिये कह सकते हैं, नर्सिंग की ट्रेनिंग देने के लिये कहा जा सकता है, लेकिन आखिर उसके लिये प्रावधान नहीं है। अध्यक्ष महोदय, अगर किसी नागरिक को या किसी डाक्टर को यह लिख कर दे कि तुम्हें ५० लोगों को कम्पाउण्डरी की ट्रेनिंग देनी होगी लेकिन वह कह सकता है कि मुझे इसके लिये फुरसत नहीं। इस तरह से बिना कोई प्रलोभन दिये कोई आगे आने वाला नहीं, आप चाहते हैं एमर्जेन्सी के नाम पर यह होता रहेगा लेकिन आज

Page No 12

(श्री भैरोंसिंह)

वह स्थिति नहीं है, आज वह उत्साह नहीं रहा है ।

नगरपालिका का अध्यक्ष हो या एडमिनिस्ट्रेटर हो उसको कम से कम यह अधिकार दिया जाय कि एमर्जेन्सी के मौके पर वह किसी भी अधिकारी को वालण्टियरी सर्विस देने के लिये बाध्य कर सकता है । उसकी सेवायें वालण्टियर फोर्स के लिये आवश्यक हों तो वह सक्षम अधिकारियों की सेवा ले सकता है, उनसे सहायता प्राप्त कर सकता है और जो अधिकारी सहायता नहीं देंगे उनके खिलाफ राजस्थान सर्विस रूल्स के अन्तर्गत सजा दी जा सकती है । यदि हम इस तरह के अधिकार देते हैं तो वालण्टियर फोर्स कायम करने में सहूलियत मिल सकती है । अगर ये चीजें नहीं हुई तो वालण्टियर फोर्स क्रिएट करने का सेन्स क्या रहेगा ? कौनसी वह वालण्टियर फोर्स होगी जो वालण्टियर सर्विस करेगी ? इसमें तनख्वाह देने की आवश्यकता नहीं, जो अपने आप सर्विसेज ऑफर करेंगे उनको लिया जायगा। आक्रमण के समय इस प्रकार की भावना आई थी। हम अपने आपको देश के लिये समर्पित कर दें, लेकिन वह हवा अब नहीं रही । आज इस बदले हुए वातावरण में वालण्टियरी लोगों की सर्विस लेने की कोशिश करेंगे, यह उस समय तो मिल सकती है जिस समय इस प्रकार का वातावरण हो; लेकिन आज वह एटमोस्फियर नहीं है । तो फिर 'वालण्टियर' शब्द का प्रयोग लोगों की इस समय की भावना देखते हुए कितना हो सकेगा, यह नहीं कहा जा सकता । लोग आज अपनी सर्विसेज को ऑफर करने के लिये वालण्टियरी तैयार नहीं होने वाले हैं, क्योंकि लोगों का अपने आप ऑफर करने का बैक ग्राउण्ड इस समय नहीं है । आखिर इसके लिये हमें अट्रेक्शन करना होगा । वह इस प्रकार से अट्रेक्ट करना होगा, कुछ व्यक्तियों को स्पेशल ट्रेनिंग देने के लिये स्टाइपन्ड देना होगा, लालच देना होगा, किसी प्रकार से उनको स्टाइपण्ड देना होगा । इन सब चीजों की कमी इस बिल में है । इसके अलावा तीसरा पोइण्ट हमें कोई इसमें नजर नहीं आता ।

वालन्टियर फोर्स का क्या काम होगा ? गांव में आग लग जाय, उसको किस प्रकार से बुझाई जाय, बीमारी फैल जाय, तो उसको किस प्रकार से रोका जाय । अराजकीय तत्व हों व किसी प्रकार की गडबडी करना चाहते हैं तो उनको किस प्रकार ठीक किया जाय, इन बातों का प्रबन्ध करने के लिये यह फोर्स रहेगी । वालन्टियर फोर्स के लिये ५०० व्यक्ति तैयार हो गये, इन सारी बुराइयों से लडने के लिये । इन ५०० व्यक्तियों के पास अराजकीय तत्वों से लडने के लिये लकडियां होंगी । ये लकडियां छोटी मोटी लडाई के लिये, आत्म रक्षा के लिये काम आ सकती हैं । आत्म रक्षा के लिये और भी हथियारों की उनको जरूरत होगी । आज किसी भी नगरपालिका के पास इस प्रकार के हथियार नहीं हैं । नगरपालिकायें जहां जहां हैं वहां सभी जगह पुलिस थाने हों, यह भी बात नहीं । अगर वे थाने हैं तो इस प्रकार की सहायता की कोई आवश्यकता नहीं । पुलिस अपने आप कानून के अन्तर्गत अराजकीय तत्वों से जहां तक संघर्ष करना है वह करेगी और वह उसके लिये वालन्टियर फोर्स की मदद भी कर सकती है ।

Page No 13

(श्री भैरोंसिंह)

जहां आग लग जाती है उस समय यह फोर्स क्या करेगी ? आज किसी भी नगर-पालिका के पास आग बुझाने के लिये दो, चार बाल्टियों से अधिक नहीं हैं। वे बाल्टियां भी नगरपालिका भवन की शोभा के लिये हैं। उनमें रेतें भर कर टांगी हुई दिखाई देती हैं वह इसलिये कि नगरपालिका भवन की सुन्दरता मालूम हो। इस भवन को देखते हुए कोई यह कह सके कि कितने जागरूक हैं; हमारे नगरपालिका के कर्मकचारी आग बुझाने में जो पांच बाल्टियां में रेत डाल कर टांगे बैठे हैं। नगरपालिका को आग के लिये भी इन्तजाम रखना पड़ेगा। सुरक्षा की दृष्टि से और आग बुझाने की दृष्टि से, बीमारी में दवाई उपलब्ध हो सके इसलिये धन की आवश्यकता होगी। आज दवाइयां कितनी मंहगी है, यह सभी जानते हैं। आखिर बीमारी में बिना दवाई के कुछ नहीं हो सकेगा। जिस नगरपालिका के पास दवाइयां नहीं, नर्सिंग का काम सिखाने के लिये पट्टियां नहीं, उसको प्रोवाइड करने के लिये नगरपालिका के पास धन नहीं तो फिर यह वालण्टियर फोर्स किस प्रकार से काम कर सकेगी ? आखिर ट्रेनिंग के खर्चे की जिम्मेदारी कौन लेगा ? ट्रेनिंग देने के लिये बिना लालच के कौन आयेगा ? आखिर यह एमर्जेन्सी किस प्रकार लोगों को अट्रेक्ट करेगी ? गृह मंत्री महोदय ने यह देखा हो कि हम बिना वित्त मंत्री की सहायता के होम गार्ड का निर्माण नहीं कर पायगें, वैसे ही वित्तीय साधनों की कमी है तो कुछ नगरपालिका क्षेत्रों में वालण्टियर फोर्स के नाम से कुछ फोर्स भरती की जाय और जहां वालण्टियरी फोर्स नहीं वहां हम होम गार्ड्स का निर्माण करना चाहते हैं।

जहां हम होम गार्ड्स के लिये लाखों रुपया खर्च करना चाहते हैं वहां वॉलण्टियर फोर्स के लिये कुछ भी मदद न दें, यह मैं उचित नहीं मानता नगरपालिका के लोग अपने आप कन्ट्रिब्यूट करें, यह कैसे हो सकता है। जब कि होम गार्ड के लिये सरकार खर्च कर रही है ? वह भी एक प्रकार से वॉलण्टियर जोब है, वह भी वॉलण्टियर सर्विस है। दोनों में अन्तर करना चाहते हैं। इस तरह से ये दोनों साथ साथ नहीं चल सकते और जो हम काम इनके द्वारा करना चाहते हैं वह नहीं कर पायेंगे।

साम्यवादी चीन के एजेण्ट बैठे हुए हैं। वे हर प्रकार की खबर देने बैठे हैं।

श्री गिरधारीलाल व्यास (आसीन्द) : व कौन हैं ?

श्री भैरोंसिंह : जो जेलों में बैठे हैं। हो सकता है कुछ बाहर भी हों।

एक माननीय सदस्य : बाहर कौन कौन हैं?

श्री भैरोंसिंह : इस बारे में मैं कुछ नहीं कह सकता। मैं निवेदन यह कर रहा था, अध्यक्ष महोदय, कि हमें सतर्कता रखने की आवश्यकता है। अराजकीय तत्व जो गांवों मे फैले हुए हैं वे ऐसे समय में आग लगाने में संकोच नहीं करेंगे, सरकार के खिलाफ बगावत फैलाने में संकोच नहीं करेंगे। वे यही चाहते हैं कि सरकार के प्रति लोगों को भड़काया जाय और शांति का शासन समाप्त किया जाय। यह स्थिति आ सकती है। उस स्थिति में इस प्रकार से होम गार्ड्स् या वॉलण्टियर फोर्स का कार्य कहां तक उचित रहेगा कि जब कि चीन के एजेण्ट

Page No 14

(श्री भैरोंसिंह)

हिन्दुस्तान में जम कर बैठे हैं ? आप वॉलण्टियर फोर्स का निर्माण करना चाहें, उसमें मुझे कोई आपत्ति नहीं, आप उसके लिये कितना ही खर्च करें मुझे आपत्ति नहीं; लेकिन जिस प्रकार से वॉलण्टियर फोर्स बनाना चाहते हैं उससे आपका मतलब पूरा नहीं होगा । आप इसको मतलब का बनाने की चेष्टा कीजिये । मैंने जो सुझाव रखे हैं गृह मंत्री महोदय उन पर अवश्य विचार करेंगे ।

श्री मुरलीधर व्यास (बीकानेर) : अभी जो विचार जयपुर से आने वाले माननीय सदस्य ने रखे हैं, मैं समझता हूं, ये दोनों आर्डिनेन्स होम गार्ड का और म्युनिसिपैलिटी के स्वयंसेवक दल का नवम्बर–दिसम्बर में प्रस्तुत हुए । उस समय ऐसी परिस्थिति थी कि हमारे देश पर चीन का हमला था और हम यह समझते थे कि ऐसी परिस्थिति में देश का हर शहर, हर गांव इनमें हिस्सा ले और अपनी स्थानीय समस्याओं का समाधान कर सके और परिस्थितियों के अनुसार लॉ ऐण्ड आर्डर भी मेन्टेन करे ।

आज मैं जब इन दोनों को देखता हूं तो परस्पर में अन्तर पाता हूं । इसमें भी अमेन्डमेन्ट है ।

जहां तक इन दोनों को आर्गेनाइज करने का सवाल है, दोनों में कोई विशेष अन्तर नहीं पाता । उस समय तो आर्डिनेन्स जारी कर दिया, पर बाद में जब अमेन्डमेन्ट के रूप में इनको देखते हैं तो लगता है ये परस्पर विरोधी चीजें हैं ।

जहां तक स्वयंसेवक दल के संगठन का सवाल है, मैं सरकारी मंशा को जहां तक समझ पाया हूं वह यह चाहती है कि इसे जनता के चुने हुए लोग, जो स्वायत शासन संस्थाओं में हैं वे संगठित करें और चलावें । वे चलावेंगे तो जनता की भावनाओं के अनुकूल रह कर चलावेंगे । पर आज हालत यह है कि आधी म्युनिसिपैलिटियां तो ऐसी हैं जहां जनता के कोई चुने हुए प्रतिनिधि नहीं हैं, न उनका चुनाव ही हो रहा है । बीकानेर को ही अकेले को ले लें तो पहले चुनाव समाप्त हो गये, दूसरे भी समाप्त हो गये, तीसरे चल रहे हैं, छः साल हो गये, वहां म्युनिसिपैलिटी का चुनाव ही नहीं हुआ । तो इस तरह की काफी जगह परिस्थितियां हैं । तो जब आपका दृष्टिकोण इसके आर्गेनाइजेशन में यह है कि वे जनता के प्रतिनिधियों के द्वारा आर्गेनाइज हों तो आपको दूसरी तरफ भी सोचना चाहिये और इनके चुनाव कराने चाहिए ।

अब मैं यह अर्ज करना चाहता हूं कि जिस प्रकार जयपुर से आने वाले माननीय सदस्य ने कहा कि स्वयंसेवक दल के सारे फंक्शन्स भी होम गार्ड सरीखे हैं । पर वैसे इन दोनों में बडा फर्क समझते हैं । होम गार्ड एक प्रकार से ऊपर से लादी हुई आर्गेनाइजेशन है डेमोक्रेटिक तरीके की नहीं है । तो इस में भी बहुत सी खामियां हैं । वे कैसे दूर होंगी ये तो जब उस पर सोचने का समय आवेगा तब सोचेंगे, पर जैसा इस संशोधन का संबंध है और जैसी भावना इसमें है वह होम गार्ड में भी होनी चाहिये, क्योंकि दोनों परस्पर सम्बन्धित हैं ।

आज जो अन्तर्राष्ट्रीय परिस्थितियां हमारे सामने हैं वे नवम्बर, दिसम्बर के

(श्री मुरलीधर व्यास)

महीनों से कम नहीं हूं। मैं आज भी ऐसा समझता हूं कि जो परिस्थितियां पहले थीं वे आज के कुछ दिन बाद हो जावें। इस बारे में मेरा दिमाग साफ है। हमें इस दृष्टिकोण से जागरूक रहना है और इसके लिये हमें हर तरफ से तैयार रहना है, तैयारी करनी है। अब वह तैयारी क्या हो सकती है, क्या नहीं ? मैं समझता हूं कि एक ही होम गार्ड का फंक्शन इस प्रकार से वैल आर्गेनाइज्ड हो जावे कि जिसका सैट-अप डेमोक्रेटिक हो और थोड़ा यही इस प्रकार का बन जावे कि जिससे डिसिप्लिन रह सके और डेमोक्रेटिक फंक्शन भी रह सके। लोगों का विचार है कि यही होम गार्ड के फंक्शन इन स्वयंसेवक दल में भी आ जावें तो अच्छा है और जैसा जयपुर से आनेवालों ने कहा है कि आपको इसके लिये सारी सुविधाएं, सारी चीजें देनी होंगी और अगर वे नहीं हैं तो आपकी सारी योजनाएं कागजों में ही रहेंगी, तो उन परिस्थितियों को भी स्पष्ट करिये, जिनमें म्युनिसिपैलिटीज के जरिये आप कराना चाहते हैं, उनमें भी होम गार्ड जितनी ही सहूलियतें देंगे और इनमें परस्पर सम्बन्ध जोड़ा जायगा। आप इनमें सम्बन्ध नहीं जोड़ेंगे तो दोनों परस्पर विरोधी चीजें होंगी और बिना सोचे विचारे करेंगे तो मैं क्या कहूं ? अगर इसे दिवालियापन कहूं समझ का तो आप कहेंगे यह बुरा लगता है, तो इसके सिवाय दूसरा शब्द नहीं मिलता। इसलिये इन दोनों में परस्पर सम्बन्ध बना रहे, इस पर आप गम्भीरता से सोचेंगे और इसके लिये यों तो इतना कम से कम सम्बन्ध जोड़ा देंगे कि होम गार्ड की देखरेख में ये भी चलेंगे और इनको भी वे की वे सुविधाएं देंगे जो होम गार्ड वालों को आप देंगे।

जैसे होम गार्ड बम्बई में है। वहां ऐसा है वह जो स्थायी रूप से चलती है। ४६ में जिस समय आपस में झगडे हुए तो उसका आर्गेनाइजेशन हुआ और उसने काफी अच्छा काम किया। इस दृष्टिकोण से अगर इनका संगठन होगा तो वे वहां की परिस्थितियों को सम्भाल सकेंगे। फिर भी अगर स्वयंसेवक दल को म्युनिसिपैलिटी को देना चाहते हैं तो इसमें 'कलेक्टर' शब्द जोड दीजिये, नहीं तो यह हो नहीं सकेगा, इसका अर्थ बिल्कुल नहीं रहेगा।

श्री कुमारानन्द (ब्यावर) : On a point of Order, Sir, मैंने सुना है यहां ऐसा सवाल भी उठा है कि हिन्दुस्तान में चीन के भी एजेन्ट हैं। मैं माननीय गृहमंत्रीजी से पूछना चाहता हूं, उनसे इसका जवाब चाहता हूं कि वे बतावें कौन हैं चीन के एजेन्ट व जिन्होंने कृष्णामेनन को हटवाने के बाद नेहरू को हटाने का षड्यन्त्र किया था और जो हिन्दुस्तान को इस मौके का फायदा उठाकर राज यहां का उलट कर प्रतिक्रियावादी अमेरिका की गोद में इस देश को ले जाना चाहते थे; वे लोग कौन हैं, यह गृहमंत्रीजी साफ साफ जवाब दें तो अच्छा होगा।

जहां तक काम्युनिस्ट पार्टी का सवाल है मैं कम्युनिस्ट पार्टी की तरफ से साफ कहना चाहता हूं कि देश की आजादी की सबसे अगली पंक्ति में काम्युनिस्ट हैं।

श्री विजयसिंह झाला (नाथद्वारा) : मैं इसका जवाब एक मिनट में देना चाहता हूं। हमारे नेताजी ने इसको उठाया था.....

श्री अध्यक्ष : वे जवाब तो होम मिनिस्टर से मांग रहे हैं।

श्री **विजयसिंह झाला** : चीन के एजेन्ट देश में फैले हुए हैं, सदन में बैठे हैं।

श्री मोतीलाल चौधरी (डीडवाना) : माननीय अध्यक्ष, म्युनिसिपल एक्ट में संशोधन एड करने के लिये एक प्रस्ताव हमारे सामने है। मेरे पहले माननीय सदस्य ने अपने विचार इस पर रखे। मैं इस बात के पक्ष में हूं कि वालन्टियर कोर होनी चाहिये; बल्कि मेरी तो यह शिकायत रही है इस सरकार से कि इसे बनाने में इतनी देर क्यों की गई जब कि गांवों में, पंचायत क्षेत्र में वालेन्टियर कोरें तैयार हो चुकी हैं, उनके मुखियाओं की ट्रेनिंग हो रही है और इसके लिए पंचायतों की तरफ से व्यवस्था हो रही है और इसके बाद सरकार ने यहां भी प्रस्ताव रखा तो ये दो नीतियां क्यों अपनाई, एमर्जेन्सी में काम लेने में ढील क्यों की ?

माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं स्पष्ट मान कर चलता हूं कि एमर्जेन्सी के समय जो कई घटनायें घटती हैं उनका प्रभाव शहरों में जल्दी पड़ता है और गांवों की जनता में अफवाह बहुत देर में फैलती है। एमर्जेन्सी के अन्दर उनका काम इतना कम रहता है उतना ही अधिक शहरों में रहता है। शहरों के अन्दर एमर्जेन्सी के अन्दर कई तरह के काम होते हैं। वॉलन्टियर फोर्स का काम केवल इतना ही नहीं है कि अगर कहीं आग लग गयी है तो उससे प्रोटेक्शन दे या हॉस्पीटल की ट्रेनिंग लें; बल्कि अफवाह फैलाने वाले, जन-मानस के अन्दर एमर्जेन्सी की वैल्यू को गिराने के लिए जो षड़यंत्र रत रहते हैं उनकी भी जानकारी देने का एक तरह का काम है। इसलिए वॉलन्टियर फोर्स म्यूनिसिपैलिटी एरिया में इतनी महत्वपूर्ण है....

श्री मुरलीधर व्यास (बीकानेर) : अध्यक्ष महोदय, यह जो माननीय सदस्य ने एक बात कही उसके लिए मुझे थोड़ा सा एतराज है। वह यह है कि कुछ माननीय सदस्य एमर्जेन्सी की वैल्यू को गिराना चाहते हैं। मैं समझता हूं कि यह सदस्यों के ऊपर एक प्रकार का आरोप है। कोई ऐसा नहीं सोच सकता। ये शब्द आपने कैसे कहे ? इसलिए मैं अर्ज करना चाहता हूं कि वह बतायें कि उनकी भावना क्या है, कौन गिराना चाहता है, कौन नहीं ? तो मैं इस पर एतराज करता हूं। इसको कोई गिराना नहीं चाहता।

श्री मोतीलाल चौधरी : मैं ऐसा नहीं कह रहा था। मैं यही कह रहा था कि वॉलन्टियर फोर्स शहरों में होनी चाहिए। जब आप बोल रहे थे तो मैं आपके बीच में नहीं आया था। आपका तो स्वभाव पड़ गया है। मैं बोल रहा हूं, I am in Possession of the House

श्री अध्यक्ष : किसी माननीय सदस्य के लिए ऐसी बात कही गयी हो वह बात नहीं है।

श्री मोतीलाल चौधरी: मैंने ऐसा कहा है कि एमर्जेन्सी के समय शहरों के अन्दर एमर्जेन्सी के संबंध में अफवाह पैदा करके एमर्जेन्सी को गलत तरीके से मोड़ने की कोशिश करते हैं। मैं यह स्पष्ट मानकर चलता हूं कि एमर्जेन्सी के समय में गांवों के अन्दर झूठा प्रचार पहुंचता है तो वह शहरों से पहुंचता है। जो माननीय सदस्य बीकानेर से आये हुए हैं

(श्री मोतीलाल चौधरी)

उन्होंने आपत्ति उठाई, मैं कहूं तो अत्योक्ति नहीं होगी कि शहरों के अन्दर या गांवों के अन्दर एमर्जेन्सी नहीं है, इस बात का जो प्रचार किया जा रहा है, यह इतना गलत है और कौन कर रहा है, कौन नहीं, इसका तो पता नहीं, पर इस तरह का प्रचार किया जा रहा है। मूल बात जो है वह वॉलन्टियर फोर्स की है। इसलिए मेरा निवेदन यह है कि अब तक म्यूनिसिपल एरिया के अन्दर वॉलन्टियर फोर्स के काम नहीं करने से हमारा नुकसान हुआ है और वह यह हुआ है कि जनमानस के अन्दर, अभी माननीय सदस्य जो ब्यावर से आये हैं उन्होंने बात उठाई कि कौन एजेन्ट है, कौन नहीं, इसकी जानकारी की भी जरूरत है। इसकी जानकारी सी० आई० डी० को नहीं मिल सकती, बल्कि जनता के अन्दर रहने वाले जो वॉलन्टियर काम करते हैं, जो समाचार देते हैं गतिविधियों की, उनकी जरूरत हमको है। इसलिए हमें गांव और शहर दोनों जगह ही इसकी जरूरत है। बीकानेर से आने वाले माननीय सदस्य ने एक बात रखी कि जब यह बिल पास करने जा रहे हैं तो होम गार्ड्स और वॉलन्टियर फोर्स में क्या फर्क है। होम गार्ड्स तो ओरीजिनली पार्ट हैं पुलिस का और होम गार्ड्स के जो अधिकारी होंगे उनको अधिकार होगा ड्यूटीज़ एण्ड पॉवर दोनों similar to the Police होंगी, तनख्वाह के बारे में क्या रहेगा, क्या नहीं यह अलग बात है। लेकिन जहां तक पॉवर्स एण्ड ड्यूटीज़ और फंक्शन्स का सवाल है वह सिमिलर टू दी पुलिस फोर्स होंगे, जब कि वालन्टियर फोर्स को यह पावर्स नहीं होंगी। यह सामाजिक पार्ट है और समाज की तरफ से पुलिस को हैल्प करने के लिए है। होम गार्ड्स का बिल भी सामने है और उसके खण्ड ४ व ५ पढ़ूं तो मालूम होगा कि होम गार्ड्स के अन्दर जो काम करने वाले हैं उनके कमान्डेन्ट के आर्डर्स से उनको राजस्थान के किसी भी पार्ट में भेज सकते हैं। उनको जो पावर्स हैं वे क्लाज ५ में क्लियर हैं :

"A member of the Home Guards when called out under section 4 shall have the same powers and privileges and protection as an officer of the Police appointed under any Act for the time being in force".

तो होम गार्ड्स का जहां तक सवाल आता है उनके अधिकार, प्रिविलेज, पावर्स, प्रोटेक्शन जो हैं वह आग्जिलियरी फोर्स है और वह पुलिस की है और हमारे देश के हर प्रान्त में, बोम्बे में, बंगाल में, सब जगह है। आज से नहीं, किन्तु सेकण्ड वर्ल्ड वार के अन्दर और फर्स्ट वर्ल्ड वार के अन्दर भी ऐसी फोर्सेज क्रियेट की थीं। हमने हमारे प्रान्त में डीसेन्ट्रलाइजेशन के पावर को माना है। समाज और राज्य दोनों ही जनता के हैं। समाज की तरफ से कुछ सहयोग चाहिए। प्रोडक्शन बढाने के लिए और सब कामों के लिए हमको यह वालन्टियर फोर्स चाहिए। पंच या सरपंच भी वही हैं जो देश को डेवेलप करने के लिये एक वालन्टियर के तरीके से देश के प्रोडक्शन को बढा कर और विकास को आगे ले जाने के लिए यह वालन्टियर फोर्स है। उसी तरह से हमें चाहते हैं कि पुलिस को जानकारी देने के लिये जनता के अन्दर एक अमुक व्यक्ति जो सेवा करना चाहता है वह आकर ट्रेनिंग ले और हर मोहल्ले में सचेत रहे कि कौन एक्चुअली एमर्जेन्सी के

Page No 18

(श्री मोतीलाल चौधरी)

अन्दर गडबड कर रहा है, उसकी जानकारी पुलिस को दे ।

जयपुर से आने वाले माननीय सदस्य ने पुलिस को लाठी देने की बात कही है और कहा है कि म्युनिसिपैलिटी के पास पैसे नहीं हैं। आप सब जानते हैं कि ग्राम पंचायतों के पास कौन सा पैसा है। लेकिन फिर भी हर ग्राम पंचायत ने माना है कि वहां वालेन्टियर फोर्स हो। अन्न पैदा करने के लिये, कान्ट्रि-ब्यूशन देने के लिये, मिलिट्री को खून देने के लिए गांव वाले तैयार हैं, जान देने के लिये तैयार हैं। शहर की जनता इतना सा काम भी नहीं कर सकती है। अगर एमर्जेन्सी के अन्दर गांव वालों को कोई काम आ पडता है, कहीं आग लग गई या कोई गलत प्रचार कर रहा है, कोई चीन का एजेन्ट आ गया है तो उन गांव वालों को समाचार देने के लिए नहीं आयेगा। तो मेरे ख्याल से जयपुर से आने वाले माननीय सदस्य और बीकानेर से आने वाले माननीय सदस्य हैं उनकी भावना बहुत अच्छी है, लेकिन जो उनका दृष्टिकोण था वह ऐसा मालूम पडता है कि सरकार कोई कदम शहरों के लिए ले ही नहीं। जब कि सरकार बीकानेर के लिये पानी की योजना के लिए ४ करोड़ देती है तो वह राजी है और टैक्स १ करोड़ भी नहीं देते हैं। जयपुर से आने वाले माननीय सदस्य ने कहा कि वालन्टियर फोर्स के लिए पैसा ही नहीं है। बहुत अच्छी सेवा है; बल्कि उनको तो कहना चाहिए कि एमर्जेन्सी के अन्दर जो अफवाह फैलाना चाहते हैं, काम्युनिस्ट पार्टी के अन्दर जो चीन के एजेन्ट थे जेल में हैं, और भी होंगे तो उनको भी जेल में रखेंगे। लेकिन प्रति-क्रियावादी भी एजेन्ट बन सकते हैं, वे हमारे प्लान को फेल कर सकते हैं; उनमें रुकावट पैदा कर सकते हैं, भ्रम पैदा कर सकते हैं और लोगों को गुमराह कर सकते हैं, कोई रोडे अटकायें तो वे और भी चीन के एजेन्ट हैं। एजेन्ट भी डाइरेक्ट और इन्डाइरेक्ट दोनों तरह के होते हैं। इसलिये कोई भी माननीय सदस्य कहे, किसी पार्टी के ऊपर असर पडता हो, ऐसी बात नहीं है। अगर हम राजस्थान के अन्दर जोधपुर, जयपुर, बीकानेर, अलवर, कोटा जिनके अन्दर हम देखते हैं कि समस्या बडी है वहां ये जरूर होने चाहिए। गांव वालों को ५ सेर खून देने के लिए कहें तो वे तैयार हो जाते हैं। लेकिन मैं निवेदन करना चाहूंगा कि जब हम म्युनिसिपैलिटीज के अन्दर इनको काम में लेने जा रहे हैं, मैं निवेदन करूंगा कि इसको तुरन्त लें और एक बात को ध्यान में रखें।

मेरा खुद का अनुभव है क्योंकि वालेन्टियरी फोर्स में भर्ती होने का हरेक आदमी को अधिकार होता है, लेकिन छंटनी करते समय गांव के लोगों का ध्यान रखना चाहिये। गांव के लोग सीधे-सादे होते हैं, सरकार चाहे किसी भी पार्टी की हो गांव के लोग उसके साथ वफादारी रखते हैं। शहर के लोग विचित्र होते हैं।

श्री मुरलीधर व्यास (बीकानेर) : माथुर साहब, गृह मंत्री जी भी शहर के रहने वाले हैं, इसलिये विचित्र आदमी होंगे।

श्री मोतीलाल चौधरी : आप भी बीकानेर शहर के रहने वाले हैं इसलिये विचित्र हैं।

श्री मुरलीधर व्यास : मुख्य मंत्रीजी भी उदयपुर में रहते हैं।

श्री मोतीलाल चौधरी : खास कर गृह मंत्रीजी से निवेदन है कि जिस समय वालन्टियर फोर्स बने उस समय इस बात का ध्यान रखें कि इन माननीय सदस्य की सिफारिश का कोई आदमी न आने पावे ।

एक बात की ओर और ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं, वह यह है कि टैक्स पोलिसी म्युनिसिपैलिटी के लिये ठीक नहीं है । मुझे अफसोस है, हम गांव के लोगों पर टैक्स लगाने जा रहे हैं, विकास के लिए बीसों तरह के काम कर रहे हैं लेकिन रेश्यो देखें पर-हैड एक्सपेन्डिचर, पर-केपिटा एक्सपेन्डिचर देखें तो १:१०० आता है । गांवों पर १) रु० खर्च करते हैं तो शहरों पर १००) रु० खर्च करते हैं । इस पर यह बात आती है कि म्युनिसिपैलिटीज की आर्थिक स्थिति ठीक नहीं है, इसलिये उनको टैक्स लगाने का अधिकार देना चाहिये । सरकार का जो स्पून फीडिंग सिस्टम है उसको कितने दिन तक चलायेंगे ? मैं एक–दो उदाहरण आपके सामने देना चाहता हूं ।

माउन्ट आबू की म्युनिसिपैलिटी सरकार चला रही है , वहां पर इलेक्शन नहीं हो रहे हैं, जितना खर्चा वहां पर होता है वह कर सकते हैं । लेकिन एक बात की ओर मैं सरकार का ध्यान आकर्षित करूंगा । वहां पर जितने यात्री जाते हैं उनमें से जो पैदल जाते हैं उन पर १) रु० पर-हैड टैक्स है या जो बसेज में जाते हैं उन पर भी १) रु० पर-हैड टैक्स लगाया है । लेकिन जो कार में बैठ कर जाते हैं चाहे वे हिन्दुस्तान के किसी भी हिस्से से आये हैं, उन पर टैक्स नहीं लगता . .

श्री रामानन्द अग्रवाल (अलवर) : यह तो शुरू से नीति है कांग्रेस की ।

श्री मोतीलाल चौधरी : गृह मंत्रीजी इस बात की ओर ध्यान देंगे क्योंकि आज इस बिल के इन्चार्ज वे ही हैं । आबू म्युनिसिपैलिटी का जो यात्री टैक्स है, पैदल जाते हैं उनसे १) रु० पर-हैड लेते हैं और बसेज में जाते हैं उनसे १) रुपया लेते हैं । लेकिन प्राइवेट कार्स से जाते हैं उनसे टैक्स नहीं लिया जाता है । बम्बई से अपनी कार में बैठ कर आने वाले सेठ और जयपुर से जाने वाले सेठ जो बडी बड़ी कार्स में बैठ कर आते हैं, उनसे कोई टैक्स नहीं लिया जाता है . . . . . .

श्री रामानन्द अग्रवाल : यह तो आपकी प्रणाली है ।

एक माननीय सदस्य : आप चिन्ता न करें आप तक नहीं आने देंगे ।

श्री हरिराम चौहान (तिजारा) : आत्म-बल नहीं है कहते ही कहते हैं ।

श्री मोतीलाल चौधरी : नये नये आये हैं, एक साल ही हुआ है ।

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य कहें, मर्जी आवे जो कहें लेकिन इशारा करके नहीं कहें ।

श्री मोतीलाल चौधरी: मैं यह कह रहा हूं कि सरकार को ध्यान रखना चाहिए ।

हम यदि जयपुर म्युनिसिपैलिटी को सीवर के नाले के लिये या वाटर वर्क्स के लिये या बिजली के लिये या टार रोड के लिये ५ करोड़ रु० देते हैं, जनता की सुविधा के लिये तो कितना पर्सेण्ट देते हैं, इसका ध्यान रखते हुए हम शहर वालों पर टैक्स लगावें । गांव वालों के लिये स्कूल बनाते हैं तो गांव के लोगों से १,०००) रु० के पीछे

Page No 20

(श्री मोतीलाल चौधरी)

५००) रु० लेते हैं । हाई स्कूल या कॉलेज की बिल्डिंग बनाते हैं तो गांव के आदमी बिल्डिंग तैयार कराके देते हैं । सरकार को पिछले १० सालों में कोई बिल्डिंग स्कूलों के लिये, प्राइमरी स्कूलों के लिये, यहां तक कि प्राइमरी हैल्थ सेण्टर्स के लिये भी बिल्डिंग बनाने में सरकार को कुछ खर्च नहीं करना पड़ा है । लेकिन शहर के बारे में जैसा कि जयपुर से आने वाले माननीय सदस्य ने कहा कि कोटा में जो कुछ बन रहा है उसका सारा प्लानिंग गवर्नमेंट कर रही है । वाटर स्कीम चल रही है। बिजली की स्कीम चल रही है इनमें सारा इन्वेस्टमेंट गवर्नमेंट कर रही है लेकिन उसका रिटर्न लेते समय म्युनिसिपैलिटी लेगी और आराम वहां के रहने वाले लेंगे । गांवों की जनता से टैक्स लेकर आप खर्च कर रहे हैं शहर की जनता के लिये । कोटा में गवर्नमेंट ने इन्वेस्टमेंट करने के बाद वाटर वर्क्स का जितना विकास किया उसको ट्रांसफर कर दिया म्यूनिसिपैलिटी को । लेकिन गांवों में नहरें निकालते हैं तो किसानों से बैटरमेंट टैक्स लेते हैं इस तरह से शहर के लोगों से क्यों नहीं बैरमेंट टैक्स लेते ? शहरों में रोड्स वहां के रहने वालों की सहूलियत के लिये निकालते हैं तो उनसे इसका खर्चा क्यों नहीं लेते ? जयपुर का उदाहरण मैं आपके सामने देता हूं । बनीपार्क में आपने कलेक्टोरेट ट्रांसफर किया, उससे २ दिन पहले जिस मकान का किराया २००) रु० माहवार था उसी मकान का किराया रातों रात ७००) रु० हो गया । जिस दिन हवा आई कि वेस्टर्न कमाण्ड का ऑफिस बनीपार्क में आ रहा है तो वहां के मकानों का किराया गिर गया । तो मार्केट रेट गवर्नमेंट के एक्शन्स पर निर्भर करती है । जहां पर जमीन की कीमत २०) रु० बीघा है वहां पर रोड निकाल देते हैं तो उसकी कीमत १,०००) रु० बीघा हो जाती है । बनीपार्क में बाल बियरिंग फैक्ट्री के पास जो जमीन किसी जमाने में ३०),४०) रु० बीघा से मिल सकती थी वहां आज कितनी मंहगी है । इतना ही नहीं; मैं एक बात और कहना चाहता हूं कि सरकार को इस दृष्टिकोण को सामने रखते हुए काम करना चाहिए । मैं निवेदन करना चाहता हूं, जैसा कि जयपुर से आने वाले माननीय सदस्य ने कहा कि हमको धन की व्यवस्था करनी पड़ेगी तभी वॉलण्टियरी विकास कर सकते हैं, मैं इस पक्ष में नहीं हूं । जहां ट्रेनिंग की व्यवस्था है गांव के मुखिया के लिये ट्रेनिंग की व्यवस्था है एक मुखिया एक गांव से आया है उसी तरह से शहर के हर वार्ड के लोगों के लिये ट्रेनिंग की व्यवस्था कर सकते हैं, इसके खर्चे की भी व्यवस्था कर सकते हैं वॉलेण्टियर्स के रूप में काम करने के लिये कई आदमी अपने आप आयेंगे । बहुत लोग आ सकते हैं । कई लोग ऐसे हैं जो किसी न किसी संस्था में काम करने की इच्छा रखते हैं इसलिये एमर्जेन्सी में काम करने के लिये लोग आयेंगे । मैं माननीय सदस्य, जो जयपुर से और बाहर से आये हैं, उनसे निवेदन करूं कि जिस शहर से आप आये हैं आपका फर्ज है कि वहां के नागरिकों का यह दृष्टिकोण बनावें कि होम गार्ड्स में, वॉलण्टियरी फोर्स में लोग स्वेच्छा से आवें और उन पर जो खर्चा हो वह वहां की म्युनिसिपैलिटी कॉण्ट्रीब्यूट करे, कुछ वहां की संस्थाएं कॉण्ट्रीब्यूट करें और कुछ आप भी करें ।

श्री दुर्गालाल बाड़दार (हवामहल, जयपुर) : माननीय अध्यक्षजी,....

Page No 21

श्री अध्यक्ष : होम गार्ड्स बिल भी साथ ही चल रहा है क्या ?

श्री मथुरादास माथुर (गृह मंत्री) : मैं इंट्रोड्यूस कर दूं । जवाब भी साथ में ही हो जावे, दोनों वॉलण्टियर फोर्स के हैं ।

श्री विजयसिंह झाला (नाथद्वारा) : इसको प्रवर समिति में भेजने का प्रस्ताव बाद में लिया जायगा क्या ?

श्री अध्यक्ष : कन्सीडरेशन का प्रस्ताव है उस पर आप बोल लीजिये ।

श्री भैरोंसिंह (किशनपोल, जयपुर) : जो नहीं बोले हैं होम गार्ड्स बिल पर उनको भी बोलने का चान्स मिलेगा ?

श्री अध्यक्ष : समय है ५ बजे तक, जैसी मर्जी आवे वैसे बोलिये ।

श्री दुर्गालाल बादृदार : नगरपालिका के बिल पर विचार करने से पूर्व कुछ विभिन्न प्रकार के मत आपके सामने प्रस्तुत हुए हैं । ये निर्विवाद सत्य बात होनी चाहिए और किसी को इस बात को आक्षेप के आधार पर नहीं सोचना चाहिए । जब हमारे देश, हमारे राष्ट्र पर किसी प्रकार की आपत्ति आती है तो उस आपत्ति से रक्षा करने के लिए, निराकरण करने के लिये यदि कानून में तरमीम करने जाते हैं, कोई सुधार करते हैं, जिसकी जरूरत होती हुई प्रतीत होती है तो उस पर आपत्ति नहीं होनी चाहिए । लेकिन कुछ ऐसी भी बातें हैं जिन बातों को लेकर आपस में थोड़ा वाद-विवाद आज इस सदन के सामने प्रस्तुत हुआ है । उसके लिए मैं निवेदन करूंगा, यह प्रगट करना चाहूंगा कि प्रत्येक व्यक्ति को यह समझ लेना चाहिए कि धर्म दो प्रकार के हुआ करते हैं—एक स्थायी और दूसरा आपत्ति-कालीन धर्म । चाहे आप मनुष्य के जीवन को ले लीजिये, चाहे देश के जीवन को ले लीजिये और चाहे राष्ट्र के जीवन को ले लीजिये, मैं आपको यह बात विशेष रूप से कहना चाहता हूं कि मैं यह मानता हूं और निर्विवाद सत्य है जो विश्व के बहुत बड़े बड़े विद्वान हैं, विश्व की विभूतियां हैं वे एक ही सिद्धान्त को लेकर आगे चल रहे हैं, वह एक मोटा सिद्धान्त है जिसको आपके सामने उपस्थित करने को तैयार हूं । वे कहते हैं कि One world is One world की थ्योरी को लेकर वे बढ़े हैं । सारे संसार का एक धर्म होना चाहिए, सारे विश्व का सिद्धान्त एक होना चाहिए । इसी विचार को लेकर विदेशों के विद्वान दुनिया में बढ़ रहे हैं । एक तरफ दुनिया में यह बात हो रही है, दूसरी तरफ यह देश भारत—जो विद्वत्ता की दृष्टि से, साहित्य की दृष्टि से, संस्कृति की दृष्टि से—किसी भी दृष्टि से लें, सारे संसार में सबसे ऊंचा देश माना जाता था, इसका धर्म एक स्वतंत्र धर्म कहना चाहिए, वह रहा है या जिसको अहिंसा कहते हैं, वह रहा है । इतिहास इस बात का साक्षी है और आपको इस बात को मानना चाहिए कि संसार में इस धर्म को पहुंचाने वाला यह देश रहा है । दूसरे, शक्ति में ही यह देश सारे राष्ट्रों से कम नहीं रहा है, ताकत में कम नहीं रहा है और दुनियां के अन्दर घुटने टेकने का इतिहास कभी इसने नहीं बताया है । आपको यह मानना चाहिए कि आपत्कालीन धर्म जिसको कह सकते हैं, जिसको आवश्यकता का धर्म कह सकते हैं, उस धर्म की दृष्टि से हम इस प्रकार का कानून बनाना चाहते हैं, जिसके आधार पर हम देश

(श्री दुर्गालाल बाढदार)

की रक्षा के लिए सामूहिक रूप से जनता को तैयार कर सकें, हम देश की जनता को इस प्रकार तैयार कर सकें कि प्रत्येक व्यक्ति आपत्ति सहने के लिये तत्पर रहे और मैं समझता हूं इसमें विरोध नहीं होना चाहिए।

अच्छी बात किसी तरफ से हो, वह हमें ठीक तरह समझनी चाहिए और समझ कर उसमें आगे बढ़ने की चेष्टा करनी चाहिए। लेकिन साथ ही दो-तीन बातें ऐसी हैं, जिनकी ओर मैं माननीय मंत्री महोदय का ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा। मैं यह निवेदन करना चाहूंगा कि नगरपालिकाओं को जो अधिकार हम देने जा रहे हैं तो हमें अपने यहां की छोटी–बड़ी नगरपालिकाओं की स्थिति पर भी विचार करना पड़ेगा। क्या ये सक्षम हैं, क्या इनमें शक्ति है कि जिस व्यवस्था को लेकर हम आगे चलना चाहते हैं, या कहिये इस प्रकार की वॉलण्टियर्स की सेना रेज करना चाहते हैं, स्वयं सेवकों की सेना तैयार करना चाहते हैं, जो समय आने पर, आवश्यकता पड़ने पर अपने लोगों की इमदाद करते रहें? इस दृष्टि से जब नगरपालिकाओं की स्थिति पर विचार करते हैं तो जैसा कि आगे निवेदन करना चाहूंगा, अभी इसमें इस प्रकार का सुझाव दिया है कि इस वॉलण्टियर्स की सेना को बनाने के लिये, इसको तैयार करने के लिए सबसे पहले यह होगा कि कुछ नियम बनाने चाहिए और वे नियम इस प्रकार के होने चाहिए कि उन नियमों का निर्माण केवल वहां वाले या नगरपालिका खुद करे, जिसके अन्तर्गत वहां वालन्टियर्स की सेना तैयार हो। यह सुझाव इतना आवश्यक हो जायगा क्योंकि आप प्रेस्क्राइब्ड बाई रूल्स कर देते हैं तो उस पर विचार करना पड़ेगा, यह सोचना पड़ेगा कि जिन नियमों को एक स्थान के लिए बनाते हैं, क्या वे नियम दूसरे स्थान पर अपनी उतनी ही उपादेयता रख सकते हैं, क्या वे नियम दूसरे स्थान पर उतने ही अच्छे ढंग से कारगर हो सकते हैं जितने कि वे नियम जिन्हें वहां की स्थिति जानने वाले, उस वातावरण में रहने वाले, चुने हुए नुमाइन्दे बैठ कर वहां की परिस्थितियों पर ठीक प्रकार से विचार करते हुए, देश-काल-वातावरण को समझ कर बनायेंगे? इस दृष्टि से जिन नियमों का निर्माण करें, व नगरपालिकायें करें और उसके अन्तर्गत वालण्टियस मेण्टेन किये जायं और काम में लिये जायं, तो मैं समझता हूं कि वे ठीक प्रकार से, सुचारु रूप से काम कर सकेंगे। जो संशोधन मैं आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूं संभवतः इस संशोधन से आपकी जो मूल भावनायें हैं, इन मूल भावनाओं का कोई निराकरण नहीं होता है; बल्कि एक प्रकार से उनकी पुष्टि होती है। जब भावनाओं की पुष्टि होती है और जब सुचारु रूप से कोई काम करने जाते हैं तो इसमें आपको कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिए कि नियम बनाने का उन्हीं नगरपालिकाओं को अधिकार देना चाहिए या उन बोर्ड्स को बनाने देना चाहिए तो ऐसे वॉलन्टियर्स इस्तेमाल करने के लिये अग्रसर होते हैं या कार्य करते हैं।

एक दूसरी बात जो निहायत जरूरी है, परमावश्यक होती है, वह जैसा अभी जयपुर से आने वाले माननीय सदस्य ने बताया, आप जयपुर नगरपालिका को ले लीजिये, कोटा नगरपालिका को ले लीजिये-इन दोनों नगर पालिकाओं की ऐसी स्थिति है कि इन नगरपालिकाओं द्वारा किसी कार्य को कराने का सवाल है तो अर्थाभाव के कारण उसमें कठिनाई

(श्री दुर्गालाल बाढदार)

आती है। वह स्थिति राज्य सरकार के द्वारा हो सकती है, और दूसरे राजनैतिक कारणों से हो सकती है या और कोई कारण हो सकते हैं जिनके कारण इनकी स्थिति दयनीय कर दी जाती है, वह आगे नहीं बढ़ सकतीं। मैं निवेदन करूंगा कि चाहे राज्य सरकार के आज कार्य करने वाले मंत्री हों, चाहे सम्बन्धित व्यक्ति हों वे इस प्रकार की भावना को लेकर बढ़ते हैं कि अगर नगरपालिका कोई अच्छा, भला काम करने के लिए आग बढ़ना चाहती है तो उसमें वे अड़चन डालना चाहते हैं। तो यह श्रेयस्कर नहीं होगा। इस पॉलिसी को कोई समझदार व्यक्ति टॉलरेट करने के लिए तैयार नहीं हो सकता, बर्दाश्त नहीं कर सकता, क्योंकि यह डेमोक्रेटिक सिद्धान्तों के प्रतिकूल है। एक वाकया में बताना चाहता हूं कि जयपुर शहर में ऐसी परिस्थितियां हैं कि बिजली, पानी और कई चीजों के बिल जयपुर नगर-पालिका को चुकाने पड़ते हैं। ऐसे बहुत से स्थान हैं जहां पब्लिक का आवागमन निरन्तर चलता रहता है। मैं एक छोटी सी बात अर्ज करना चाहता हूं कि गढ़ गणेश का मंदिर है। वहां हर मंगलवार को दर्शनों के लिए हजारों की संख्या में लोग जाते हैं। ध्यान देने की बात यह है कि बीहड रास्ता है और पांच, सात वर्ष पहले भयंकर जन्तु आया जाया करते थे, अब बस्ती होने की वजह से ज्यादा भय नहीं रहा है, जिस रास्ते पर बिजली के बल्ब काफी अरसे से जलते चले आ रहे थे लेकिन अभी चार पांच दिन से मालूम होता है कि वहां बिजली बन्द है और वहां गहन अंधेरा रहता है। आप यह न समझियेगा कि वहां सिर्फ यात्री ही जाते हैं, लोग सैर–सपाटे के लिये जाते हैं– उसके नीचे हरिजनों और दूसरे लोगों की बस्तियां हैं और सेंकडों परिवार उसके नीचे रहते हैं। प्रत्येक परिवार के छोटे छोटे बच्चे पढने को जाते हैं, उन्हें शहर से रात को जाना पडता है। उन छोटे छोटे बच्चों को आने जाने में दिक्कत आती है। इसका कारण क्या हुआ, तो मालूम हुआ कि जिन बिल की अदायगी परमावश्यक है, उनका भुगतान नगरपालिका नहीं कर सकी। जहां इस प्रकार की स्थिति है वहां नतीजा यह होता है कि इसका भार भी जनता को वहन करना पडेगा। यह महत्वपूर्ण बात है और इस पर विचार करना राज्य सरकार का प्रथम कर्तव्य होना चाहिए। लेकिन यह मेरी समझ में नहीं आता है कि इतनी महत्वपूर्ण बातहो जाती है लेकिन राज्य सरकार के अधिकारियों का इस ओर ध्यान नहीं जाता। इस प्रकार के मामलों की शिकायत लेकर राज्य सरकार के अधिकारियों के पास अपील की है लेकिन उन पर भी ध्यान नहीं दिया जाता। मैं निवेदन करूंगा कि इस प्रकार की शिकायतें आती हैं और उन पर ध्यान नहीं दिया जाता है। इससे मालूम पडता है कि वे लोग कानों में तेल डालकर सोते रहने की कोशिश करते हैं और शिकायत करना बेकार हो जाता है। मैं समझता हूं कि जो महत्वपूर्ण शिकायतें आयें उन पर विचार करना चाहिये। यही नहीं बहुत सी अनुचित बातें जो रात-दिन नगरपालिकाओं में होती हैं उन पर भी विचार करना आपका धर्म हो जाता है। जब हम म्युनिसिपैलिटी के सिद्धांत को लेकर चले हैं, जो जन-साधारण को प्रतिनिधित्व करने वाले हैं, रात-दिन बडी बडी बातों पर सुझाव देने वाले हैं, सुचारु रूप से काम चलाने वाले हैं, वे नगरपालिका के विरोध में, नगरपालिका के हित के प्रतिकूल काम करने वालों की शिकायत

(श्री दुर्गालाल बाढदार)

उच्चाधिकारियों तक जाते हैं तो उनकी तरफ ध्यान नहीं दिया जाता है। इससे आप समझ लीजिये कि जनता में असंतोष पैदा होगा, और जिस विश्वास की भावना से नगरपालिका, लोकल सैल्फ की संस्था चलती है वह जाती रहेगी। उसका परिणाम यह होगा कि एमर्जेन्सी के जमाने में जनता का सहयोग, जनता की हर प्रकार की मदद चाहते हैं उसमें एक रोडा पैदा होगा, उसमें एक बाधा पैदा होगी।

इसलिये दोष पब्लिक को देना, आप पब्लिक को दोष नहीं दे सकते, बल्कि इस दोष के लिये भागी आप खुद होंगे। मैं एक बार नहीं अनेक बार कहूंगा कि पब्लिक देश की सेवा करने के लिये तैयार है जनता चाहती है कि आक्रमण के समय देश को बचाया जाने का प्रबंध हो। लेकिन पब्लिक यह नहीं चाहती कि देश का एक तबका अपने ऐशो आराम में पड़ा रहे और उनकी नहीं सुने। वे लोग तकलीफ पायें और आप आराम करते रहें। यदि आप इसी तरह पब्लिक को कुचलते रहेंगे, उनकी आवाज को नहीं सुनेंगे तो जनता में आपके प्रति असन्तोष होगा और वह उन लोगों पर उसकी जिम्मेदारी होगी जो आज कुर्सियों पर बैठे हुए हैं।

मैं आपको एक छोटी सी बात कहना चाहता हूं कि जयपुर नगरपालिका में ऐसा भी देखा गया कि बहुत से नियम और बाई–लॉज बने हुए हैं लेकिन उनके अनुसार कार्य नहीं किया जाता। मैं आपको एक बात बताना चाहता हूं कि बहुत से स्थानों पर ५-१० हॉर्स पॉवर्स की चक्कियां लगी हुई हैं। चौकड़ी रामचन्द्रजी में इस प्रकार की चक्कियें लगी हुई हैं। इसी प्रकार ५-१० गलियों में लगी हुई हैं। मैं यह कहूंगा कि ५ होर्स पॉवर्स से ज्यादा की चक्कियें लगाने की इजाजत कानून नहीं देता है। मगर आप पांच हार्स पॉवर्स से ज्यादा की चक्कियें लगाने की इजाजत देते हैं और लोग बराबर शिकायतें आपके पास करते हैं कि ये चक्कियें मोहल्ले में न्यूसेन्स पैदा करती हैं। आपके कानों तक उनकी शिकायतें नहीं पहुंचती हैं और पहुंचती हैं तो आपने उस पर ध्यान नहीं दिया है। मैं कहता हूं कि इस प्रकार हमेशा देर करते जा रहे हैं इसका नतीजा बुरा हो सकता है। म्युनिसिपैलिटीज ने यह तय किया था कि कितनी चक्कियें हैं उनकी गिनती कराई जावे। कहीं कहीं एक मोहल्ले में ५-५ और ६-६ चक्कियें हैं। उनको पॉवर दिन को सप्लाई नहीं होता, उधर स्टूडेण्ट्स की स्टडी का व एग्जामिनेशन का समय होता है उससे उनकी पढ़ाई पर बहुत असर पड़ता है। इसलिये मैं निवेदन करूंगा कि ५ होर्स पॉवर से ज्यादा की चक्कियें लगाने की इजाजत नहीं दी जानी चाहिए।

श्री रामानन्द अग्रवाल (अलवर) : न्यूसेन्स होता है तो वह न्यूसेन्स एक्ट से कण्ट्रोल कर दिया जावे।

श्री दुर्गालाल बाढदार : यही तो सोचने की बात है। होता नहीं है।

श्री मथुरादास माथुर (गृह मंत्री) : आप कहते जावें मैं सुन रहा हूं।

श्री अध्यक्ष : आप जवाब नहीं दें तो भी नोट तो करलें।

श्री विजयसिंह झाला : आप बतावें, क्या कर रहे थे ?

Page No 25

श्री भैरोंसिंह : आपने कहा कि कितनी चक्कियें हैं ।

श्री मथुरादास माथुर : आपने कहा कि चक्कियों की गिनती कराई जावे । चक्कियों की गिनती करावेंगे ।

श्री दुर्गालाल बाढदार : माननीय मंत्री इतनी जागरूक से बात सुनने की चेष्टा करते हैं, लेकिन इस सदन में इतने सचेत रहने से समस्या हल नहीं होगी । मैं यह कहना चाहता हूं कि यह मेरी कोई व्यक्तिगत आवाज नहीं है, न मेरा किसी चक्की वाले से संबंध है और न मैं चक्की का कारोबार करता हूं । लेकिन जब इस प्रकार की एक लाख जनता की आवाज मेरे कानों तक आती है तो मेरा यह, एक जनता के प्रतिनिधि के नाते, फर्ज हो जाता है कि मैं उसे आप तक पहुंचाऊं ।

श्री मथुरादास माथुर : मैं तो चक्कियों की आवाज आपकी आवाज से बहुत ज्यादा समझता हूं ।

श्री दुर्गालाल बाढदार : जब तक उन लोगों की तकलीफ दूर नहीं होगी यह आवाज आपके दिमाग में चक्कर लगा कर रह जावेगी । चक्कियों की गिनती करने से यह दर्द दूर नहीं हो सकता है । असली बात यह है कि शहरों के बीच में ५ होर्स पॉवर्स से ज्यादा चक्कियें बाई लॉज् के अनुसार लगाने की मुमानियत है और उसके अनुसार ऐसी चक्कियों को जो ज्यादा हॉर्स पॉवर्स की हों उनको स्टॉप करने का आपका धर्म हो जाता है और आयन्दा भी आपको ध्यान देना चाहिए कि पांच हॉर्स पॉवर्स से ज्यादा की चक्कियें, जब तक कि आप पांच होर्स पॉवर्स से ज्यादा की चक्कियें लगाने की बहुत ज्यादा आवश्यकता न समझें, एमर्जेन्सी की वजह से लगाने की बहुत ज्यादा जरूरत हो तो लगायें । इस प्रकार की कार्यवाही आपको नहीं करनी चाहिए । जब तक आप इस पर ध्यान नहीं देंगे तब तक मेरा ख्याल है कि आप ठीक तरह से लोगों की वॉइस को एप्रिशियेट नहीं कर सकेंगे

अब मैं मूल विषय पर आ रहा हूं और निवेदन करना चाहता हूं कि हम होम गार्ड्स बिल ला रहे हैं और दूसरा नगरपालिका का कानून है उसमें भी वॉलेन्ट्री फोर्स ला रहे हैं । दोनों एक दूसरे से कॉन्ट्रा-डिक्ट नहीं हो जावें, इस दृष्टिकोण से एक ही जगह यदि रह जावें तो दूसरे कानून में परिवर्तन करने की आवश्यकता नहीं होती ।

माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं यह निवेदन करूंगा कि जहां तक मूलभूत कानून के निर्माण का संबंध है और उससे सहमति रखने वाले कोई स्पेसिफिक लॉ होते हैं और उसके प्रोविज़न होता है तो उसमें यह प्रश्न पैदा नहीं होता । हां, लोकल बॉडीज़ को कुछ स्पेशल पॉवर्स नहीं दिये जावें तो उनको फंक्शन करने में दिक्कत होगी । मैं इस बात से सहमत हूं कि लोकल बोडीज़ को पॉवर दिये जावें लेकिन जहां तक म्यूनिसिपेलिटीज का सम्बन्ध है यह दूसरी बात है कि किन किन बातों का इसमें समावेश करना होगा और किन बातों को इसमें से हटाना होगा और आगे बढ़ाना होगा । लेकिन इस बात का प्रोविज़न है कि इसके कोई एमेन्डमेन्ट होने चाहिये या नहीं तो जब तक आप इसमें एमेन्डमेन्ट नहीं करेंगे और खाली होम गार्ड्स बिल लावेंगे तो इस पर यह मान लिया जावे कि लोकल बोडीज़

(श्री दुर्गालाल बाढ़दार)

को पॉवर दे दिया है वो इससे कुछ कर सकेंगे या होम गार्ड्स में कुछ ऐसे कानून बनाये होंगे कि वे बिल्कुल एल.एस.जी. के काम करने को रेगुलराइज़ करते हों। बात यह है कि स्पेसिफिक रूप में इस कानून को रख दें या उस प्रकार का प्रोविज़न लाकर इस प्रकार का पॉवर दे दें कि नियम बना सकें और उसके अन्तर्गत कुछ कार्य कर सकें। ऐसी हालत में मैं यह कह सकता हूं कि आवश्यकता को देखते हुए संशोधन का सवाल आता है कि कोई बुराई की बात नहीं होती और संशोधन के आधार पर मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि यह प्रेस्क्राइब्ड शब्द है वह एम्बीगुअस टर्म रहती है इसलिये, इसकी जगह, प्रेस्क्राइब्ड बाई दी बोर्ड होना चाहिये, क्योंकि यह प्रेस्क्राइब्ड कौन करेगा, यह तो गवर्नमेन्ट करती है ताकि यह हर एल.एस.जी. पर लागू हो। मैं जो तरमीम चाहता हूं उसके पीछे तथ्य है। यह बात सही है कि नियमों में एकता होनी चाहिये। लेकिन नियम और मूल कानून में रात-दिन का अन्तर होता है। एक्ट सारे स्टेट को गवर्न करने वाले हैं। लेकिन रूल्स लोकल सेल्फ डिपार्टमेन्ट के हो सकते हैं और वहां के रहने वाले वहां की परिस्थितियों के अनुसार बनते हैं, तो आपको सेन्टर से बनाये हुए नियम से उनका विशेष महत्व रोक सकते हैं। ऐसी हालत में जहां बोर्ड है वहां वही नियम बनाते हैं और कानून बनाते हैं तो ज्यादा महत्वपूर्ण होंगे। यही मैं आपको सामने रखना चाहता हूं।

श्री विजयसिंह झाला (नाथद्वारा): अध्यक्ष महोदय, चक्की की गड़गड़ाहट के बाद में मैं अपने प्रस्ताव को मूव करना चाहता हूं। मेरा प्रस्ताव यह था कि राजस्थान म्यूनिसिपल (एमेन्डमेन्ट) बिल को एक प्रवर समिति के सुपुर्द किया जावे जो अपना प्रतिवेदन अगले सत्र में या दो सप्ताह में प्रस्तुत करे। इस एमेन्डमेन्ट के आने के बाद में चार म्यूनिसिपैलिटीज़ में गया और पूछा कि क्या इस प्रकार की योजना, स्वयं सेवक दल के बारे में, नगरपालिकाओं ने बनाई है या नहीं। सब जगह से उत्तर मिला कि एक सूचना दे दी है और वह यह कि जो कोई व्यक्ति भरती होना चाहे, हो सकता है। उसके बाद में किसी प्रकार का कोई प्रावधान है, यह उनको भी मालूम नहीं।

श्री श्योपतसिंह (हनुमानगढ): अध्यक्ष महोदय, कोरम नहीं है।

(गणपूरक घंटी)

(१.०० म० प०)

एक माननीय सदस्य: कोरम नहीं है।

(विराम)

श्री विजयसिंह झाला: कोरम कमरे में बन्द है।

(विराम)

श्री भीमसेन (लूणकरणसर): आपकी तरफ से ही कमरे में बन्द है।

श्री विजयसिंह झाला: गृह मंत्रीजी भी नींद निकाल रहे हैं।

श्री मथुरादास माथुर (गृह मंत्री): टाबरों की बातों का क्या खयाल करें।

श्री विजयसिंह झाला: विचित्र गृह मंत्रीजी हैं इसलिये कोरम भी विचित्र है।

(विराम)

मेरे कहने का तात्पर्य यह है कि नगर-पालिकाएं केवल एक सूचना निकाल दें और

(श्री विजयसिंह झाला)
इसी से हम संतोष कर लें कि स्वयं सेवक दलों का निर्माण हो गया तो कल्याण हो गया। पर हम चाहते हैं कि स्वयं सेवक दलों का निर्माण हो, उनको सुसंगठित करके अच्छी ट्रेनिंग दी जाय और वे अच्छा काम करें, तो यह आवश्यक है कि इस पर अच्छी तरह से सोच, विचार करें और इसमें ऐसा प्रावधान बनायें जिससे कि अच्छे सुव्यवस्थित, सुसंगठित स्वयं सेवक दलों का निर्माण हो सके। पर जिस तरह स्वायत्त शासन मंत्रीजी इस बिल को लाना चाहते थे वे ऐसा नहीं कर सके, इसलिये गृह मंत्रीजी को यह सौंपा है।

तो मैं अपने प्रस्ताव के साथ साथ ४ आधार देना चाहता हूं कि जिन पर मंत्री महोदय अच्छी तरह से विचार करें।

पहला आधार आर्थिक समस्या का है, जो बहुत ही डिस्कस हो चुका है। जब तक नगरपालिकाओं की आर्थिक समस्या हल नहीं हो सकेगी तब तक आज के समय में कोई भी नगरपालिका इस स्थिति में नहीं है, सशक्त नहीं है कि वह स्वयं सेवक दलों का निर्माण कर सके, ग्रान्ट देने में भी, सहायता देने में भी एड के रूप में, जो धन राशि नगरपालिकाओं को सरकार से प्राप्त होनी चाहिये, उसमें भी बड़ा पक्षपात होता है और वह पक्षपात मिनिस्टरों के लेवल तक होता है।

एक माननीय सदस्य: विरोधी दल की नगरपालिकाओं के साथ पक्षपात करते हैं।

श्री विजयसिंह झाला: तो जब तक इनकी आर्थिक समस्या को हल नहीं किया और यह काम इनके जिम्मे रख दिया गया तो वहां का रूप बहुत ही दयनीय हो जायगा। इसके सुबूत में मैं नाथद्वारा नगरपालिका का उदाहरण रखता हूं। नाथद्वारा नगरपालिका के साथ जिस प्रकार का व्यवहार हुआ है वह बहुत ही अन्याय पूर्ण है। यदि स्वायत्त शासन मंत्रीजी के ऑफिस में जाते हैं तो चीफ इन्जीनियर को बताया जाता है, चीफ इन्जीनयिर के पास जाते हैं तो नगर ट्रस्ट को बताया जाता है। खास करके नजूल लेंड के बारे में निवेदन करना चाहता हूं, उदयपुर में जितनी नगरपालिकाएं हैं, जब तक नजूल लेंड का फैसला नहीं हो जाता तब तक उन नगरपालिकाओं की आर्थिक स्थिति नहीं सुधर सकती। कोई स्कीम उसके सामने रखते हैं तो वह पूरी नहीं कर सकती। इससे पहले कि किसी नगरपालिका को स्कीम सौंपें, पहले यह देखें कि उनको कैसा आर्थिक संकट है। जिस स्कीम से उनका आर्थिक संकट दूर हो सकता है उसको जल्दी तय करें। नजूल लेंड के फैसले का अधिकार कलेक्टर को दिया है। उदयपुर कलेक्टर ने नजूल लेंड की जमीन का फैसला करने के लिये चार पांच मीटिंगें बुलाई हैं; जब कि एक ही मीटिंग में फैसला किया जा सकता था। अभी तक कोई फैसला नहीं किया गया है और नगरपालिकाओं का आर्थिक संकट आज तक हल नहीं हुआ है।

तो जो कोई भी स्कीम नगरपालिकाओं के पास रखें, कोई नई स्कीम नगरपालिकाओं के जिम्मे सौंपें तो उन नगरपालिकाओं के आर्थिक संकट का भी हल साथ ही साथ निकलना चाहिये। अगर ऐसा नहीं किया गया तो जो भी स्कीम उनको सौंपी जायेंगी, वे स्कीमें कामयाब नहीं हो सकेंगी। इस स्वयंसेवक दल की स्कीम के लिये भी नगरपालिकाओं

(श्री विजयसिंह झाला)

को धन की आवश्यकता पड़ेगी। इसलिये यह स्कीम देने से पहले नगरपालिकाओं की आर्थिक स्थिति को सुधारने के लिये राज्य सरकार को कदम उठाना पड़ेगा। यदि केवल कागजी कार्यवाही में, दूसरे लोगों को बताने के लिये ही स्वयं सेवक दल बनाना चाहते हैं तो कोई धन की आवश्यकता नहीं रहेगी।

दूसरा यह भय है कि आप अपने इलेक्शन स्टंट के लिये स्वयं सेवक दलों का निर्माण कर रहे हैं, इस मतलब से कि इलेक्शन के दिनों में आप इनसे काम लेंगे........

श्री ज्वालाप्रसाद शर्मा (नसीराबाद): आपके पास भी हैं, कोटा में आप ले सकते हैं।

श्री विजयसिंह झाला: हम तो चाहते हैं कि यह एक पवित्र संस्था का निर्माण हो रहा है इसमें सभी राजनैतिक पार्टियों का सहयोग हो। इस तरह की पवित्र संस्था को इस तरह अपने स्वार्थों के लिये अपने काम में न लिया जा सके, इसीलिये तो इस प्रकार के दुरुपयोग पर हम पहले से ही रोक लगाना चाहते हैं। हो सकता है कि जनसंघ की जहां ज्यादा स्ट्रेन्थ हो वहां स्वयंसेवक दलों से जनसंघ काम ले और जहां कांग्रेस की स्ट्रेन्थ ज्यादा हो वहां कांग्रेस इनसे काम ले। इसीलिये हम इस प्रकार की चीज पर रोक लगाने के लिये इस प्रकार का प्रावधान रखना चाहते हैं। फिर इनको एक प्रकार की ड्रेस मिले, समुचित व्यवस्था ट्रेनिंग की जाय।

नगरपालिकाओं को अधिकार दिया जाता है स्वयं सेवक दल बनाने का, तो ये इनका आर्थिक संकट दूर किये बिना, इनकी आर्थिक स्थिति ठीक किये बिना नहीं चला सकतीं। दूसरा आधार यह है कि सरकार यह व्यवस्था दे सकती है कि केवल इन नगरपालिकाओं पर ही यह भार डालना अच्छा नहीं। तो इस दृष्टि से भी यह परम आवश्यक हो जाता है कि इस बिल को सिलेक्ट कमेटी के सुपुर्द करके सोचें कि कितना हिस्सा सरकार इन स्वयंसेवक दलों को चलाने के लिये नगरपालिकाओं को देगी।

तीसरा आधार यह है कि पंचायतों के जिस प्रकार के दल बने हैं वे किस तरह के दल बने हैं; केवल संख्या बता दी गई है, पूरी ट्रेनिंग नहीं दी है। हम तो चाहते हैं कि जिस प्रकार की ट्रेनिंग दी है, देश हित के लिये उन स्वयं सेवकों से काम ले सकते हैं या नहीं। पर जिस तरह की ट्रेनिंग पंचायतों और पंचायत समितियों की मार्फत स्वयं सेवक दलों को दी गई है वह पर्याप्त नहीं है। इसका कारण यह है कि उनके पास पैसा नहीं है। तो इसी आधार रूप में नगरपालिकाओं में स्वयं सेवक दल बनाना चाहते हैं, उनको भी क्या आप वही स्वरूप देना चाहते हैं?

नगरों में रहने वाले लोग हैं उनके जो स्वयं सेवक दल हों, उनसे अच्छा काम ले सकें, उनको अच्छी ट्रेनिंग दे सकें, इन स्वयंसेवक दलों को सुव्यवस्थित, सुसंगठित अच्छे, मज़बूत और कारगर बना सकें, इसके लिये यह आवश्यक है कि इन सब बातों पर सिलेक्ट कमेटी में विचार करना होगा। तो अध्यक्ष महोदय, मैं इन आधारों के साथ यह प्रस्ताव रखूंगा कि हम इस बिल को सिलेक्ट कमेटी के सुपुर्द करें जो अपना प्रतिवेदन यहां सदन में प्रस्तुत करे।

(श्री विजयसिंह झाला)

साथ साथ एक माननीय सदस्य ने, अभी जो अनुपस्थित हैं, कुछ बातें रखीं। उनका भी जवाब देना आवश्यक समझता हूं। उन्होंने कहा, अध्यक्ष महोदय, इधर के सदस्य इस तरह आलोचना करते हैं कि वे अच्छे कामों में रुकावटें डालते हैं। दरअसल हमारा यह उद्देश्य नहीं है। हम चाहते हैं कि कार्य अच्छा हो लेकिन सुव्यवस्थित तरीके से हो। अध्यक्ष महोदय, दोनों बिल आयें तो अच्छे सुव्यवस्थित रूप से आयें। जल्दी का काम शैतान का होता है। उद्देश्य की खंडना नहीं कर रहा हूं, हम जो करना चाहते हैं वह व्यवस्थित हो, यही अन्दरूनी हमारी इच्छा है। एक विवाद, न जाने उदयपुर और जयपुर के कई उदाहरण देकर इस प्रकार की समस्या रखी है कि शहर में रहने वाले विचित्र आदमी होते हैं। यह तो हम कहते हैं कि ट्रेजरी बैन्चेज के आदमी विचित्र होते हैं और विचित्र आदमियों का मंत्रीमंडल होने से इस प्रकार के कानून आते हैं। अगर वे चाहते हैं कि विचित्र आदमियों को हटाया जाय तो हमारा भी सहयोग उनके साथ है। मैं यह प्रस्ताव रखता हूं।

श्री गिरधारीलाल व्यास (आसीन्द): अध्यक्ष महोदय,....

श्री अध्यक्ष: श्री रामानन्द अग्रवाल।

श्री रामानन्द अग्रवाल (अलवर): अभी सदन के सामने म्युनिसिपल (एमेन्डमेन्ट) बिल पर बहस हो रही है। माननीय गृह मंत्रीजी ने इस बिल को इन्ट्रोड्यूस करते समय यह कहा कि संकटकाल की स्थिति में इसकी आवश्यकता को महसूस करते हुए ऑर्डिनेन्स निकाला था और अब इसको इस सदन की आज्ञा से कानून की शक्ल देना चाहते हैं। जैसा इस सदन के दूसरे माननीय सदस्यों ने कहा कि वास्तव में जो कुछ आवश्यकता थी वह उनकी तेजी ऑर्डिनेन्स निकालने तक ही महदूद रह गई। लेकिन हमारा यह ख्याल है कि यह कानून, यह शक्ति जो कि लोकल सैल्फ बोडीज़ को इस कानून के जरिये अब सरकार ने देने का विचार किया है संकटकालीन स्थिति की दृष्टि से, हमारे ख्याल से लोकल सैल्फ बोडीज को इस प्रकार की शक्ति न केवल संकटकाल में ही होनी चाहिये; बल्कि आज की डेमोक्रेटिक स्टेट में इस प्रकार के फन्क्शन्स लोकल बोडीज़ में सामान्य दिनों में भी, पीस टाइम में भी, कोई इमर्जेन्सी न हो, तब भी होने चाहिये। अध्यक्ष महोदय, मैं यह इसलिये कहता हूं कि यदि हम आज से १५ वर्ष पहले के अपने प्रदेश की ओर देखें तो जब कि हमारा देश एक राष्ट्रीय आंदोलन में रत था, इस प्रकार की सरकार थी जो पब्लिक के प्रति जिम्मेवार नहीं थी, इस प्रकार की लोकल बोडीज थीं जो पब्लिक के प्रति जो जिम्मेदारियां उनको निभानी चाहिए उनको इस प्रकार अधिकार ही नहीं मिले होंगे और जो सामाजिक कार्य थे उनको भी राष्ट्रीय आंदोलन पूरा करते थे, जनता के सहयोग से पूरा करते थे और सरकार उनमें बाधायें उपस्थित करती थी अब हमारे देश में अपने देश की हुकूमत कायम होने के बाद एक प्रजातांत्रिक हुकूमत की जिम्मेदारी हो जाती है कि अधिक से अधिक जिम्मेदारियों को जो आम तौर पर और प्रकार की हुकूमत या विदेशी हुकूमत उन जिम्मेदारियों को जनता के प्रति नहीं संभालती थी, उनको डेमोक्रेटिक स्टेट संभाले, उनका विकेन्द्रीकरण करें, उसका डेमोक्रेटाइजेशन करे और जो लोकल सैल्फ गवर्नमेन्ट

(श्री रामानन्द अग्रवाल)

लोकल सैल्फ बोडीज़ हैं उनको अधिकाधिक अधिकार सौंपे। इस दृष्टि से, अध्यक्ष महोदय, मैं यह निवेदन करना चाहूंगा कि हमारी म्युनिसिपैलिटियां जब तक जिम्मेदारियां निभा रही हैं या हमारी सरकार उनको जितनी जिम्मेवारियां दी हुई हैं उन बोडीज़ को, चाहे वे म्युनिसिपिल कमेटीज़ हों, या चाहे वे पंचायत या पंचायत समितियां हों, अगर हम वास्तव में एडमिनिस्ट्रेशन को डिसेन्ट्रलाइजेशन करना चाहते हैं, वास्तव में हम जनता को सर्व सत्ता सम्पन्न बनाना चाहते हैं, तो हमें उन अंग्रेजों का दृष्टिकोण नहीं रखना चाहिये कि अभी आप काबिल नहीं हुए, अभी हम धीरे धीरे एडवाइज़री रिजीम, एग्जीक्यूटिव कायम करके एडवाइज़री कैपेसिटी में रखना चाहते हैं और धीरे धीरे सिटी में सैल्फ रूल्स की तरफ डेवलप करना चाहते हैं।

अध्यक्ष महोदय, अभी भी हमारी सरकार जिस कंजूसी से, जिस रिलेक्टेंसी से इन लोकल बोडीज़ को कोई भी अधिकार देने की चेष्टा करती है या जिस तरीके से उनके अपने तमाम अधिकारों में अपने हस्तक्षेप के जरिये उसमें वास्तव में जिन्दगी नहीं रखती है, नाम मात्र रहती है, वास्तव में जीवन नहीं रहता है, वास्तविकता नहीं रहती हैं, इस प्रकार की जिम्मेदारी देने की चेष्टा करती है वह ब्रिटिश हुकूमत की लीगेसी है। अंग्रेज सरकार का तरीका था हुकूमत करने का कि सबसे कम्प्रोमाइज़ करना सीखें, चाहे करप्शन हो, चाहे माल एडमिनिस्ट्रेशन हो, उन सब से कम्प्रोमाइज़ करके चलें। इस दृष्टिकोण से आज यह सरकार अंग्रेजों के दृष्टिकोण को रखते हुए लोकल बोडीज को अधिकार देना चाहती है कि उनके हाथ पांव काटकर उनको अधिकार देने की कोशिश करती है। इस रूप में, अध्यक्ष महोदय, जो एमेन्डमेन्ट सदन के समक्ष पेश किया जा रहा है जिसके जरिये म्युनिसिपल बोर्ड को एक स्वयंसेवक दल संगठित करने के अधिकार दिये जा रहे हैं? इस रूप में यह बिल पेश किया जा रहा है। सदन के दूसरे माननीय सदस्यों ने भी कहा कि इस बिल का पूरा प्रारूप सदन के सामने आना चाहिये ताकि इसको वास्तविक शक्ल, सशक्त शक्ल दी जा सके। इस कानून को जिस ढंग से रखा गया है उसकी गैरमौजूदगी इसका सबूत है कि सरकार की नियत वास्तविक रूप से उन्हीं स्वयं सेवक संगठनों को एग्जिस्टेंन्स में लाने की जरूरत समझती है जिनको वह चाहती है। अध्यक्ष महोदय, मैं निवेदन करना चाहता हूं इस सरकार से आज यह संकटकालीन स्थिति है इसलिये म्युनिसिपल बोर्ड को इस शक्ति की जरूरत है, यह दृष्टिकोण लेकर न चलें बल्कि वे फंक्शन्स हैं राष्ट्रीय आन्दोलन में, चाहे आग बुझाना हो, फील्ड्स में सेवा करना हो, जनता को फिजिकल एज्यूकेशन देने का हो, चाहे सेवा सदन का कार्य करने का हो या समाजिक सुधार करने का हो, वे फंक्शन जिस प्रकार नॉन–ऑफिशियल बोडीज़ उस वक्त थीं, तमाम कार्यकर्त्ता राष्ट्रीय आंदोलनों में जुटे हुए थे, आज उनका अभाव हो रहा है। और इसलिये अभाव हो रहा है कि आम जनता यह महसूस करती है कि जो हमारे कार्यकर्ता हैं वे गवर्नमेन्ट में हैं, विधान सभा के सदस्य हैं, म्युनिसिपैलिटियों में हैं, पंचायत और पंचायत समितियों में हैं। वहां जाकर वे इन फंकशन्स को कर सकते हैं

(श्री रामानन्द अग्रवाल)

इसलिये डुप्लीसिटी होना मुमकिन नहीं। यही कारण है कि इस प्रकार की संस्थाओं का अभाव होता जा रहा है। अगर हम सप्लीमेन्ट नहीं करेंगे, जो लगन पहले काम करने की की थी, जो भावना कार्यकर्त्ताओं में थी आज भी हम जिसको महसूस करते हैं, बगैर अधिकारों के होना मुमकिन नहीं। इस अभाव में मैं निवेदन कर देना चाहता हूं कि हमारे देश के नवजवानों में देश की सेवा करने की इच्छा है, नये हिन्दुस्तान बनाने की तमन्ना है, लेकिन सही रास्ता नहीं मिलने से उन भावनाओं, उन छोटी उम्र के बच्चों में जो गलत खयालात भरने की कोशिश करते हैं जो गलत दिशा में उनको ले जाने की कोशिश करते, हैं फिजीकल एक्सरसाइज के नाम से व्यायाम के नाम से, शाखाओं के नाम से, राष्ट्र विरोधी भावनायें भरी जाती हैं। राष्ट्रीय आंदोलन हमारी परम्परायें थीं, जिन आधारों पर देश को निर्माण करना चाहते हैं उस ट्रेडिशन के खिलाफ, गलत धर्म का स्वरूप बतला कर दिमाग के अन्दर जो भावना पैदा की जाती है, जिनके दिल में राष्ट्रीयता की भावना नहीं, इस प्रकार की आइडियोलोजी को, गन्दे विचारों को जैसे जर्मनी और जापान और इटली में फासिस्ट राज्य कायम करके उन देशों को किस तरह से बर्बादी की ओर ले गये, उसी प्रकार इसको भी ले जाने की चेष्टा करते हैं। छोटी उम्र वाले बच्चे, जिनमें समझ नहीं रहती है, ऐसे बच्चों को फिजीकल एक्सरसाइज के के नाम से गुमराह करने की कार्यवाहियों में संलग्न हैं। इस प्रकार के संगठन स्वायत्त शासन संस्थानों के नीचे बनते हैं तो उससे उन लोगों को, उन बच्चों को सही रास्ते पर चलने की प्रवृत्ति में मौका मिलेगा। इसी प्रकार जो अवांछनीय तत्व हैं और साम्प्रदायिकता के जहर को फैलाते हैं इस प्राकर के लोग जो नैरो नेशनेलिज्म की भावना फैलाते हैं, जैसा कि जबलपुर में देखने को मिला, अलीगढ़ में देखने को मिला, कहीं गाय की हत्या की खबर मिली या हिन्दू-मुसलमानों की लड़ाई की खबर मिली कि वे नवजवानों में जहर फैलाने की शुरूआत कर देते हैं। इसलिये मैं समझता हूं कि इस प्रकार के संगठनों का होना आवश्यक है। इस प्रकार के वॉलण्टियर फोर्स म्युनिसिपेलिटीज के अन्तर्गत होने जरूरी हैं, क्योंकि आखिर बाकायदा हमारी राष्ट्रीय आन्दोलनों की परम्परायें थीं उन्हीं आधारों पर नेशनली एक्सेप्टेड आइडियल्स हैं। उन्हीं के आधारों पर हम देश के नवजवानों को शिक्षित कर सकते हैं। उनमें जो देश सेवा की भावना है उन्हीं के आधारों पर आगे बढ़ा सकते हैं। अपने उनकी तमन्ना है उनके मुल्क की बेहतरी के लिये, उसके अन्दर सक्रिय रूप से ठोस, कंस्ट्रक्टिव रूप से देश को संगठित कर सकें, ऐसा मौका हम उनको दें। इसलिये अध्यक्ष महोदय, म यह भी निवेदन करूंगा कि जिस रूप से अमेन्डिंग बिलों को रखा गया है उसको वाइडन करने की आवश्यकता है। एमर्जेन्सी आई और उस समय जो स्प्रिट देश के लोगों में आई उसका फायदा हमें उठाना चाहिये। इसके अनुसार यदि इसको स्ट्रिक्टली इन्टरप्रेट करें तो यह सब बातें इसमें नहीं आती हैं जो फंक्शन्स मैंने निवेदन किये। इसलिये ज्यादा कॉम्प्रिहेन्सिव बनाने की आवश्यकता है।

यहां इस बात का भी जिक्र किया गया कि कौन किसका एजेन्ट है, खास तौर से डाइरेक्टली इनडायरेक्टली हमारे पर. आक्षेप करने की कोशिश की। मैं यह निवेदन

(श्री रामानन्द अग्रवाल)

कर देना चाहता हूं कि हमने सदन में पहले भी निवेदन किया कि कोई हमारी पार्टी के सदस्य के प्रति, किसी को हमारी देश-भक्ति के प्रति जो राजस्थान में हमारे साथ काम करते रहे हैं, जो हमें पर्सनली जानते हैं, हमने और उन्होंने मिल कर कितने ही वर्षों तक साथ साथ काम किया है, वे इस बिना पर जब कि उनके सामने उनके खिलाफ किसी प्रकार के इल्जामात नहीं। आप यदि किसी को मानते हैं कि ये देशद्रोही हैं, आपके पास सबूत हैं तो उन पर मुकदमा चलाइये, उनको सजा दीजिये ताकि जनता के सामने सही स्थिति तो आ सके। वास्तव में आप यदि ऐसा करते हैं और किसी को सजा मिलती है तो हमें अफसोस नहीं होगा। अगर उनके खिलाफ कोई बात है ही नहीं, जबरदस्ती कानून की आड़ लेकर, किन्हीं लोगों के दबाव के कारण केवल किसी जगह के कोटे को पूरा करने की दृष्टि से गिरफ्तारियां की जाती हैं, जेलों में रखा जाता है, मैं समझता हूं यह देशभक्ति का अपमान करना होगा। हमारे उन साथियों ने राजस्थान में सबसे पहले कदम उठाया, किसी और पार्टी के कदम उठाने से पहले कदम उठाया, २३ नवम्बर को कॉमरेड पूनमिया ने घोषणा की थी कि पाली मिल के मजदूर राष्ट्रीय रक्षा कोष में एक दिन की तनख्वाह देंगे, जब कि राजस्थान के अन्दर इस पैमाने पर कार्य आरम्भ ही नहीं हुआ था। इस संबन्ध में हमारे दल की ओर से ही नहीं जब श्रम विभाग की बहस हो रही थी उस समय मैंने विचार व्यक्त किये थे कि कोई देशभक्ति किसी एक पार्टी की ठेकेदारी नहीं। किसी पार्टी में कोई व्यक्ति खराब हो सकता है, किसी पार्टी की यह गारन्टी नहीं कि उसमें तमाम व्यक्ति अच्छे हैं। उस दल की ओर बैठने वाले सदस्यों की पार्टी में पाक एजेन्ट हैं। जिन पर तस्कर व्यापार को सहायता देने का आरोप है। जो ऑल इन्डिया कांग्रेस कमेटी के मेम्बर रहे हैं। प्रान्तीय कांग्रेस कमेटी को उनको हटाना पड़ा है उनको सस्पेन्ड करना पड़ा है। कोई पार्टी अपने आपको पूरी देशभक्त का क्लेम करे और दूसरों पर आरोप लगाये, यह नामुमकिन है। शीशे के मकान में बैठकर दूसरों पर इस प्रकार पत्थर फेंकने की कोशिश नहीं करनी चाहिये।

इसी बहस के दौरान में एक पॉइन्ट और आया कि म्यूनिसिपल बोर्ड्स इस प्रकार के दल को संगठित करेंगे तो उनके पास क्या साधन हैं? यह बात सही है कि जिस प्रकार डीडवाना से आने वाले माननीय सदस्य ने कहा कि पंचायतों के पास इस प्रकार के दल संगठित करने के साधन नहीं। यह बात सही है कि इसमें बहुत बड़े व्यापक पैमाने पर साधनों की आशा करना उचित नहीं, लेकिन कुछ नकुछ साधन जो मिनिमम रिक्वायरमेन्ट्स हो वे तो पूरी होनी चाहियें। इस बारे में सरकार को अवश्य सोचना चाहिये। इसमें संकटकाल की बात नहीं है। यह तो राष्ट्रीय व्यवस्था का परमानेन्ट फीचर बन जाना चाहिये। इस बहस के दौरान में इस प्रकार की भी बहस आई कि देहातों के लिये कम खर्चा होगा और शहरों के लिये ज्यादा खर्च ले लिया जाता है। यह प्रश्न इस समय ही नहीं, पहले भी कई बार उठाया गया है। वास्तविकता तो यह है कि इसकी सारी जिम्मेदारी सरकार चलाने वालों पर है; इसी में नहीं, हर सरकार की नीति में इस बात का स्पष्ट प्रमाण मिलेगा कि हर पॉलिसी आप देखेंगे कि जो बड़े लोग हैं, उच्च साधन सम्पन्न हैं, एक्सप्लोइटर्स हैं, सत्ताशाली हैं उन

Page No 33

(श्री रामानंद अग्रवाल)

लोगों को ज्यादा से ज्यादा साधन देना, यह तो नीति सरकार की है। उन लोगों को ज्यादा से ज्यादा सहूलियतें देना, ऐसे लोग शहरों में ही ज्यादा बसते हैं और सरकार की पोलिसी के अनुसार शहरों को ज्यादा रियायत मिलती हैं। एक्सप्लोइटर्स की जो ताकत है उस ताकत में इस सरकार की पॉलिसीज़ के जरिये और ज्यादा सहूलियत मिलती है। आप तकाबी का मामला ले लीजिये, मोर्टगेज बैंक का मामला ले लीजिये, इसम एक्सप्लोइटर्स को ही सुविधा मिली है ?

मैं निवेदन करना चाहता हूं डीडवाना से आने वाले माननीय साथी को उनकी भावनाओं का आदर करते हुए वे सरकार पर इस प्रकार का दबाव डालेंगे कि वह इस प्रकार की जो नीति अपना रही है उसका त्याग करें और जो नारा उन्होंने शहर और गांवों में फूट पैदा करने का दिया है उसको छोड़कर देहात के किसान और मजदूर और शहर के किसान और मजदूर को साथ में लेकर सरकार पर इस बात का दबाव डालें कि उनकी जो अमीरों के पक्ष की नीति है, अमीरों की जो सरकार हिमायत करती है उस नीति को सरकार छोड़े किन्तु दोनों जगह के गरीब तबके हैं मेहनतकश तबका है, उसको दबाने की कोशिश करते हैं।

इसलिये मैं कहूंगा कि जरूरत इस बात की नहीं है कि देहातों के तमाम लोग शहरों के खिलाफ इकट्ठे हों, वल्कि जरूरत इसकी है कि देहात और शहरों के मेहनतकश लोग इकट्ठे हो कर इन एक्सप्लोइटरों का, और इन ट्रेजरी बैन्चों को अपनी टांग से बान्ध रखा है, कठपुतलियों की तरह जिन्होंने, उनका मुकाबला किया जाय।

मैं निवेदन करना चाहता हूं कि अगर दरअसल इन म्युनिसिपिल बोर्डों की आर्थिक स्थिति को ठीक करना है ताकि वे इन स्वयंसेवक संगठनों को ठीक तरह से चला सकें तो केवल एक सुझाव रखना चाहता हूं कि जो सिनेमाओं का एन्टर्टेन्मेन्ट टैक्स है वह सारा इनको दे दिया जाय। मैं पहले से भी यह मांग रख रहा हूं और मैं समझता हूं कि इससे ज्यादा कोई मांग इस समय नहीं रखनी चाहिये। अब ईस बारे में सरकार की पालिसी भी ऐसी है जो न जमीन की है, न आसमान की, किसी को देती है, किसी को नहीं। मैं समझता हूं यह डिस्क्रिमिनेटरी पॉलिसी सरकार की गलत है।

इसी तरह ग्राम पंचायतों और पंचायत समितियों के अनुदान बढ़ने चाहिये। लगान की एक अच्छी राशि उनको देनी चाहिये ताकि वे अपनी जिम्मेदारियों को अच्छी तरह से निभा सकें।

इस अमेन्डमेन्ट के उसूल को मैं स्वीकार करता हूं। इसके बावजूद भी इसकी आवश्यकता को ज्यादा व्यापक बनाने की जरूरत का मैं समर्थन करता हूं।

श्री गिरधारीलाल व्यास (आसींद): अध्यक्ष महोदय, मैं इस अमेन्डमेन्ट का समर्थन करता हूं। जैसी व्यवस्था गांवों में की गई है वैसी इसके द्वारा शहरों में की जा रही है। वॉलन्टियर फोर्स जिस प्रकार पंचायतों में बनाने का प्रावधान है और जिस प्रकार दलपति ट्रेनिंग में भेजे जाते हैं और वे ट्रेनिंग प्राप्त

(श्री गिरधारीलाल व्यास)

करके और गांवों में जाकर विलेज वॉलन्टियर फोर्स बनाते हैं, उसी प्रकार का प्रावधान म्युनिसिपैलिटियों में यह वॉलन्टियर फोर्स बनाने के सम्बन्ध में रखा गया है।

मगर इसके सम्बन्ध में बहुत सी बातें कही गई हैं। उनमें एक यह है कि अगर म्युनिसिपैलिटी को आर्थिक मदद नहीं दी गई तो यह मकसद पूरा नहीं होगा।

मैं निवेदन करूं कि इतने बड़े बड़े शहर, जैसे जयपुर जिसकी आबादी चार लाख है, जोधपुर, उदयपुर, अजमेर, कोटा वगैरह जिनकी खुद की आय इतनी है कि पंचायतों का उनसे कोई मुकाबला नहीं हो सकता, जिनकी मुश्किल से हजार पांच सौ रुपया सालाना की आमदनी होती है, जब इतनी नगण्य सी आमदनी होते हुए भी पंचायतें इस प्रकार के संगठन बना रही हैं और जिसमें जनता और पंचायतें पूरी मदद दे रही हैं, पूरे उत्साह से भाग ले रही हैं तो ऐसी हालत में म्युनिसिपैलिटियों के लिये यह कहना कि वे नहीं कर सकतीं बिना पैसे का इन्तजाम किये, इसलिये उनको सरकार द्वारा कुछ कन्ट्रीब्यूट किया जाना चाहिये, यह मानने जैसी बात नहीं है।

एमर्जेन्सी में देहातों में जहां यह भावना है कि राष्ट्र की किस प्रकार से सेवा करें, वे इसके लिये यह भी नहीं मांगेंगे कि हमें ड्रेस चाहिये, या तनख्वाह मिलनी चाहिये या किसी प्रकार का अनुदान मिलना चाहिये; इसे तो वे स्वयं की अपनी ड्यूटी समझते हैं। देश की रक्षा की भावना उनमें सर्वोपरि है। वहां नगरों में इस तरह की बातें करना कि अनुदान नहीं मिलेगा तो वॉलन्टियर फोर्स चल नहीं सकेगी, यह मैं नहीं मानता। क्योंकि आपने देखा होगा कि इस देश में बहुत सी राजनैतिक पार्टियां अपनी वॉलन्टियर फोर्स रखती हैं और वे सब स्वतः प्रेरणा से करते हैं। वे उसे अपना कर्त्तव्य मानकर चलते हैं। तो जब देश में इस प्रकार का संकट आ गया है और संकटकालीन स्थिति है तो कौन व्यक्ति होगा जो राष्ट्रसेवा के लिये तत्पर नहीं होगा।

(१.३५ म. प.)

(श्रीमती लक्ष्मीकुमारी चूंडावत, सभानेत्री, पदासीन)

तो इसमें शहरों में भी कर्त्तव्य वृद्धि को जगाने की आवश्यकता है, अनुदान की नहीं।

दूसरा मेरा निवेदन है कि एमर्जेन्सी में जो लोगों की ट्रेनिंग का सवाल हो, नर्सों की ट्रेनिंग का सवाल हो, तो पुलिस के द्वारा और स्वास्थ्य विभाग के सम्बन्धित जानकार व्यक्तियों के द्वारा इनकी ट्रेनिंग की व्यवस्था की जानी चाहिये। इस प्रकार का प्रावधान स्वतः हो जावेगा। इस ट्रेनिंग के लिये भी हमें कोई खर्चा करने की आवश्यकता नहीं है और न यह सोचने की आवश्यकता है कि बिना पैसे के हम इनकी ट्रेनिंग कैसे करेंगे।

जो वॉलन्टियर फोर्स बनेगी उसके बारे में हमारे एक माननीय सदस्य ने यह आशंका व्यक्त की कि उसमें और राजनैतिक विचारधारा के लोग आ जावेंगे जो राष्ट्रीय भावना वहां न फैलाकर स्वयं की राजनैतिक भावना फैलाना चाहेंगे और उनके जरिये हमारे समाज में भ्रान्ति फैलने का अन्देशा रहेगा, तो हम चाहते हैं कि इस प्रकार की बात न हो और लोग अपने देश की रक्षा के लिये ज्यादा

(श्री गिरधारीलाल व्यास)

से ज्यादा तत्पर रहें इसका ध्यान रखा जाए और इससे ज्यादा से ज्यादा समाज सेवा हो ऐसी व्यवस्था हो, अब इसमें ये सब प्रावधान हैं कि सिक्योरिटी ऑफ प्रोपर्टी, प्रोटेक्शन आफ पर्सन्स और पब्लिक सेफ्टी ये तीन कारण दिये हैं इनमें सब इनके कर्तव्य आ जाते हैं। चाहे आग लग जावे बीमारी फैल जावे, शान्ति भंग होती हो या पंचमार्गी लोगों से देश को और समाज को खतरा पैदा हो गया हो इन सब बातों का प्रबन्ध करने के लिये यह वॉलन्टिर फोर्स काम करेगी और इसके द्वारा ऐसे गलत तत्व जो समाज में गलत बातें फैलाना चाहते हैं या गलत रास्ते पर हमारे समाज को ले जाना चाहते हैं उसमें रुकावट होगी और हम इसके द्वारा ज्यादा से ज्यादा अच्छी व्यवस्था कर सकेंगे।

अब म्युनिसिपैलिटियों में कुछ में जन प्रतिनिधि नहीं होने से या चुनाव नहीं होने से एडमिनिस्ट्रेटर जो काम करते हैं वहां स्वयंसेवक दल काम नहीं कर सकेंगे जब कि जनता में इस प्रकार की भावना है और जनता चाहती है कि हमारे देश की सेवा हम करें और अच्छे कार्यों में सरकार को सहयोग दें तो इस प्रकार की भावनाओं का प्रदर्शन करना गलत होगा।

इसके साथ साथ यह भी कहा गया कि म्युनिसिपैलिटी की जो वॉलन्टियर फोर्स बने उनके नियम बनाने का अधिकार भी उनको मिलना चाहिये। इसके लिये मेरी तो यह अर्ज है कि अगर इनके नियम बनाने का अधिकार उनको दे दिया गया तो कहीं कांग्रेस पार्टी की म्युनिसिपैलिटी है, कहीं जनसंघ की है, कहीं और किसी का बहुमत है तो वे सब फिर अपने अपने दृष्टिकोण से नियम बनावेंगे और एक से नियम सब जगह नहीं बन सकेंगे जिससे काम में बड़ी अड़चन आने की सम्भावना है और वे लोग जनता में अपने अपने राजनैतिक विचार और भावनायें फैलाने का ही प्रयत्न करेंगे।

इसलिये यह नियम बनाने का अधिकार म्युनिसिपैलिटीज को नहीं होना चाहिए, बल्कि एक ही तरह का नियम सारे राजस्थान की म्युनिसिपैलिटीज के लिये सरकार के द्वारा बनाया जाना चाहिए जिससे इस भावना और जिसके लिए यह बिल प्रस्तुत किया गया है उसका मकसद पूरा हो और समाज में इस प्रकार की कार्यवाही हो जिसकी वजह से जिस काम के लिए यह बनाया जा रहा है उसकी पूर्ति हो सके।

दूसरे यह है कि राजनैतिक दल जो साम्प्रदायिक तत्व, जिस प्रकार का अभी कहा गया है साम्प्रदायिक तत्व अपनी विचारधारायें शहरों में अलग अलग तरह की फैलाते हैं और उसकी वजह से जो लोग शहरों में रहते हैं वे अलग अलग अपना दृष्टिकोण रखकर ऐसे समय में भी ठीक रास्ते पर नहीं चलते, बल्कि ऊपर से तो कहते हैं कि हम तो एमर्जेन्सी के समय में सरकार के साथ हैं और अन्दर से तरह २ की बातें कहते हैं और उसके द्वारा राज्य सरकार या जो हमारी राष्ट्रीय सरकार है उसके खिलाफ तरह तरह की बातें करते हैं। अगर इस प्रकार का वॉलन्टियर फोर्स बनेगा तो उसके द्वारा इस प्रकार का जो भ्रमात्मक प्रचार है उसको रोका जा सकेगा और उसके द्वारा एमर्जेन्सी के समय किसी प्रकार की खुराफात न हो, झगड़े-टंटे

(श्री गिरधारीलाल व्यास)

में ही शान्ति भंग न हो, इन सब बातों का ख्याल रखा जा सकेगा और यह वालन्टियर फोर्स अच्छे से अच्छा काम करेगा।

श्री विजयसिंह झाला (नाथद्वारा): फिर तो आपका पूरा प्रभुत्व रह सकेगा।

श्री गिरधारीलाल व्यास: आपका रहेगा, हमारा और रहेगा, आपकी और म्युनिसिपैलिटीज का रहेगा।

अभी एक माननीय सदस्य ने कहा था कि इस प्रकार का स्वयं सेवक दल बनेगा तो म्युनिसिपल बोर्ड अपनी अपनी पक्ष की बात करेंगे और वैसे ही आदमियों को स्वयं सेवक दल में भरेंगे। लेकिन मेरा कहना है कि नाथद्वारा से आने वाले माननीय सदस्य ने कहा था कि म्युनिसिपल बोर्ड इस प्रकार से कार्यवाही करेंगे। लेकिन वहां म्युनिसिपल बोर्ड ने क्या काम किया है यह तो उनके देखने की बात है। लेकिन जहां जिस प्रकार की पार्टी होती है और वहां जो म्युनिसिपैलिटी का काम करते हैं वे अपना दृष्टिकोण रखते हैं और अपने अपने आदमियों को फायदा पहुंचाते हैं। उनके जो विरोधी हैं बिना किसी कारण के जो रास्ते हैं उनकी ओटियां वगैरह जो गलत काम किये हैं उस प्रकार के काम भी करते हैं। ओटियां उतरवा दीं बिना नोटिसेज के बरन्डा तुड़वा दिए, इस प्रकार की बात होती है। दूसरे अर्ज करने का मतलब यह है कि अभी यह कहा गया कि म्युनिसिपैलिटीज को पैसा मिलना चाहिए और जब कि हमारे यहां पंचायतों में इस प्रकार की कोई बात नहीं है। शहर के लोगों की आदत हो गयी है कि हर काम के लिए पैसा मांगते हैं। कालेज बनते हैं तो सरकार उनको पैसा देती है, सड़क बनती हैं तो सरकार पैसा देती है बड़े बड़े अस्पताल बनते हैं तो सरकार पैसा देती है और इस प्रकार से शहरों के ऊपर सरकार के द्वारा लाखों और करोड़ों रुपया खर्च किया जाता है। उसके मुकाबले में गांवों की तरफ देखें तो गांवों में हर बात में कान्ट्रीब्यूशन मांगा जाता है। ५० परसेन्ट कान्ट्रीब्यूशन मांगा जाता है। तो इस प्रकार की भावना है। अगर ऐसी हालत में ऐसी वालंटियर फोर्स बनाया जाय उसमें भी इस प्रकार कान्ट्रीब्यूशन मांगा जाय तो यह उचित नहीं होगा और जो अमेन्डमेन्ट पेश किया गया है उसकी बहुत सख्त आवश्यकता है जिसके द्वारा कि हम ज्यादा से ज्यादा इस प्रकार के वालन्टियर फोर्स बनाकर जो राष्ट्र है, हमारा समाज है उसकी ज्यादा से ज्यादा सेवा कर सकेंगे। इस प्रकार की भावनाओं के द्वारा यह अमेन्डमेन्ट बिल लाया गया है और मैं इसका पूरी तरह से समर्थन करता हूं और इसके द्वारा जल्दी से जल्दी कदम उठाया जाय, यह मेरी मांग है।

श्री सभानेत्री: श्री अब्दुल जब्बार।

श्री अब्दुल जब्बार (निम्बाहेड़ा): माननीय सभापति महोदया, हमारे सामने म्युनिसिपैलिटीज (अमेण्डमेण्ट) बिल पेश किया गया है, जिसमें एक वॉलण्टियरी फोर्स रेज करने का प्रावधान रखा गया है। या तो मैं यह कहूं कि सरकार बड़ी उदासीन है इस मामले में कि वह कानून को ठीक तरह से देखे बिना ही अमेन्डमेन्ट ले आती है। मैं सरकार का ध्यान बड़े मुत्तसर तरीके से राजस्थान टाउन म्युनिसिपैलिटीज एक्ट, १९५१ की धारा ९८ की ओर ले जाना चाहता हूं। सरकार ने बहुत देखभाल करके इस अमेण्ड

Page No 37

(श्री अब्दुलजब्बार)

मेन्ट को रखा है लेकिन यहां खुले रूप से प्रोवीजन जहां जनहित का सवाल है चाहे प्लेग का हो, चाहे इन्फेन्टाइल डिजीज का हो, चाहे मेटरनिटी या किसी किस्म के बच्चे की डिजीज का हो, स्माल पाक्स हो, कॉलेरा हो या और कोई डेंजरस बीमारी हो उसको रोकने के लिये प्रोवीजन सेक्शन ६८ में है। साथ ही साथ एक प्रोवीजन को इसमें जोड़ने का सवाल रखा गया है।

अब सभापति महोदया, इसमें खास खास क्लॉज हैं "(e) extinguishing fires and protecting life and property when fire occurs,

(f) regulating offensive or dangerous trades or practices, ...(h) securing or removing dangerous buildings or places, and reclaiming unhealthy localities." इस किस्म के क्लाज दे रखे हैं। अब समझ में नहीं आया कि कौनसी आइडियोलोजी काम में लिये हैं। इसमें प्रोवीजन रखा है

"......such functions and duties in relation to the protection of persons, the security of property and the public safety as may be prescribed."

इस प्रकार के प्रोविजन्स को देखने के बाद यह मालूम होता है कि राजस्थान सरकार शायद यह भूली हुई है कि पुलिस का कोई महकमा है जिसको सिविल पुलिस कहते हैं, जिसका फंक्शन यह है कि जिसमें सोशियल ड्यूटीज उसकी है जाब्ता फौजदारी और ताजीरात हिन्द बनाई है कि चोरी करने वाले को सजा हो, अननेसेसरी रयूमर फैलाने वाले के लिये सजा हो और साथ ही साथ किसी किस्म की बगावत करते हैं इन्वेस्टीगेशन करते हों तो १०८ खुला हुआ प्रोविजन है। उसके तहत उसको डिटेन किया जा सकता है, वेल एण्ड बाण्ड के लिये मजबूर किया जा सकता है। १०७ का प्रोविजन है जहां अननेसेसरी बातें हों और पब्लिक की पीस (peace) को कोई खतरा हो तो उसमें भी उसको सजा मिल सकती है। तो समझ में नहीं आता कि म्युनिसिपलिटीज जो स्वास्थ्य के संबंध में या स्वास्थ्य संबंधी निर्माणकार्य में करने का जो अपना अधिकार रखती है उसको इस तरफ लाने की क्या मंशा है ? खुले रूप से यह जाहिर होता कि कानून में इसको लाने से पहले यह सोच लिया जाता कि राजस्थान टाउन म्युनिसिपलिटीज एक्ट के अन्दर सेक्शन ६६ का प्रोविजन है जिसमें साफ तौर से लिखा है (a) providing special medical aid and accommodation for the sick. और दूसरा प्रोविजन है, "for destitute persons" फेमिन वगैरह हो तो रिलीफ पहुंचाने के लिये है। मैं यह कह सकता हूं और दावे के साथ कह सकता हूं कि यह जो अमेन्डमेन्ट लाया गया है इससे ज्यादा जरूरी सेक्शन ६६ है। इसके साथ ही साथ फिर प्रोविजन है। सरकार को चाहिये था कि दफा १०० का जो प्रतिबन्ध रखा है म्युनिसिपलिटीज के ऊपर इस एक्ट में सेक्शन १०० इस बात के लिये प्रोवाइड किया गया है एमेजेन्सी है सरकार चाहे उसको बन्द कर सकती है। यह जो अमेन्डमेन्ट सेक्शन ६८ में दिया गया है इसको हम इस्तेमाल नहीं करें लेकिन सेक्शन १०० के लिये चाहिये था। सरकार वास्तव में चुप थी कि हकीकत में सरकार इस बात की इच्छुक है कि जनता को राहत मिले ऐसे टाइम में जबकि हमारे ऊपर विदेशी आक्रमण हो

(श्री अब्दुलजब्बार)
रहा है, जबकि हमारे दिमागी सुकून (बैलेन्स ऑफ माइण्ड) डिस्टर्ब किया जा रहा है। ऐसी हालत में हमारी सरकार का कर्तव्य हो जाता है कि सैक्शन १०० में अमेन्डमेन्ट लाती और कहती कि हर म्युनिसिपैलिटी को अधिकार है कि वह डट कर पैसा खर्च करे जनता के हित में, जनता के स्वास्थ्य के लिये और जनता की बीमारी को दूर करने के लिये ....

श्री सभानेत्री : कोरम पूरा नहीं है।

(गण पूरक घंटी)

श्री अब्दुलजब्बार : सभापति महोदया, मैं यह अर्ज कर रहा था कि इस प्रकार टाउन म्युनिसिपैलिटीज एक्ट में अमेन्डमेन्ट लाया गया है। यदि वह दफा १०० में लाया जाता तो अच्छा होता। उसके साथ साथ इस बात की आवश्यकता नहीं होती कि पैसा दिया जाय। सैक्शन १०१ में पावर्स हैं फाइनैन्स वगैरह को युटीलाइज कर सकते हैं। इसको खास तौर से स्पेशल ड्यूटीज में किया गया है। मैं यह बताना चाहता हूं कि सरकार ने यहां अमेन्डमेन्ट वगैरह दिये गये हैं, उस आधार पर देखा होता :

"(u) providing facilities for antirabic treatment and meeting the expenses of indigent persons undergoing antirabic treatment within or outside the municipal limits;"

अब इन सब चीजों को देखते हुए मैं यह कह सकता हूं कि यह फनी (funny) चीज होगी, एक मजाक होगी, वॉलण्टियर फोर्स म्युनिसिपल एरिया में कायम की जाय, सरकार इस बात की कोशिश कर रही है कि एक होम गार्ड बनाया जाय। जब होम गार्ड को साथ में लिया जाता है तो म्युनिसिपैलिटी जिसके पास छोटी से छोटी म्युनिसिपैलिटी होगी उसके पास भी १५-२० हरिजन होंगे, ऑक्ट्रोय का स्टाफ होगा। एमर्जेन्सी में जहां ऐसी 'बात होगी वहां फायर वगैरह की भी व्यवस्था होगी। मैं कहूंगा कि हिन्दुस्तान की सरकार फायर ब्रिगेड प्रोवाइड नहीं करती है तो सरकार पर मैं चार्ज लगाता हूं कि वह फायर ब्रिगेड का इन्तजाम हर जगह क्यों नहीं करती? एमर्जेन्सी के जरिये बाध्य कर दें कि एमर्जेन्सी में वॉलण्टियरी फोर्स तैयार करें, म्युनिसिपैलिटीज को चाहिये कि सरकार से मांग करें और सरकार को खुद को अपनी ड्यूटी मानकर फायर ब्रिगेड प्रोवाइड करे।

स्माल पोक्स के मामले में बीमारी जैसे ही आरम्भ होती है टीके लगाने की व्यवस्था होती है। इसके लिये सीरम तैयार करके रख दिये गये हैं। आज राजस्थान टाउन म्युनिसिपैलिटीज किसी भी सूरत में स्माल पोक्स को रोकने में कामयाब नहीं होती है। इसका एक कारण यह भी है कि ऐसे व्यक्ति अन्ट्रेन्ड अनक्वालिफाइड वेक्सिनेटर्स के पद पर लगा दिये गये हैं कि जिनको कुछ भी ज्ञान नहीं है। उनको हम अधिकार देते हैं टीके लगाने का और नमूना देखना हो तो पंचायत समिति निम्बाहेडा का देख लें। उन्हीं के हाथ में देकर डुबाना चाहते हैं। वॉलण्टियर्स जो एमर्जेन्सी के समय रक्षा करते हैं उनको कलैक्टर्स के अण्डर में देते हैं। क्या हम यह दिखाना चाहते कि जो नजरिया तेजपुर में देखने को मिला, जहां के अधिकारी मुसीबत आती देख कर भाग गये, जनता को अपने हवाले पर छोड कर भाग गये। ऐसे व्यक्तियों को हम वॉलण्टियर्स फोर्स देना चाहते हैं, ऐसे व्यक्तियों के हाथ में हम विलेज वॉलण्टियरी फोर्स देना चाहते हैं ....

(श्री अब्दुलजब्बार)

(समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

मेरा प्रस्ताव इतना अहम है, में कह सकता हूं दावे के साथ कि जो म्युनिसिपल कानून राजस्थान में चलता है, मेरा खयाल है कि उसको समझने में जल्दबाजी की है। वह एक्ट पूरा है, उसमें प्रोवीजन्स पूरे हैं, सेक्शन ९९, १०० और सेक्शन १०१ की तहत जो चाहें कर सकते हैं, फिर भी सरकार महसूस करती है कि इस प्रकार का प्रोविजन होना चाहिये। मगर सरकार बने हुए प्रोविजन्स को इस्तेमाल नहीं करती और नये बनने चाहियें। होम मिनिस्टर के नीचे सी. आई. डी. है, एम. ओ. बी. है जो कहीं पर ऐसी गलत अफवाहें हों तो उसकी सूचना दे सकते हैं। यदि कोई छिपाता है तो मुजरिम है। इसी प्रकार कोई ऐसा आदमी है जिसे पहिचानने में गलती हो तो म्युनिसिपल एक्ट में प्रोविजन है कि पुलिस में रिपोर्ट करे, यदि नाम नहीं बताता है तो साथ ही साथ म्युनिसिपल एक्ट में है कि कहीं पर आग लग गई है तो उसको बुझाने का प्रयत्न करना चाहिये, चाहे वह चुनी हुई म्युनिसिपैलिटी हो, चाहे एडमिनिस्ट्रेटर काम कर रहा हो। तो सभापति महोदया, इस प्रकार इस कानून में सभी प्रोविजन्स मौजूद हैं। में यह मान सकता हूं कि इस कानून को देखा नहीं गया है। कानून अच्छे से अच्छा बना है मगर कानून के साथ खिलवाड किया जाता है और जिस म्युनिसिपैलिटी की इच्छा है काम करने की उसको सेक्शन ९९ और १०० के जरिये बाध्य किया गया है कि वह पैसा खर्च नहीं करे, अगर खर्च करना चाहती है तो हमसे मंजूरी ले। जब सरकार इस प्रकार का प्रोविजन लाकर बाध्य करती है जन-हित के काम के लिये भी तो जब एक एक्ट है तो क्यों मजबूर किया जाता है? इसलिये में इसका विरोध करता हूं।

श्री नत्थीसिंह (गोविन्दगढ) : समापति महोदया, आज सदन के सामने जो म्युनिसिपल अमेन्डमेन्ट बिल आया है उसके प्रोविजन्स को और भावनाओं को देखते हुए मैं इसकी कदर करता हूं लेकिन एक तरफ जैसा कि इस बिल के अन्दर रखा गया है कि वॉलण्टियरी फोर्स होनी चाहिये, यह बिल्कुल गलत है। इस संकटकाल में जब कि देश बहुत ही संकट की स्थिति में चल रहा है तो आंतरिक व्यवस्था को, आंतरिक सुरक्षा को, शान्ति वगैरह की व्यवस्था है, उसको कायम रखने के लिये यह जरूरी है कि कोई ऐसी संस्था या ऐसी व्यवस्था होनी चाहिये जिससे कि देश की हालत उसी तरीके से चलती रहे और व्यवस्था रहे। लेकिन दूसरी तरफ जब हम देखते हैं जैसा कि फरमाया है बहुत से माननीय सदस्यों ने कि इसमें पार्टीबाजी होती है, यह बिल्कुल सही है। ये लोग जो ट्रेजरी बेंच पर हैं, कांग्रेस के नेता हैं, वह स्वयं सेवक दल में अपने व्यक्तियों को ले लेते हैं और यह एक तरह से पार्टीबाजी है और हस्तक्षेप करते हैं जो कि अनियमित है। इसके अलावा जैसा कि एक माननीय सदस्य ने फरमाया कि म्युनिसिपल कमेटी शहरों में बहुत कम टैक्स लगाती हैं और गांवों में ज्यादा टैक्स सरकार की तरफ से लगता है, इस लिये यह जरूरी है कि इस बिल में यह टैक्स रखा जावे और स्वयं सेवक दल में व्यक्ति वार्ड वाइज रखे जावें या जैसे भी रखे जावें उनके लिये अच्छी ट्रेनिंग हो, क्योंकि अधूरी ट्रेनिंग दी जाती है होम गार्ड को वह पर्याप्त नहीं है। एक महीने की ट्रेनिंग लेकर घर चले जाते हैं और गवर्नमेन्ट का पैसा इस तरह

(श्री नत्थीसिंह)

खर्च होता है। जो ट्रेनिंग पाई है उसको कुछ दिन बाद भूल जाते हैं याद नहीं रहती है। इसलिये मैं अनुरोध करता हूं कि जो स्वयं सेवक ट्रेनिंग है वह कम से कम छः महीने होनी चाहिये जिससे पूरी तरह से वे अपने काम में एक्सपर्ट हो सकें।

दूसरी बात यह है कि इसमें किसी तरह की पार्टीबाजी नहीं आनी चाहिये। सरकार इस तरह के नियम बनावे कि पार्टीबाजी के आधार पर या किसी तरह से हस्तक्षेप नहीं होगा। जो भावना और प्रोवीज़न रखे गये हैं उनका मैं समर्थन करता हूं और अनुरोध करता हूं कि ऐसा हो जिससे देश पर जो संकट है उसको दूर करने में पूरी तरह से हमको इमदाद मिले।

श्री ज्वालाप्रसाद शर्मा (नसीराबाद) सभापति महोदया, सदन में आज एक बहुत जरूरी मसला है उस पर बहस चल रही है। सभापति महोदया, आज फिर एक मर्तबा देश में वातावरण बना है कांग्रेस और कांग्रेस के नेता बार बार इस बात को कहते रहे हैं लेकिन कुछ लोगों ने जिन्होंने एक दफा बीच में इस तरह की चर्चायें चलाई थी और कहा था कि चीन दुबारा हमला करने की हालत में नहीं रहा है, इस तरह का प्रोपेगण्डा करके देश में शिथिलता लाने की चेष्टा की थी। आज जब कांग्रेस समझती है कि उनके विरुद्ध खबरें आने लगी हैं, हमारे देश में फिर जागरूकता आई है और इस वक्त हम समझते हैं कि सरकार ने जो दो बिल्स हमारे सामने प्रस्तुत किये हैं ये उस संदर्भ के अन्दर बहुत जरूरी हैं, बहुत आवश्यक हैं।

इसके साथ ही मैं यह भी कहना चाहता हूं कि इसके अन्दर जैसा कहा म्युनिसिपैलिटी कानून के अन्तर्गत इसको बनाया जा सकता था। मैं अदब के साथ उसका विरोध करता हूं क्योंकि ९८ सैक्शन के अन्दर जो बात कही गयी है कि वॉलण्टियर्स फोर्स रेज करने का कोई अधिकार म्युनिसिपैलिटी को नहीं है। कानून से अगर इसको रेज करना है तो यह अमेण्डमेंट लाना सरकार के लिए बहुत जरूरी है। ठीक है यह उसके फंक्शन में हो सकता है, लेकिन आज इतने बड़े पैमाने पर कोई चीज करनी होती है और देश की रक्षा करने का प्रश्न उठता है तो सरकार के लिये यह आवश्यक हो जाता है कि सरकार म्युनिसिपैलिटीज को यह अधिकार दे जिससे कि म्युनिसिपैलिटी अपने फंक्शन को, जन-सेवा करने के फंक्शन को संकट-कालीन स्थिति में मुस्तैदी के साथ निभा सके। इसके लिये यह बहुत आवश्यक है।

जहां तक होमगार्ड का सवाल है यह राजस्थान भर के लिये और देश भर के लिये एक महत्वपूर्ण सवाल है। मैं सरकार से मांग करूंगा कि इस अमेन्डमेन्ट बिल के मातहत जो काम शुरू किया है आज की स्थिति को देखते हुए दुगुने जोश के साथ और जितना रुपया रखा है, उससे ज्यादा रख कर राजस्थान की सुरक्षा के लिये, देश की सुरक्षा के लिये बहुत जोरों से कदम उठाने चाहियें। लेकिन एक बात की तरफ जरूर ध्यान दिलाऊंगा कि जिनको यह फंकशन करने के लिये कहा गया है, हमारी म्युनिसिपैलिटीज को जनता की चुनी हुई म्युनिसिपैलिटीज को राजस्थान में यह हक दिया गया है, उनको यह अधिकार दिया गया है जानबूझ कर अधिकार दिया गया है— इसकी मंशा यह है कि सब म्युनिसिपैलिटीज

(श्री ज्वालाप्रसाद शर्मा)

जनता की चुनी हुई म्युनिसिपैलिटी जनता की रक्षा करने के लिये वॉलण्टियर्स फोर्स खडी करके, यदि ऐसा वक्त पडेगा तो उसके लिये तैयारी में रहें और संकट का वक्त पैदा हो जाय तो मुस्तैदी से काम कर सकें इसके लिये म्युनिसिपैलिटीज को हक दिया गया है लेकिन मुझे यह कहते हुए सरकार से कोई हिचकिचाहट नहीं होती कि आज राजस्थान की म्युनिसिपैलिटीज की स्थिति क्या है ? कितनी म्युनिसिपैलिटीज जनता के हाथ में हैं ? कितनी म्युनिसिपैलिटीज देश के हित को देखते हुए, मैं कहना चाहता हूं इस एमर्जेन्सी को लेकर चुनाव बन्द किये गये हैं ? मैं निवेदन करना चाहता हूं कि कमीशन ने इस साधारण चीज को माना है कि म्युनिसिपैलिटीज से जनतंत्र में ताकत आती है इससे जनता और जनतंत्र का हित होता है— और म्युनिसिपैलिटीज एक्ट जनता के हित को सोच समझ कर बनाया गया है तो फिर इस कानून के मातहत सख्ती से सरकार को म्युनिसिपैलिटीज के चुनाव कराने चाहिये थे जिससे लोगों के अन्दर एक उत्साह पैदा हो ।

आज जैसा कहा गया है सब म्युनिसिपैलिटीज के चुनाव का टाइम बढाया जा रहा है, और इस बिल के अन्तर्गत, म्युनिसिपैलिटीज एक्ट के अन्तर्गत जो एडमिनिस्ट्रेटर बैठे हुए हैं, उनके चुनाव नहीं हुए एक, दो साल हो गये हैं, जबकि गवर्नमेन्ट की छः महीने तक बढाने की मंशा थी । संविधान के अनुसार छ महीने से ज्यादा समय तक चुनाव नहीं हटाये जा सकते, जिस तरह कि छः महीने से ज्याद गवर्नर का शासन नहीं हो सकता और छः महीने के बाद चुनाव कराने पडते हैं । इसी तरह का अधिकार दिया है इस सदन ने कि छः महीने से ज्यादा चुनाव नहीं हटा सकते । लेकिन जिस वक्त यह अधिकार दिया था उस वक्त एक्ट नया था, इसलिये अधिकार दिया कि जिस तरह आप चाहें जब तक कानून पूरी तरह लागू नहीं हो जाय जब तक आपको अधिकार होगा । लेकिन जो अधिकार आपको दिया उसका जनतंत्र के खिलाफ उपयोग किया, डेमोक्रेसी के खिलाफ किया । जो उस कानून के अन्दर अधिकार था उसमें छः महीने से ज्यादा चुनाव हटाने का अधिकार नहीं था लेकिन आपने उसको एक साल किया । उसके बाद एक साल और कर दिया और अब मालूम नहीं कि इस एमर्जेन्सी की बात को कह कर आप कितना लम्बा इस समय को करना चाहते हैं । मैं आपको अजमेर की बात कहता हूं । अजमेर म्युनिसिपैलिटी ने कोई बात नहीं की है । सब जगह यह होता है कि कभी यह चेयरमैन आता है कभी वह आता है, लेकिन आपकी सरकार ने उसको सस्पैण्ड किया । मैं समझता हूं कि सस्पैण्ड ऐसी हालत में करना चाहिय कि जब कोई म्युनिसिपैलिटी कोई इस तरह की बात करे जिसकी वजह से बेईमानी हो । खैर इस तरफ किन्हीं स्वार्थों के अन्दर चलें लेकिन आपने क्या कोई चार्जेज उस पर लगाये ? आपने अजमेर म्युनिसिपैलिटी पर कोई चार्जेज नहीं लगाये ? वह म्युनिसिपैलिटी ठीक फंक्शन कर रही है शानदार ढंग से काम कर रही थी । उसके कार्यकाल को बढाने की बात नहीं थी । आपने कार्यकाल बढाया नहीं, वह अच्छा किया । हमने समझा कि जल्दी से जल्दी चुनाव करायेंगे । लेकिन आपने चुनाव नहीं कराये और दो साल हो गये हैं । आज वहां स्थिति क्या है ? आज वहां एडमिनिस्ट्रेटर है । वह एडमिनिस्ट्रेटर चेयरमैन है यू. आई. बी. का,

(श्री ज्वालाप्रसाद शर्मा)

अरबन इम्प्रूवमैन्ट वोर्ड का चेयरमैन है, कलेक्टर भी है— उसके पास तीन तीन फंक्शन्स हैं। मैं बराबर सरकार के सामने निवेदन करता आ रहा हूं कि इस निजाम को हटा कर जनता के प्रतिनिधियों को लाना बहुत जरूरी है इस एमर्जेन्सी के अन्दर। मैं आपको कहता हूं कि अजमेर के लोगों का कोई कुसूर नहीं है। उनके चुने हुए लोगों ने अपनी ड्यूटी का पूरी तरह अंजाम दिया। लेकिन वहां बराबर चुनाव को आगे बढाते चले जा रहे हैं। आपकी मंशा क्या है? उस म्युनिसिपैलिटी का जो धन था, उसकी जो वैल्थ थी, जनता के चुने हुए प्रतिनिधि उसको दूसरे लोगों को दे सकते थे लेकिन उन्होंने वहां पर, जनता के प्रतिनिधियों ने उस जमीन की, उस संस्था की, मिल्कियत की और वैल्थ की, आज तक रक्षा की। एक वर्ष नहीं, दो वर्ष नहीं, चालीस वर्ष से वह म्युनिसिपैलिटी चली आती है, लेकिन वहां के चुने हुए प्रतिनिधियों ने उसकी बराबर रक्षा की। लेकिन आपने क्या किया? एडमिनिस्ट्रेटर और यू. आई. बी. का चेयरमैन एक व्यक्ति होने से उसने कितने कितने लोगों को कैसी कैसी जमीन दे दी। लेकिन वह भी गैर कानूनी ढंग से दे दी। जहां सात साल के कागज थे, वहां तीस साल के कागज पूरे किये जाते हैं, जहां यू. आई. बी. का हक नहीं था उस जमीन को भी नोटिफिकेशन के जरिये ले ली। मैं कहता हूं कि आपने थोडे लोगों का स्वार्थ पूरा करने के लिये, अपनी मनमानियों की, इच्छाओं की पूर्त्ति के लिये एक आदमी का राज्य कायम कर रखा है—यह गलत है।

मैं आज की बात नहीं कहता, लेकिन इसके पहले भी उस जगह का दुरुपयोग हुआ है। मैं कहूंगा कि यदि आपको उस म्युनिसिपैलिटी की रक्षा करनी है, जो राजस्थान का गौरव है, जो राजस्थान में सबसे अच्छी कमेटी है, जो आपकी तरफ नहीं देखती है, जो आपके पैसे की तरफ नहीं देखती है, जिस कमेटी का चालीस साल का बजट बनता है—जो कि एक छोटी मोटी स्टेट से बडा है, उसका जो हक था, अजमेर की जनता का हक था, जो लोकल सैल्फ गवर्नमेंन्ट में सबसे अच्छी लोकल सैल्फ गवर्नमेंट थी, उसके लिये आपने सोचा कि कहीं यह जयपुर से अच्छी न हो जाये, इसलिये आपने उसके संबंध में डिले करने की कार्यवाही की है। मैं आपको कहना चाहता हूं कि इसकी इन्क्वायरी होनी चाहिए और उसके धन की रक्षा होनी चाहिये। वहां पर जमीन को इधर से उधर किया गया है और गैर-कानूनी कार्यवाही को बडे बडे आदमियों के दस्तखत करा कर दबाने की कोशिश की गई है। इसके लिये आप एक एन्क्वायरी कमेटी बैठाइये तो मैं कहता हूं कि आपको मालूम होगा कि जनता की वैल्थ का, जो म्युनिसिपैलिटी के मातहत है, दुरुपयोग हुआ है। मैं इसको दावे के साथ कहता हूं....

श्री परसराम मदेरणा (उप-मंत्री, विद्युत्): कौनसी जगह है, कहां है?

श्री ज्वालाप्रसाद शर्मा: वह चक्कर पर है, आर्य समाज के सामने है। उसकी बहुत ज्यादा कीमत हो सकती है, वह किराया कमाने के लिये स्कूल को दी है, लडकियों के स्कूल को दी है। लेकिन उसकी डिटेल्स में मैं जाना नहीं चाहता। आप ज्यादा सवाल करेंगे तो वह अच्छी चीज नहीं होगी।

मैं कहना चाहता हूं कि आप इसकी एन्क्वायरी करायें। आपका कोई ऑफिसर कितना ही बडा हो, उसका व्यक्तित्व ईमानदारी

Page No 43

(श्री ज्वालाप्रसाद शर्मा)

का हो, रिफ्लैक्टिव नहीं हो। लेकिन आप उसको ईमानदार नहीं बना सकते जिसकी ईमानदारी के नीचे बेईमानी पनपती हो। मैं आपको कहता हूं कि आप इसकी एन्क्वायरी करायें और जिस म्युनिसिपैलिटी की एक्टीविटीज से एमर्जेन्सी के अन्दर जनता में ताकत आने वाली है उसका अधिकार आप जनता को दीजिये और सब जगह चुनाव कराइये। इसके साथ ही मैं कहना चाहता हूं, इस एमर्जेन्सी के अन्दर सब पार्टियों को अपील करना चाहता हूं कि हमारे जनतंत्र के अन्दर जो लोकल सैल्फ गवर्नमेन्ट का मामला है वहां पर कोई पोलिटिक्स नहीं हो। मैं सब पार्टियों से निवेदन करूंगा कि स्वतंत्र, जनसंघ, समाजवादी आदि पार्टियों का लेवल वहां मत लगाइये। वहां की जनता पर रहम करो, पार्टीबाजी के आधार पर म्युनिसिपैलिटीज में चुनाव नहीं हो, लोकल सैल्फ गवर्नमेंट से पार्टियों को हटा लो, अगर लोकल सैल्फ गवर्नमेन्ट को पनपने देना है। मेरी स्थिति कुछ नहीं है, मैं कांग्रेस के एक सिपाही की तरह हूं, इसलिये मैं कांग्रेस पार्टी से भी निवेदन करता हूं कि वगैर पार्टियों के आदमियों के हाथ में लोकल सैल्फ गवर्नमेंट रहने दीजिये, वह चुनाव की जगह नहीं है। वहां कौन मना करता है कि जनता को पानी मत पिलाइये, कौनसी पार्टी कहती है कि हरियाली मत कीजिये, कौनसी पार्टी कहती है कि बिजली के लट्टू मत लगाइये ? लेकिन अजब रवैया है अलग अलग पार्टीज अलग अलग बातें कहती हैं। कोई चीन, रूस, और अमेरिका की बातें करते हैं तो जहां पर चुनावों की बातें होती हैं वहां पर लोगों की आंखों में धूल झोंकने के लिये, जनता की आंखों में मिर्च डालने के लिये, कई बातें कही जाती हैं और इस प्रकार जनता और लोगों की आंखों में मिर्च डालने के बाद वोट लिये जाते हैं। मगर मैं आपसे यह निवेदन करूंगा कि आप इस प्रकार एक ऐसा निर्णय लें कि एमर्जेन्सी के समय तक कोई पार्टी इस तरह से बेईमानी की बातों को न कहेगी और लोकल सैल्फ गवर्नमेन्ट के चुनावों में हिस्सा नहीं लेगी; अन्यथा नतीजा यह होता है कि कई बेईमानी की बातें होती हैं और फिर वे बातें बाद में सुपरसीड हो जाती हैं। इसलिये मैं तो यह निवेदन करूंगा कि सारे अर्बन एरियाज के चुनावों के समय इस प्रकार से राष्ट्रीयता के नाम पर और पार्टीबाजी के नाम पर भाषण होते हैं और जनता की आंखों में धूल और मिर्चे झोंकी जाती है और वोट प्राप्त किये जाते हैं। इस प्रकार की बातें किसी भी पार्टी की तरफ से नहीं होनी चाहियें और किसी भी पार्टी को उसमें हिस्सा नहीं लेना चाहिये। वहां के लोग ही अपने वहां के काम को चलावें और अच्छी तरह से चलावें। वे काम छोटे मोटे सफाई के काम हैं, अपनी स्वास्थ्य रक्षा के काम हैं उसमें कोई राजनीतिक काम नहीं है। इसलिये अगर उसमें राजनीति को फंसाने लगें और लोगों की आंखों में धूल झोंकने लगें तो यह काम ठीक नहीं है: होता क्या है कि चुनावो में कोई पार्टी आ जाती है और उसके बाद भीतर ही भीतर आपसी मतभेदों के कारण कोई काम वहां के लोगों के हित का नहीं होता है और सरकार को उन चुनावों को रद्द करने पडते हैं और एडमिनिस्ट्रेटर बैठाना पडता है। वहां पर वे लोग देखते हैं कि किस तरह से इन्तजाम किया जावे। यही एक सिद्धांत रहता है और कोई सिद्धांत नहीं रहता। इसलिये इस प्रकार की कार्यवाही और लोगों के मोरल को गिराने में आप लोग जिम्मेवार हैं

(श्री ज्वालाप्रसाद शर्मा)

आप मुझे माफ करेंगे यदि मैं यह कहूं कि पार्टीबाजी के कारण ही सारा वातावरण गंदा होता है और पार्टीबाजी ही सारे वातावरण को गंदा करती है।

मैं इन सारी बातों के साथ साथ यह भी कहता हूं कि म्युनिसिपैलिटी सूक्ष्म हो, स्वावलम्बी हो। जितनी राजस्थान में म्युनिसिपैलिटीज हैं सबके चुनाव करा दिये जायं। कोई ऐसी म्युनिसिपैलिटी नहीं रहे जिसके चुनाव नहीं कराये जावें। कोई पार्टी उसमें हिस्सा नहीं लेगी जब तक देश पर जो एमर्जेन्सी आई हुई है वह समाप्त न हो जाए। हमको एमर्जेन्सी का सामना करने के लिये जो अधिकार दिये हुए हैं उसका वातावरण हमें बनाना होगा और किसी भी प्रकार की एमर्जेन्सी में जरूरत हो उसके लिये हमें तैयार रहना चाहिये।

इसके साथ में और भी कई बातें हैं जो कई माननीय सदस्यों ने कहीं और मैंने बहुत सी बातें सुनीं और मैं कह सकता हूं कि आज हम कानून बनाते हैं और सरकार हमारी आकांक्षाओं के अनुकूल काम करती है। हमारा फर्ज हो जाता है कि आज के वातावरण में सब जगह समान कानून हो। कहीं भी अगर किसी के साथ महरबानी हो तो नहीं होनी चाहिये। अगर कोई भी देश के खिलाफ कोई भी बात सोचता है तो यह बहुत गलत होगा। मैं माननीय होम मिनिस्टर से एक अर्ज करना चाहता हूं कि आपने कानून को लागू करने के मामलों में क्या काम किया है? एक दुश्मन हमारे सिर पर आकर खड़ा है और उसके इम्प्लीकेशन्स को समझ कर आप अपने कानूनों को शक्ति के साथ लागू कीजिये। आप कानूनों को लगा रहे हैं और आपने एलान किया है कि आप कानूनों को शक्ति के साथ लगावेंगे। मुझे आप पर विश्वास भी है कि आप जो कहते हैं उसे पूरा करते हैं। इसलिए मैं आपसे अपील करता हूं कि आपने कभी अपने कर्तव्य को नहीं सोचा, वह मैं आपको बताना चाहता हूं।

मैं आपको बताना चाहता हूं कि आबू के पास दो-ढाई हजार आदमी इस तरह की बातें करते हैं जो देश के लिये अहितकर है, आप उनको गिरफ्तार क्यों नहीं करते? आप डरते क्यों हैं? मैं यह कहूंगा कि यह दुश्मनों का दुबारा हमला हो रहा है। हिन्दुस्तान पर बाहर से तो हमला बाद में होगा मगर पहले जिन लोगों को जो हमारे देश में रहते हैं जिनको 'जय हिन्दुस्तान' कहना होगा, मगर वे लोग 'जय भारत' या 'जय हिन्दुस्तान' नहीं कहते। जो यह नहीं कहते हैं तो ऐसे लोगों के लिये हमारे देश में कोई जगह नहीं होनी चाहिये। जो लोग ज्ञान की बातें करते हैं और दूसरे देशों की विचारधारा को ध्येय बना कर चलना चाहते हैं उनको इस प्रकार की छूट नहीं देंगे। इसलिये मैं साफ कहना चाहता हूं आपको कुछ कहना चाहता हूं (श्री गृह मंत्री की तरफ इशारा करते हुए) आप कुछ कहना चाहते हैं तो कहिये···

श्री मथुरादास माथुर (गृह मंत्री): आप कह रहे हैं। मुझे कहने की क्या आवश्यकता है?

श्री ज्वालाप्रसाद शर्मा: मैं इशारे से यह समझ रहा था कि आप कुछ कहना चाहते हैं। मैं साफ ही कह देना चाहता हूं कि अगर यह देश उन लोगों को प्रोत्साहन देगा जो चन्द लोग हैं और जिन पर हिन्दुस्तान के सब लोग एक

(श्री ज्वालाप्रसाद शर्मा)

एक दफे थूक भी देंगे तो भी वे थूक से डूब कर मर जायेंगे। जो लोग हिन्दुस्तान की जय नहीं बोलते, वे लोग हमें कमजोर करते हैं।

अब मैं दूसरे नम्बर पर आता हूं। मेरी स्पष्ट धारणा है कि हमारे ऊपर २० अक्टूबर, ६२ को हमला हुआ और २० अक्टूबर को सदन में बातें हुई। मैंने अजीब संगीत देखा, अजब तमाशा देखा, बडी लम्बी चौडी तकरीर हुई, हमारी कॉम्युनिस्ट पार्टी के नेताओं ने उन्हें सब कुछ कहा लेकिन चीन को उन्होंने एग्रेसर नहीं माना और उन्होंने कभी चीन के हमले को हमला नहीं माना।

श्री **कुमारा नन्द** (ब्यावर) : मैं कहना चाहता हूं कि हमने उसको हमलावर माना है। China is aggressor and our party has declared it.

श्री ज्वालाप्रसाद शर्मा : मैं बडे अदब के साथ स्वामीजी, आपसे कहना चाहता हूं कि २० तारीख को जिस समय हमला हुआ था, कॉम्युनिस्ट पार्टी ने उसे हमलावर नहीं माना था। यह आपका प्रश्न नहीं है, यह आपकी पार्टी की बात है। आपकी पार्टी ने उसको हमलावर नहीं माना था।

श्री **कुमारानन्द** : हमने कहा था कि हमलावर है और हमने हमलावर माना है। China is aggressor

श्री ज्वालाप्रसाद शर्मा : स्वामीजी, आपको कुछ जवाब दूं, इतनी हिम्मत मुझमें नहीं है। अगर कोई दूसरा होता तो मैं जवाब देता। मैं यह कह रहा था कि कॉम्युनिस्ट पार्टी ने उसको हमलावर नहीं माना। लोग बहुत उछल-कूद करने लगे हैं, लेकिन मैं जान बूझ कर उनको छोड रहा हूं और जन मानस को उभार रहा हूं कि वे आपको पहिचान लें। आपको होशियार रहने की जरूरत है। आपने इस बात को नवम्बर में जब जनता का आपने रुख देखा और जनता ने इस बात को बर्दाश्त नहीं किया, उस समय आपकी स्थिति ऐसी हो गई थी, आप रूस की तरफ टकटकी लगाये हुए थे। आप तो जनतंत्र के हिमायती हैं और हमारा देश जनतांत्रिक है। इसके अन्दर चीन के हमले को एग्रेसर नहीं मानने वाले भी रह सकते हैं तो जय जगत कहने वाले भी रह सकते हैं और छिप छिप के 'जय चीन' कहने वाले भी रह सकते हैं। आज हमारे राज्य में गाय, बकरी, भेड, शेर सब एक जगह पानी पीते हैं। आज कांग्रेस ने इसके लिये जो भी कदम उठाया है वह मैं यह कहूंगा कि वह देश के हित में है। मैं यह कहूंगा कि अगर देश की ताकत है तो कांग्रेस पार्टी की ताकत है। कोई भी समझदारी से, कोई भी देश में ऑर्गेनाइजेशन है तो उसका गौरव है सिर्फ कांग्रेस को और कांग्रेसमैन ने ही देश को कई दफे इस प्रकार की मुसीबतों से निकाला है और निकाल रही है और आगे भी निकालेगी। मुझे विश्वास है कि जो देश के दुश्मन हैं उनको सबक सिखाया जाय। काम्युनिस्टों को मैं इसलिये कोसता हूं कि वे देश के खिलाफ हैं। जो लोग देश के खिलाफ हैं उन पर सीधा दाव आपका लगना चाहिये, शिकार लगाना चाहिये, कभी छोडना नहीं चाहिये। सब देशवासियों ने अब काम्युनिस्टों को अच्छी तरह पहिचान लिया है और सारे देश को काम्युनिस्टों के नाम से घृणा होने लगी है; तब आपने जाकर १ नवम्बर को अपने यहां प्रस्ताव पास किया कि चीन एग्रेसर है। आज भी मैं आपको कहता हूं कि बंगाल में डांगी के मानने वाले और दूसरे चीन

(श्री ज्वालाप्रसाद शर्मा)

के मानने वाले कॉम्युनिस्ट पार्टी के अलग अलग लोग हैं। मैं किसी पार्टी के खिलाफ नहीं हूं लेकिन जो अपने आकाओं की तरफ देखें, जो दुनिया के बाहर की तरफ देखती है उससे तो हमें हर वक्त होशियार रहना ही होगा। जो पार्टी बाहर से इन्स्पीरेशन लेती हैं उसका पूरा ध्यान रखना है। मैं यह कहूंगा कि जब तक रूस की पोजीशन साफ नहीं हुई तब तक उन्होंने कुछ स्पष्ट रूप से नहीं कहा। दूसरी पार्टी के लोग भी हैं जो दूसरे देशों की तरफ जैसे अमेरिका की तरफ देखते हैं। हम कहते हैं कि कांग्रेस पार्टी उनकी तरफ नहीं देखना चाहती। हम आत्म-सम्मान से खडे रह र हैं और रहेंगे।

मैं कोई एक तरफा बात नहीं करता। मैं आपके सामने रख रहा था कि एक नवम्बर को इन्होंने पास किया कि चायना एग्रेसर है। अभी बंगाल के चीफ मिनिस्टर ने कहा है कि बंगाल में इस दौरान में कॉम्युनिस्टों ने अन्डरग्राउन्ड होकर क्या क्या नहीं किया, उनका अन्दाज गलत निकला। हमें हमारी संस्कृति से प्रेम है। देश भक्ति और हमारे देश भारतवर्ष के लिये हमारे दिलों में प्रेम है। कैसी भी हुकूमत चले, भ्रष्टाचार चले पर संकट के समय देश चट्टान की तरह उठा और इस ताकत ने मजदूरों और किसानों को खडा कर दिया, जिससे दुश्मन के छक्के छूट गये। हमको दगा देनेवालों की कमी नहीं थी पर उनके भी पैर उखड गये। बंगाल में क्या किया, आसाम में क्या किया, वह भी आपके पास सीक्रेट रिपोर्ट होगी। यहां क्या किया, कोई भी आदमी चाहे वह कांग्रस का हो, कांग्रस का ही नहीं भाई हो, मिनिस्टर का बेटा होगा तो भी उसको पकडा जायगा अराष्ट्रीय कार्यवाहियां अगर उसने कीं तो और यहां हमने यह करके बता दिया। इसी लिये कहता हूं कि मजदूर ने चंदा दिया होगा, उनको पकडा तो क्या हुआ, मैं तो कहता हूं जिनको नहीं पकडा, अब पकडना पडेगा..

श्री श्योदत्तसिंह (हनुमानगढ) : (अश्रव्य)

श्री ज्वालाप्रसाद शर्मा: मैं आपकी बात जानता हूं, जमींदार साहब। आपको नहीं छेड़ेंगे, आप तो सिर्फ कन्वेयेन्स हैं। हम आपके मेनर्स को जानते हैं, सबको विश्वास है; पर पार्टी के नामों को बताते रहें, जो तुम्हारी जमीनें खराब करते हैं। होम मिनिस्टर बैठे हुए हैं, अभी तक यही किया है कि नाम बताये उनके।

श्री हरिराम चौहान (तिजारा) : तुम्हारे दबाने से, पकडने से काम्युनिस्ट पार्टी नहीं दबेगी। कॉम्युनिस्ट पार्टी कोई सरकार के रहम पर जिन्दा नहीं; जनता, मजदूर और किसान हैं उन्हीं के बल पर जिन्दा है। आपके रहम पर जिन्दा नहीं है।

श्री ज्वालाप्रसाद शर्मा: उनका बल तो, जनता के सामने जायेंगे तभी उस बल का पता चलेगा। दिल्ली में पता चला था जब जनता ने नोच-नोच कर कपडे फाड दिये थे। आज जरासी शिथिलता आई तो इन्होंने एलान किया है कि टैक्सेज के खिलाफ प्रदर्शन करेंगे।

श्री हरिराम चौहान: किया है, करेंगे और डट कर करेंगे। आपके पुलिस और डर की वजह से दब जायं यह नहीं, अन्दर विरोध करेंगे और बाहर विरोध करेंगे।

Page No 47

श्री ज्वालाप्रसाद शर्मा : चीन के साथ मिल कर कुछ भी किया तो आपको देख लिया जायगा। हम देख लेंगे, आपने कहा है तो।

श्री श्योपतसिंह (हनुमानगढ) : आप अकेले ही देश के ठेकेदार नहीं हो।

श्री ज्वालाप्रसाद शर्मा : मैं मुख्य मंत्रीजी से कहूंगा कि बड़े भोले हैं, इनकी आत्मा की आवाज निकली है, ध्यान रखना। इन्होंने हमारे टैक्सेज का विरोध किया और कहते हैं कि गांवों में जायेंगे। मुझे दूसरी तरफ भी जाना है, समय कम है, मुझे मत छेडो, मुझे जितना छेडोगे उतना ही ज्यादा कहूंगा।

(२.२५ म. प.)

(राव श्री नारायणसिंह उपाध्यक्ष, पदासीन)

दूसरी तरफ मैं एक बात देखता हूं, राष्ट्रीयता में शुबहा नहीं, जो नेशनल लोग हैं सब एक हैं, पर उन सबसे कहना है कि आगाह इस बात से रहें, नेताओं से प्रार्थना करता हूं एमर्जेन्सी और दुश्मन से झगडा है इसको राजनीति से मत मिलाओ। यह तो हम आपस में बाद में निबट लेंगे। जनमत किसी की बपौती नहीं है जितना कांग्रेस ने किया वह आ रही है, आप अच्छा करेंगे तो आप आयेंगे। हम अच्छा करेंगे तो हम आयेंगे।

इन्हीं शब्दों के साथ इन दोनों बिलों का समर्थन करता हूं। ये निहायत जरूरी हैं। जिस सन्दर्भ में मैंने बातें कही हैं. आपको पूरी मुस्तैदी से काम करना है। यही कह कर मैं अपना स्थान ग्रहण करता हूं।

श्री कुमारानन्द (ब्यावर) : On a point of order, Sir, उपाध्यक्ष महोदय, मैं गृह मंत्रीजी को सिर्फ राजस्थान कॉम्युनिस्ट पार्टी की तरफ से ही नहीं, हिन्दुस्तान की कॉम्युनिस्ट पार्टी की तरफ से विश्वास दिलाता हूं कि हमारे देश पर कोई भी हमला करे, चाहे चीन हो, चाहे रूस हो, पाकिस्तान हो या अफगानिस्तान हो, उसके खिलाफ कॉम्युनिस्ट पार्टी लडाई में अगली पंक्ति पर रहेगी।

दूसरी टैक्स के बारे में बात हुई। मैं कहना चाहता हूं कि अगर गैर कानूनी टैक्स लगे हैं तो we shall oppose it, oppose it and oppose it. हम विरोध करेंगे, करेंगे और करेंगे।

एक यह कहना चाहता हूं कि मैं इस बात में विश्वास करता हूं कि हमेशा राजनीति में चेंज होता है, कोई भी हो सकता है। अगर गवर्नमेन्ट का रवैया अच्छा रहा तो मदद करेंगे पर गवर्नमेन्ट का रवैया खाली टैक्स ही टैक्स लगाने का रहा तो देश में रिवोल्यूशन होगा....

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल (जौहरी बाजार, जयपुर) : माननीय उपाध्यक्ष,...

श्री उपाध्यक्ष : सरकारी पक्ष।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : बिल पास हो जायगा, इसमें दिक्कत नहीं है।

श्री मथुरादास माथुर (गृह मंत्री) : बिल तो पास हो जायगा। उपाध्यक्ष महोदय ने सरकारी पक्ष को कहा इसलिये मैं खडा हूं।

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा (रायसिंहनगर) : अभी दो बिल और पड़े हैं, दूसरा बिल ले लें।

Page No 48

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल: दोनों चल रहे हैं।

श्री मथुरादास माथुर: होम गार्ड्स का नहीं चल रहा है।

श्री उपाध्यक्ष: केवल म्युनिसिपैलिटी का चल रहा है। It is only Municipality's Bill going on.

सरकारी पक्ष। सरकारी पक्ष से जवाब होगा।

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा: एक बात मैं क्लीयर करा लूं कि म्युनिसिपैलिटी का ही जवाब देंगे न ?

श्री मथुरादास माथुर (गृह मंत्री): होम गार्ड्स का तो कन्सीडरेशन स्टेज पर रखा ही नहीं गया है। म्युनिसिपैलिटीज का ही जवाब दूंगा।

माननीय उपाध्यक्षजी, राजस्थान म्युनिसिपैलिटीज (अमेंडमेंट) बिल, १९६३ सदन के सामने प्रस्तुत है और सदन के माननीय सदस्यों ने, करीब करीब ९-१० माननीय सदस्यों ने इसमें हिस्सा लिया और माननीय उपाध्यक्ष, गोया कि यह बिल एक छोटा, एक क्लॉज का बिल था, पर इस बिल के सहारे जो सदन में बहस हुई तो ऐसा प्रतीत होता था जैसे आज कोई हम म्युनिसिपैलिटी की डिमाण्ड पर बहस कर रहे हैं। सब तरह की बातें इस बिल के सिलसिले में चर्चा करते समय कही गई और हमें इस बात की खुशी है कि माननीय सदस्यों ने इस बात के ऊपर चर्चा करते वक्त सिर्फ म्युनिसिपैलिटी और इसके दायरे के अलावा बाहर के राजनैतिक पहलू और प्रश्नों पर चर्चा की।

मैं, उपाध्यक्ष जी, जहां तक इस बिल से सम्बन्ध की बातें हैं, उनके बारे में शुरू में कहूंगा और फिर जो बड़े बड़े मुद्दे उठाये हैं जिनके बारे में सरकार को जवाब देने का कहा गया है उनको भी मैं अपनी ओर से साफ करने की कोशिश करूंगा।

हमारे राजस्थान पंचायत एक्ट में इस तरह का प्रावधान चलता आ रहा है कि सरकार चाहे तो हमारी पंचायतों में इस तरह के स्वयं सेवक दल बना सकती है। यह उस वक्त प्रावधान रखा गया था जब न तो देश में एमर्जेन्सी थी और न कोई एमर्जेन्सी होने की आशंका थी। सदन के माननीय सदस्यों ने इसको महसूस किया कि पंचायती राज्य के अन्दर गांव गांव में इस तरह के स्वयं सेवक दल बनाने चाहियें जिनसे कि पंचायती राज्य का काम और जहां तक जनता की सुरक्षा का प्रश्न है वह उन लोगों के जरिये से किया जा सके। इस तरह का प्रावधान उपाध्यक्षजी, पहले से ही चला आ रहा था। उसके बाद में इस सदन के समक्ष मैंने, उपाध्यक्षजी, होम गार्ड्स का बिल इस सदन के सामने रखा था और सदन के माननीय सदस्यों ने जनता की राय के लिये, पब्लिक ओपीनियन के लिए भेजने का फैसला किया था, उस वक्त भी इस देश के अन्दर न संकटकालीन स्थिति थी और न संकटकालीन स्थिति होने की संभावनायें नजर आती थी। उसके बाद में उपाध्यक्षजी, संकटकालीन स्थिति चीन के आक्रमण को लेकर पैदा हुई और पैदा होने के कारण जो प्रावधान पंचायत एक्ट के अन्दर रखे गये थे विलेज वॉलन्टियर फोर्स की रचना राजस्थान में शुरू की। भारत सरकार ने भी स्वीकार

(श्री मथुरादास माथुर)

किया और देश भर के अन्दर विलेज वालन्टियर फोर्स बनाने का फैसला हुआ । उस वक्त यह प्रश्न, माननीय उपाध्यक्षजी, सरकार के सामने आया । गांवों में जब हम स्वयं सेवक दल बना रहे हैं और उन संस्थाओं के जरिये से बना रहे हैं जो स्वायत्त शासन संस्थायें हैं, पंचायती राज की अंग हैं । हमारे शहरों में और कस्बों में म्युनिसिपैलिटियां और बोर्ड कायम हैं वहां पर टाउन विलेज वालन्टियर फोर्स बनाने का सवाल उस वक्त आया था । गांवों के अन्दर पंचायतें और पंचायत समितियां विलेज वॉलन्टियर फोर्स बनायें, शहरों और कस्बों में म्युनिसिपैलिटियां स्वयं सेवक दल क्यों न बनायें और म्युनिसिपैलिटीज के अन्दर सिविल डिफेन्स का प्रश्न आने से गम्भीरता पूर्वक इस पर विचार किया गया और फैसला किया गया कि म्युनिसिपैलिटीज एक्ट के मातहत इस तरह की संस्थायें कायम की जायं और इस प्रकार से म्युनिसिपल एक्ट में इस तरह की तरमीमात करने की आवश्यकता हुई । चूंकि सदन मिल नहीं रहा था इसलिये ऑर्डिनेन्स के रूप में इस चीज को बनाया गया और यह जारी किया गया ।

माननीय उपाध्यक्षजी, जिस वक्त विलेज वालन्टियर फोर्स बनायी उस वक्त होम गार्ड्स फोर्स बनाने का फैसला कर लिया गया और इसके लिए ऑर्डिनेन्स भी इश्यू हो चुका था । कस्बों के अन्दर और शहरों के अन्दर जो अधिकार म्युनिसिपैलिटीज को हैं, जब विलेज के अन्दर वालन्टियर फोर्स बन सके तो होम गार्ड्स शहरों और कस्बों के लिये कायम हो जायं । उपाध्यक्षजी, १६ जिलों में होम गार्ड्स बनाने का फैसला किया गया है । राजस्थान में १४२म्युनिसिपैलिटियां हैं और अगले साल हम ६ हजार स्वयं सेवक दल होम गार्ड्स में भर्ती करेंगे और जिला केन्द्रों पर प्रचार करेंगे । बजट में प्रावधान रखा है जो माननीय सदस्यों ने देखा होगा । फिर भी होम गार्ड्स एक डिस्ट्रिक्ट हेड क्वार्टर पर या एक जिले की संस्था बन जाती है । या एक जिले में सात, सात, आठ, आठ टाउन्स हैं जहां होम गार्ड्स नहीं बन सकते । मिसाल के तौर पर मैं अर्ज करूं जयपुर शहर में दो कम्पनियां होम गार्ड्स की बनायी । जयपुर शहर या कई बड़े बड़े कस्बे हैं, टाउन्स हैं, मिसाल के तौर पर सांभर है । दो सौ होम गार्ड्स और दो सौ आगे जाकर और कर दें, ४०० की बटालियन बन जावेगी, ज्यादातर जयपुर या आसपास के कहीं के होंगे । देहात से होंगे, किसी कस्बे से दो, पांच आदमी होंगे । वह और चीज है । सांभर के अन्दर म्युनिसिपैलिटी को अधिकार दें कि तुम वालन्टियर फोर्स कायम करो तो लोकल-जो लोकल भावना होती है, पेट्रियोटिज्म होता है, संकटकालीन स्थिति जंग से या कुदरत से पैदा हो जाय, मुकाबला करना पड़े तो म्युनिसिपैलिटीज के कन्धों पर जिम्मेदारी है, तो उस वक्त म्युनिसिपैलिटी के पास फोर्स नहीं होती है, इस तरह की फोर्स हो तो बुलाया जा सकता है । जहां जहां ऐसे वाकये हुए हैं, म्युनिसिपल एरिया में कहीं आग लग गयी हो, छोटा कस्बा हो, पुलिस का स्टेशन हो, कहीं कहीं नहीं भी है, जहां आग लग जाय, शोरा का गोदाम हो वह फट जाय, ऐसे समय में जहां स्वयं सेवकों की जरूरत पड़ती है, तो सेवा समितियों के लोग और मुख्तलिफ राजनैतिक संस्थाओं के दल स्वयं सेवक दल बना कर काम करते हैं, म्युनिसिपैलिटी के अलावा भी काम करते

(श्री मथरादास माथुर)
हैं । तो हमने देखा है कि म्युनिसिपैलिटीज को स्वयं सेवक दल बनाने का अधिकार देते हैं तो कस्बों में भी मिलना चाहिये । होम गार्ड का विरोध नहीं है ।

राजस्थान में १४ हजार होम गार्ड्स बनाने का है । इस साल दो हजार, अगले साल ६ हजार और फिर १४ हजार तक इसको पहुंचायेंगे । अलग अलग देहात के होंगे । यह पुलिस की एक और ऑग्जीलियरी फोर्स है । होम गार्ड्स का काम और विलेज वालन्टियर फोर्स का काम जुदागाना है । उसको लाठी की ट्रेनिंग दी जावेगी, राइफल की ट्रेनिंग उतनी नहीं दी जा सकती जितनी कि होम गार्ड को दी जाती है । पुलिस की सहयोगी ऑग्जीलियरी फोर्स बन कर काम कर सके उसके लिये होम गार्ड बनायी है । गांवों के अन्दर वालन्टियर फोर्स बनाते हैं तो आपत्कालीन स्थिति में काम आ सके, जैसे सेनिटेशन बिगड जाय, रोज म्युनिसिपैलिटीज सेनिटेशन का काम करती हैं । मान लीजिये कि कोई घटना हो गई, डेब्रिस हो गया, म्युनिसिपैलिटी के दस-पन्द्रह आदमी नहीं कर सकते तो यह उसके लिये दल बनाया गया है। शुरू शुरू में यह बहस चली कि यह डुप्लीकेशन है । होम गार्ड भी हैं और यह भी बना रहे हैं तो यह नहीं बनाना चाहिये, यह सुपरफ्लुअस है । मेरा निवेदन है कि कोई सुपरफ्लुअस नहीं है । डेमोक्रेसी है, प्रजातन्त्र में जनता का सहयोग लेना चाहते हैं । जहां जहां से मिले, लेना चाहते हैं । १४ हजार का कोटा है । एक्ट्रेट होकर आ जाते हैं तो खुशी की बात है । हमारे रूल्स गजट में शाया किये हैं उसमें यह कहा है कि गांवों में आदमी या म्युनिसिपैलिटीज में धार्मिक संस्थायें, सेवा संस्थायें बनाया करते थे, जैसे मेलों में पानी पिलाना है, भीड को हटाना है, जहां पुलिस नहीं जा सकती वे आज भी करते हैं । म्युनिसिपैलिटी ने जो रूल्स बनाये वे सब एन्यूमरेट कर दिये । यह न समझें कि यह कोई पुलिस दल बना रहे हैं या पुलिस का सहयोगी दल बना रहे हैं। सेवा का दल बना रहे हैं जिसका काम म्युनिसिपैलिटीज को मदद करने के लिये है, जैसे एपेडेमिक फैली, सफाई करना है, इस प्रकार के जो काम हैं, उनको करने के लिए यदि कोई स्वयं सेवक दल ट्रेन्ड होगा तो आगे आवेगा । म्युनिसिपैलिटी की दूसरी लिम्ब है । दूसरा प्रश्न यह है कि इस दल के लिए खर्चा कौन देंगे ? इसकी आड में जो म्यूनिसिपेलिटीज की तकलीफें थीं, खाराबियां टैक्स सब माननीय सदस्यों ने बातें कह डाली। इस प्रकार की दलीलें सदन में खूब चलीं। दलीलों के लिए तो काफी कहा जा सकता है। लेकिन मेरा नम्र निवेदन करना है कि इसमें प्रावधान रखा है कि चीफ ऑफिसर रखा जावेगा, वह ट्रेनिंग लेगा। राज्य सरकार उसका खर्चा बर्दाश्त करेगी। रूल्स में यह बात साफ कर दी है। वर्दी और ट्रेनिंग दी जावेगी। खर्चा सब राज्य सरकार ट्रेनिंग का करेगी । मुकम्मिल कोर्सेज, केरिकुलम क्या होंगे यह सब उसमें दिये गये हैं। डाक्टर, एस. पी., डी. एम. ओ. डी., एम.ओ.डी.एम.एच.ओ. पांच चार आदमियों के नाम दिये हैं, ये कोर्सेज और केरिकुलम बनावेंगे, चीफ ऑफिसर को ट्रेनिंग देंगे। म्युनिसिपल लिमिट में जाकर २० आदमियों का स्क्वेड बनेगा।

(श्री मथुरादास माथुर)

इसको आप प्लेटून कह दीजिये। स्क्वेड के बन जाने के बाद म्युनिसिपैलिटी उसके खर्चे का भी इन्तजाम करेगी। जहां कहीं विशेष खर्चा हो वहां सरकार भी सहयोग दे सकती है। म्युनिसिपैलिटी अपने खर्चे से काम करे, जनता से लिया जा सकता है सियासी संस्थायें अपना स्वयं सेवक दल बनाती हैं वर्दी खुद बना लेती हैं। उसमें चाहिये हाफपेन्ट बनियान और टोपी इतना तो हर म्युनिसिपैलिटी खर्चा बरदाश्त कर सकती है। कोई गरीब आदमी अगर नहीं बना सकता तो म्युनिसिपैलिटी उसको बना कर दे सकती है। इसमें कोई चार-पांच हजार रुपये की खर्च की बात हो सो नहीं है। छोटी म्युनिसिपैलिटियें एक दो स्क्वेड रेज करेंगे। एक टोपी, नेकर, कमीज देना होता है, और ट्रेनिंग का जहां तक सवाल है चीफ ऑफिसर ट्रेनिंग देगा उसका खर्चा सरकार बर्दाश्त करेगी। सौ, पचास रुपये की अगर किसी में कमी रहती है हम उसको सहयोग देंगे। चीफ ऑफिसर को पचास, साठ रुपये माहवार दे सकते हैं। सरकार ने इस बात का फैसला किया है हम इसमें पूरा को-ऑपरेशन देंगे। इसके अलावा जैसा कि राज्यपाल महोदय ने भी अपने भाषण में कहा था हम प्रति व्यक्ति आठ आना के हिसाब से म्युनिसिपैलिटी को सहायता देंगे, without any Condition देने वाले हैं। पचास हजार आबादी वाली म्युनिसिपैलिटी को २५ हजार इसी तरह से जयपुर में जहां चार लाख की आबादी है २ लाख रुपया सालाना मदद मिलेगी। उसमें कोई कन्डीशन नहीं रखी है। इसके अलावा विकास के लिये चालीस से साठ प्रतिशत तक सहयोग सरकार देती है। उसके बावजूद भी अगर किसी म्युनिसिपैलिटी की हालत खराब है आर्थिक स्थिति ठीक नहीं है और वह स्वयं सेवक दल बनाना चाहती है, जरूरी समझेंगे तो उसका खर्चा भी दिया जा सकता है। हम कॉन्टिन्जेन्सीज से म्युनिसिपैलिटी को दे सकते हैं, बहुत बडा खर्चा नहीं होगा।

इनके लिये राईफल या अन्य आर्म्स का सवाल नहीं, इनको तो लाठी की शिक्षा दी जायगी। सेठ साहूकार भी दे देंगे, पब्लिक कॉन्ट्रीब्यूशन द्वारा भी ये साधन जुटाये जा सकते हैं। यह कोई बडा भारी खर्चा हो जैसा कि माननीय सदस्यों ने बताने की चेष्टा की वैसी बात नहीं है। मैं तो जब इस बिल को पायलोट करने के लिये खडा हुआ तो मैं यह समझ रहा था कि यह तो बिल्कुल इन्नोसेन्ट बिल है, इस पर किसी को एतराज नहीं होगा, इस ऑर्डिनेन्स का कोई विरोध नहीं करेगा लेकिन इस पर भी बहस चल पडी। इस पर बोलते हुए माननीय सदस्यों ने म्युनिसिपैलिटी के आपसी झगडे और उनको सहायता आदि का भी जिक्र कर दिया।

इस सिलसिले में जयपुर से आने वाले माननीय सदस्य ने कोटा म्युनिसिपैलिटी का जिक्र कर दिया। बिल के स्कोप के अन्दर तो वह नहीं आता है फिर भी जब उस पर डिस्कसन हो गया तो सदन की जानकारी के लिये मैं भी निवेदन कर दूं। माननीय सदस्य ने कहा कि चूंकि वहां पर जन-संघ की म्युनिसिपैलिटी है इसलिये सरकार ने उसको एड नहीं दी और जो भूमि का बेचान होता है उसकी आमदनी मंडी कमेटी लेती है। मैं उपाध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्यों को बता देना

(श्री मथुरादास माथुर)
चाहता हूं कि किसी भी म्युनिसिपैलिटी को एड नहीं दी गई। लेकिन जहां तक कोटा म्युनिसिपैलिटी का सवाल है उसको हर साल ७५ हजार रुपया मिलता है और इस साल भी मिला है। जहां पर अरबन इम्प्रूवमेन्ट बोर्ड है वहां पर जमीन बिकती है उसकी आमदनी म्यूनिसपैलिटी को नहीं मिलती लेकिन इसके बावजूद कोटा की म्युनिसिपैलिटी को ७५ हजार रुपया सालाना दिया जाता है। इसके लिये माननीय सदस्य को धन्यवाद देना चाहिये..............

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल (जौहरी बाजार, जयपुर): अधिकारियों को दे देंगे।

श्री मथुरादास माथुर: साथ साथ अलवर से आने वाले माननीय सदस्य ने बिल के स्कोप में नहीं आते हुए भी इस अवसर को उपयुक्त समझ कर उनके साथी जो नजरबन्द हैं उनके बारे में चर्चा की। उपाध्यक्ष महोदय, इस बारे में इस ओर बैठने वाले और उस ओर बैठने वाले और सामने बैठने वाले माननीय सदस्यों की अलग अलग ध्वनि सुनने को मिली। जहां तक सरकार की नीति का सम्बन्ध है वह इस अवसर पर रखूं हालांकि इस बिल के साथ उसका कोई सम्बन्ध नहीं है फिर भी जब बात उठायी गई तो मुझे भी नम्रता के साथ निवेदन करना जरूरी हो गया है। हमारी इस बारे में नीति बिल्कुल स्पष्ट है जो अराष्ट्रीय तत्व हैं चाहे वे किधर ही बैठते हों उनको इधर या उधर बैठने का हक नहीं उनको जिस जगह पर रखना चाहिये, उसी जगह पर हमने उनको रखा है। इसके साथ साथ यह प्रश्न उठता है कॉम्युनिस्ट पार्टी की बात लेकर कॉम्युनिस्ट चीन द्वारा जब हिन्दुस्तान पर हमला हुआ उसके बाद में जब कॉम्युनस्टि पार्टी द्वारा किसी प्रकार का प्रस्ताव सामने नहीं आया। जब इस मामले के बारे में उनकी आन्तरिक सभाओं में विचार हो रहा था जहां तक राजस्थान का सम्बन्ध है यहां के कॉम्युनिस्ट पार्टी के नेताओं ने कहा कि हम चीन का मुकाबला करेंगे। इसके बाद भी हम उनकी बातों को न मानें यह हमारी समझ में नहीं आता। हम यह मान कर चलते हैं कि जो उन्होंने कहा वे उस पर डटे रहेंगे लेकिन फिर भी हमें सावधानी बरतनी पड़ेगी। उनमें से कुछ साथी ऐसे हैं जिन्होंने पार्टी में इस प्रस्ताव के बहस के दौरान में यह कहा था कि चीन एग्रेसर नहीं था। जिन्होंने पार्टी के अन्दर इस बात का घोर विरोध किया था उनके प्रति सरकार को उचित कदम उठाना पड़ा। कॉम्युनिस्टों को हम यह नहीं समझते कि हर कॉम्युनिस्ट गद्दार है। लेकिन जिन्होंने वोट दिया और इस बात पर जोर दिया कि चीन ने हमला नहीं किया उनको हमने नजरबन्द कर रखा है। जब तक वे अपना दामन साफ नहीं कर लेते उनको छोड़ने का सवाल नहीं।

श्री हरिराम चौहान (तिजारा): आपने वोट की बात कहां देखी?

श्री मथुरादास माथुर: हमको बहुत सी बातें मालूम हैं जिनको पब्लिक इन्ट्रेस्ट में बताना नहीं चाहता..........

श्री हरिराम चौहान: जरा बताइये कौनसी बातें हैं?

श्री मथुरादास माथुर: मोहन पूनमिया को नजरबन्द कर रखा है जिन्होंने इस प्रस्ताव के खिलाफ वोट दिया था। इसके हमारे पास पूरे सबूत हैं....

श्री श्योपतसिंह (हनुमानगढ):यह झूठा प्रचार कर रहे हैं।

श्री हरिराम चौहान: जरा रहम करिये, रहम खाइये।

श्री मथुरादास माथुर: जो बात सच है मुझे कहने में संकोच नहीं है। आप भी इस बात को स्वीकार करेंगे कि. उन्होंने वोट खिलाफ दिया था और उन्हीं सदस्य को नजरबन्द कर रखा है।

श्री कुमारानन्द (ब्यावर): आप उनको छोड़ दीजिये।

श्री मथुरादास माथुर: मैं मजबूर हूं।

श्री कुमारानन्द: Point of order, Sir, आप कॉमरेड पूनमिया को छोड़ दीजिये मैं उनका जिम्मा लेने के लिये तैयार हूं वे अच्छा काम करेंगे।

श्री मथुरादास माथुर: स्वामीजी, आप जिम्मेदारी लेने को तो तैयार हैं लेकिन फिर यदि कोई गड़बड़ हो जाय तो मेरा जिम्मा कौन लेगा ?

श्री हरिराम चौहान Point of order, Sir.

श्री उपाध्यक्ष: Order! Order!!

श्री मथुरादास माथुर: उपाध्यक्ष महोदय, मैं इस बात में जाना नहीं चाहता था किन्तु कॉम्युनिस्ट पार्टी के माननीय सदस्य ने ही इस बात को यहां उठाया तो मुझे मजबूरन सारी परिस्थिति का दिग्दर्शन कराना पड़ा। इस तरह से खामख्वाह वे लोग जो अपना दामन साफ नहीं कर लेते उनके साथ किसी प्रकार की भी रियायत बरतने का सवाल नहीं।

श्री हरिराम चौहान: Point of order, Sir, उपाध्यक्ष महोदय जो माननीय गृह मंत्री ने जानकारी दी है मैं यह समझता हूं कि वह जानकारी बिल्कुल गलत है।

श्री उपाध्यक्ष : That is no point of Order.

श्री हरिराम चौहान: जिन्होंने रिजोल्यूशन के विरोध में वोट दिया, जिनका रिजोल्यूशन से संम्बन्ध है उसके अन्दर एक आदमी है। बाकी तीन आदमियों को क्यों गिरफ्तार किया गया, वे अब भी कौन्सिल के मेम्बर नहीं। यह आपको जानकारी नहीं है।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल (जौहरी बाजार जयपुर) वे एक कौन हैं ?

श्री हरिराम चौहान : तो यह जो जानकारी दी है कि महज इस बिना पर गिरफ्तारी की गई है।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : कौन हैं, आप नाम नहीं बता सकते तो...

(शोरगुल)

श्री उपाध्यक्ष : Order please ! Order !!

श्री हरिराम चौहान : On a point of order......

श्री उपाध्यक्ष: माननीय सदस्य ? Order please ?

श्री श्योपतसिंह : गांधीजी के हत्यारों से हम कोई शिक्षा नहीं लेना चाहते।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : गद्दारों को तो गिरफ्तार किया ही जावेगा।

Page No 54

श्री उपाध्यक्ष : Order please ! Order !!

श्री कुमारानन्द : जवाहरलाल नेहरू के खिलाफ षडयन्त्र करने वालों को पकडा जाना चाहिये। उन्हें सजा दी जानी चाहिये।

(शोरगुल)

श्री उपाध्यक्ष : Order please ! Order!!

माननीय सदस्यगण । Order please!

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : जो गद्दारों की वकालत करते हैं वे भी गद्दार हैं।

(शोरगुल)

श्री कुमारानन्द : गद्दार वे हैं जो देश को अमेरिका के हाथों गिरवी रखना चाहते हैं।

(शोरगुल)

श्री उपाध्यक्ष : आप स्थान ग्रहण करें।

श्री कुमारानन्द : जवाहरलाल नेहरू के खिलाफ षडयन्त्र किया है। इनको सजा दिलानी चाहिये ।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : स्वामीजी, नेहरूजी के नाम की आड लेकर ज्यादा नहीं ठहर सकोगे ।

(शोरगुल)

श्री योगेन्द्रनाथ हाडा (रायसिंहनगर) : हम जानते हैं आपकी देशभक्ति का इतिहास कब से शुरू हुआ है। हम परिचित हैं अच्छी तरह ।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय हांडा । Order please !

श्री कुमारानन्द: माननीय उपाध्यक्षजी, On a point of information, I ask, Mr. Chariman, to whom should I go to prove my loyalty in India. I have sacrificed my life for the Motherland and if they call me a traitor, do you think me a traitor ?

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल: जो गद्दार हैं हम उनके लिये कहते हैं। स्वामीजी, हम आपको गद्दार नहीं समझते ।

(शोरगुल)

श्री ज्वालाप्रसाद शर्मा (नसीराबाद) : आपको स्वामीजी किसने कहा है ?

(शोरगुल)

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल: हम तो यह कहते हैं····

श्री उपाध्यक्ष : मैं निवेदन करूंगा कि यह तरीका आपस में झगडने का यहां पर ठीक नहीं । विधिवत् बहस करें ।
Order please ! order !!

(अनवरत शोरगुल)

माननीय सदस्यों ने एस्पर्शन जाहिर किये हैं एक दूसरे पर on this side and that there should be no aspersions on this side or that.

Yes, Hon'ble Minister, Please continue.

श्री मथुरादास माथुर: मुझे इस बात का खेद है कि खामख्वाह मैंने इस प्रश्न का जिक्र कर दिया वर्ना शायद इस तरह की सदन में गर्मागर्मी और हीट पैदा नहीं होती । पर मेरी मजबूरी थी, क्योंकि अलवर से आने वाले साथी ने और जयपुर से आने वाले साथी ने इस प्रश्न पर सरकार की नीति को साफ करने के लिये बाध्य किया था ।

मैं निवेदन करना चाहता हूं, मैं कॉम्युनिस्ट बैंचों पर बैठने वाले साथियों से नम्र निवेदन करना चाहता हूं कि हमने इस पार्टी को बैन नहीं किया है, कॉम्युनिस्ट

(श्री मथुरादास माथुर)

पार्टी के हरेक सदस्य को हम गद्दार नहीं समझते हैं। इसलिये हरेक आदमी अपने नुक्ते निगाह से इसको देखने की कोशिश न करें। स्वामीजी हरेक बात अपने पर ले लेते हैं। मैं स्पष्ट कर दूं कि उनकी हमारे सामने बडी इज्जत है। हम उनको बडी इज्जत की निगाह से देखते हैं और हम जानते हैं कि देश पर अगर हमला हुआ तो स्वामीजी का एक एक कतरा देश की हिफाजत के लिये गिरेगा; इसमें कोई दो राय नहीं हैं। और भी कॉम्युनिस्ट पार्टी के सदस्य जो यहां हैं उन पर अगर हमको शक होता तो मुझे उनको डिफेन्स ऑफ इण्डिया एक्ट में लेकर जेल के अन्दर करने से कौन रोक सकता था? इसलिये आप भी अपने पर न समझें।

श्री हरिराम चौहान : पूनमिया ने कौनसा काम किया है ऐसा सुरक्षा के लिये, उससे कौन सा खतरा था?

श्री मथुरादास माथुर : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, यह परम्परा ठीक नहीं है। हमने भी जब वे बोल रहे थे तो शान्ति से सुना है। उन्होंने भी सरकार को बहुत कुछ कहा है, 'सरमायेदार परस्त' और न जाने क्या क्या कहा है। अब आप हमें सुनने की क्षमता नहीं रखते। साम्यवाद का ठेका कोई उन्होंने ही ले लिया हो, ऐसा नहीं है। हमने भी चार किताबें पढी हैं।

तो मैं स्पष्ट कर दूं कि जिन आदमियों पर शक है, जब तक वह शक साफ नहीं होगा तब तक चाहे वह साम्यवादी हो, चाहे समाजवादी हो, कोई हो उसका स्थान वहां के सिवाय और जगह नहीं हो सकता। फिर मैंने उसको पार्टी की निगाह से नहीं पकडा है, विचारधारा की वजह से पकडा है। माननीय सदस्यों ने खुद ने यह मन्जूर किया था कि उनमें से एक आदमी ऐसा था कि जो नेशनल कौंसिल का मेम्बर था और जिन्होंने आपके प्रस्ताव के खिलाफ वोट दिया है और कई बार कहा है कि चीन ने हमला नहीं किया। जिस तरह दूसरे कॉम्युनिस्ट साथियों ने खुल कर कहा है कि चीन ने हमला किया है हम पर, वह एग्रेसर है और हम अपनी पार्टी की इस नीति में विश्वास करते हैं, देश की नीति में विश्वास करते हैं। तो ऐसी स्थिति में वे नहीं थे इसलिये हमने उनको गिरफ्तार किया है। अब भी अगर वे ओपनली यह लिख कर देंगे तो हम विचार करेंगे और मैं निवेदन करना चाहता हूं कि उन मित्रों ने इस तरह से ओपनली लिख कर नहीं दिया है इसलिये वे नजरबन्द पडे हैं।

यह कहा गया कि फलां ने मिल मजदूरों से काफी चन्दा सुरक्षा कोष में करवाया है और काफी सबूत दिया है। मैं बहुत अदब से निवेदन कर दूं आपको कि आप बुरा मत मानियेगा, गुस्सा मत करियेगा अगर मैं यह कह दूं कि आज देश में ऐसी फिजा है कि इसके सिवाय आपके पास कोई रास्ता नहीं है। आप क्या यह समझते हैं कि हजार, पन्द्रह सौ, पांच सौ या छः सौ की बात छोड दीजिये बाकी क्या वे सभी आपके साम्यवाद को समझते हैं? चीन, रूस की नीति को समझते हैं? यह चन्दा क्या इसलिये दिया है उन्होंने कि आप प्रजातन्त्र के खिलाफ आवाज़ उठाते हैं? अगर आप आज उनको इस तरह कहेंगे भी तो वे आपके इस लाल झंडे की भी परवाह नहीं करेंगे, वे भारत माता के लिये मरने को तैयार हो जावेंगे, कोई भी सेक्रिफाइस वे कम नहीं समझेंगे इसके लिये।

Page No 56

(श्री मथुरादास माथुर)
इसलिये प्रस्ताव पास किये गये थे । अगर कॉम्युनिस्ट पार्टी के लीडर आज उनको यह कहने की जुरंत करें कि तुम सुरक्षा में काम मत करो तो उनकी लीडरी खतरे में हो सकती है ।

(शोरगुल–अनवरत शोरगुल)

उपाध्यक्ष महोदय, मैं यह निवेदन कर रहा था । मैं यह नहीं कहता कि आपने यह कहा, वह कहा । आप क्यों परेशान होते हैं ?

(व्यवधान)

मैं जो बात है वही कहूंगा । मैं कॉम्युनिस्ट पार्टी को और नुक्ते निगाह से नहीं देखता । मैं तो जो बुरा करेगा उसको देखूंगा । उसको रोकूंगा । जो अच्छे हैं उनको अन्दर रखने की जरूरत नहीं । वे भी देशभक्त हैं और हम भी हैं ।

साथ साथ यह भी कहा गया कि सरमायेदारों की संस्था है कांग्रेस । इस बिल के टैक्सों को लेकर भी प्लेटफॉर्म बन गया और भी कितने प्लेटफॉर्म खोले गये हैं । मैं क्षमता रहते हुए भी अभी उसमें नहीं जाना चाहता । पर इतना मैं स्पष्ट कर दूं कि हम काफी क्षमता रखते हैं ऐसे आन्दोलनों को सम्भालने की ।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : यह कॉम्युनिस्ट मेम्बरों ने कहा है, बाकी किसी ने नहीं ।

श्री कुमारानन्द : On a point of information, Sir, जिन लोगों ने हिन्दुस्तान में श्री कृष्ण मेनन के खिलाफ षडयन्त्र करने के बाद और उन्हें मिनिस्ट्री से हटाने के बाद नेहरू की ताकत को हथियाने की कोशिश की है, उनके खिलाफ षडयन्त्र किया है, उनको सजा मिलनी चाहिये या नहीं, मैं यह जानना चाहता हूं होम मिनिस्टर साहब से ?

श्री ज्वालाप्रसाद शर्मा : वे देश के नेता हैं । उनको किसी की इमदाद की जरूरत नहीं है ।

श्री श्योपतसिंह (हनुमानगढ) : उनके खिलाफ एक्शन लिया जाना चाहिए जिन्होंने नेहरूजी के खिलाफ षडयन्त्र रचा ।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : चीन के एजेन्टों के कारनामे किसी से छिपे नहीं हैं । सब जानते हैं···हम उनकी नीति का विरोध करते है , उनका नहीं ।

(शोरगुल)

श्री उपाध्यक्ष :Order plese ! Order !

श्री मथुरादास माथुर : स्वामीजी का प्रश्न एक बहुत बडा सिद्धान्त का प्रश्न हो सकता है और स्वामीजी नेहरूजी की नीति और जहां तक उनकी विदेश नीति और आर्थिक नीति का प्रश्न है वे उसको ठीक समझते हैं और हम भी इधर बैठने वाले उसको ठीक समझते हैं और कोई उसे ठीक न समझे तो देश की सुरक्षा पर आक्षेप न होते हुए इस डेमोक्रेसी में उनको और उनकी नीति को क्रिटिसाइज करने का अधिकार है, आजादी है ।

श्री भैरोंसिह (किशनपोल, जयपुर) : आपकी नीति में और श्री नेहरू की नीति में अन्तर है क्या ?

श्री मथुरादास माथुर: नहीं है।

श्री भैरोंसिंह: तो क्या वे श्री नेहरू की नीति का तो समर्थन करते हैं और कांग्रेस का नहीं ? यह नेहरूजी का समर्थन उनको मुबारक हो।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल: नेहरू जी का समर्थन करके वे कांग्रेस की जड़ें काटते हैं यह तो कॉम्युनिस्टों की नीति है।

श्री उपाध्यक्ष: इस तरह से परस्पर बात करना सदन की परम्परा के प्रतिकूल है।

श्री हरिराम चौहान: वे गांधीजी के··

(शोरगुल)

श्री उपाध्यक्ष: श्री हरिराम···

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल: अब गया जमाना, क्या रखा है इन बातों में···

(अनवरत शोरगुल)

श्री उपाध्यक्ष: मैं माननीय सदस्यों से निवेदन करूंगा कि आपस में इस तरह से वाद-विवाद न करें।

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा: जो गोलियां आपकी पिस्तोल में गांधीजी के लिये थीं वे नेहरू के लिये भी हैं····

(शोरगुल)

श्री भैरोंसिंह: वे गोलियां आपको भी नहीं छोडेंगी····

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल: चीन के गुलामों को भी देश जानता है····

(शोरगुल)

(अनेक सदस्य, सर्व श्री श्योपतसिंह, हरिराम, योगेन्द्रनाथ हांडा इत्यादि एक साथ बोलते रहे—अश्रव्य)

श्री उपाध्यक्ष: Order please; order !!

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल: ये कांग्रेस को और गृह मंत्रीजी को तो सरमायेदार कहते हैं, क्योंकि वे जानते हैं कि चीन के एजेन्ट कौन हैं ?

(शोरगुल)

श्री उपाध्यक्ष: आपस में बात नहीं करनी चाहिये।

(३ म. प.)

श्री मथुरादास माथुर (गृह मंत्री): माननीय उपाध्यक्ष जी, राजनैतिक कारणों से किसी को कहा जाय, समझ में आ सकता है, भावना से कहा जाये यह भी समझ में आ सकता है, लेकिन बुद्धिजीवी कहलानेवाले कहते हैं तो उनके लिए जवाब देना अनिवार्य हो जाता है। जो साथी हमें सरमायेदार कहते हैं हम आखिर एक ही बीज से निकले हुए पौधे हैं। इत्तफाक से इधर जगह नहीं रही तो दूसरी जगह चले गये, बाकी हम सरमायादार नहीं हैं। जो अलवर से आने वाले साथी हैं उनसे तो एक-दो वर्ष ज्यादा ही देश की आजादी के लिये बिताये होंगे। हम हमराही थे, आज भी अलग नहीं हैं और आप अलग करने की कोशिश करते हैं तो आपकी मर्जी। हम चाहते हैं कि देश में डेमोक्रेटिक सोशियलिज्म की बात यह पार्टी कहती है, आपका इसमें विश्वास है, हमारे ऊपर विश्वास है। हम तो अपनी नीति से चलते हैं जिसको साथ चलना है वह चले। यह

Page No 58

(श्री मथुरादास माथुर)

कारवां तो चलता ही रहेगा । जिस उद्देश्य को लेकर हम चल रहे हैं उसको पूरा करेंगे और अगर वह पूरा नहीं हुआ तो हमारे बाद में आने वाली पीढी उसको पूरा करेगी । हिन्दुस्तान के अन्दर जब तक डेमोक्रेटिक सोशियलिज्म नहीं आ जाता हम बराबर प्रयत्न करते रहेंगे । मैं निवेदन करूंगा कि इस छोटे से बिल को लेकर इस सदन में काफी विचार आये और उनका इस सदन ने मौका दिया इसलिये इस बिल को मुबारकबादी थी····

श्री अब्दुल जब्बार (निम्बाहेडा) : अजगर का बिल था ।

श्री मथुरादास माथुर : इसलिए जो भ्रम इसके लिये पैदा हुए हैं उनको भी मैंने साफ करने का प्रयत्न किया है । मैं उम्मीद करता हूं कि आप इस बिल को पास करेंगे ।

श्री ज्वालाप्रसाद शर्मा (नसीराबाद) : क्या आप म्युनिसिपैलिटीज के चुनावों के लिए पॉलिसी की बात कहेंगे ?

श्री मथुरादास माथुर : This Bill does not restrict the election of the Municipalities.

मैं सरकार की नीति बता देना चाहता हूं कि म्युनिसिपैलिटीज के चुनाव सरकार शीघ्रातिशीघ्र कानून द्वारा करा देना चाहती है । सरकार एडमिनिस्ट्रेटर रख कर जो जनता के हित हैं और अधिकार हैं उनके ऊपर कुठाराघात नहीं करना चाहती है । इसलिये जहां जहां सम्भव है हम शीघ्रातिशीघ्र इस काम को करने में लगे हैं ।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : एक बात और कहनी है । संविधान के अनुच्छेद २१३ के अन्तर्गत जो अध्यादेश निकाला गया, जो कि राज्यपाल को एकस्ट्राऑर्डिनरी पॉवर है तो मैं निवेदन करना चाहूंगा कि जो स्टेट का एग्जीक्युटिव और लेजिस्लेटिव हैड है उसने एक्स्ट्राऑर्डिनरी पॉवर को एक्सर्साइज करके आर्डिनेन्स निकाला आवश्यकता को समझते हुए, उसके प्रोविजन को हमारे डिपार्टमेन्ट ने रूल्स नहीं बना कर निगेटिव किया है और रिडन्डेन्ट बना दिया है क्योंकि ९ अप्रेल को रूल्स फोर्स में आये और कानून आज बना रहे हैं । इसलिये यह ऑर्डिनेन्स बिलकुल वेस्ट पेपर की तरह है । राजस्थान के एग्जीक्युटिव और लेजिस्लेटिव के जो हैड हमारे राज्यपाल हैं, उन्होंने एक ऑर्डिनेन्स निकाला और हमारे डिपार्टमेन्ट ने उनकी पॉवर्स को निगेटिव कर दिया । उसके संबंध में हमारी सरकार क्या विचार रखती है ?

श्री मथुरादास माथुर : आप देरी में आये इसलिए मैंने शुरू में ही कह दिया था कि रूल्स निकालने में देरी हुई है और अब हमें देरी नहीं करके इस कानून को पास करना चाहिये ।

श्री उपाध्यक्ष : प्रश्न यह है कि जो संशोधन प्रस्ताव सर्व श्री योगेन्द्रनाथ हांडा और विजयसिंह झाला ने प्रस्तुत किये हैं उनको स्वीकार किया जाये ।

(अस्वीकृत)

प्रस्ताव गिर गये ।

(विराम)

प्रश्न यह है कि राजस्थान नगरपालिका (संशोधन) विधेयक, १९६३ को विचारार्थ लिया जाये ।

(स्वीकृत)

(श्री उपाध्यक्ष)

विधेयक विचारार्थ लिया गया।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल (जौहरी बाजार, जयपुर) : कोई अमेन्डमेन्ट नहीं है पूरा ही पारित कर दिया जाये।

श्री मथुरादास माथुर (गृह मंत्री) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि राजस्थान म्युनिसिपैलिटीज (अमेन्डमेन्ट) बिल, १९६३ पारित किया जाये।

श्री उपाध्यक्ष : प्रश्न यह है कि राजस्थान नगरपालिका (संशोधन) विधेयक, १९६३ को पारित किया जाये ?

(स्वीकृत)

विधेयक पारित किया गया।

(३.०६ म. प.)

राजस्थान होम गार्ड्स विधेयक, १९६२

(संकल्प की प्रस्तुति, विचार-विमर्श एवं पारित)

श्री मथुरादास माथुर (गृह मंत्री) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि राजस्थान होम गार्ड्स बिल, १९६२ को विचारार्थ लिया जाये।

श्री उपाध्यक्ष : श्री दुर्गालाल बाढदार।

श्री दुर्गालाल बाढदार (हवामहल, जयपुर) : [संकल्प इस प्रकार है : 'सदन की यह राय है कि राजस्थान होम गार्ड्स अध्यादेश, १९६३ (अध्यादेश संख्या २, सन् १९६२) जो दिनांक ३–११–१९६२ को प्रख्यापित किया गया है तथा राजस्थान होम गार्ड्स (संशोधन) अध्यादेश, १९६२ (अध्यादेश संख्या ३, सन् १९६२) जो दि० २४-११-६२ को प्रख्यापित किया गया है, अस्वीकृत किया जावे।']

माननीय उपाध्यक्षजी, मैंने एक प्रस्ताव इस सदन में इस आशय का रखा है कि जो होम गार्ड्स ऑर्डिनेन्स राज्यपाल ने प्रसारित किया था उसको निरस्त किया जाना चाहिए। मेरा निवेदन यह है, माननीय उपाध्यक्षजी, कि जहां तक युग की मांग है और जहां तक समय चाहता है हमें एक ऐसे कानून की जरूरत जरूरी हो जाती है कि जिस कानून के द्वारा हम अपनी रक्षा कर सकें, हम अपने कन्धों पर अपनी रक्षा का भार ले सकें। इसमें कोई दो राय नहीं हो सकतीं और मैं इसका विरोध इस दृष्टिकोण से नहीं करना चाहता कि यह युग की मांग नहीं है या यह कानून जिसको हम पास करने जा रहे हैं इस कानून की जरूरत नहीं है। लेकिन कुछ ऐसी बातें हैं जो मैं राज्य सरकार के ध्यान में ला देना चाहता हूं और मैं यह दिखाना चाहता हूं कि यदि आप प्रजातंत्रात्मक प्रणाली के अनुसार कार्य करना चाहते हैं तो आपका यह परम कर्तव्य हो जाता है, यह पहला धर्म हो जाता है, कि संविधान के अनुसार, संविधान के आर्टीकलस के अनुसार, जो प्रोविजन्स दिये गये हैं उनके तहत ही आपको कार्य करना चाहिये। मैं बडी विनम्रता से निवेदन करूंगा कि १ अक्टूबर, १९६२ में एमर्जेन्सी हमारे देश के सामने आ चुकी थी और उस एमर्जेन्सी को मद्देनजर रखते हुए राज्य सरकार ने मुनासिब समझा कि वह एक ऑर्डिनेन्स बिल के रूप में लाये। लेकिन राज्य सरकार में उस समय सद्बुद्धि थी। राज्य सरकार को इस बात पर विचार करना चाहिए था कि यह कानून जो हम बनाने जा रहे हैं इस कानून

(श्री दुर्गालाल बाडदार)

के बारे में प्रत्येक नागरिक की ओपीनियन और मंशा या मत भी हमें प्राप्त हो जाना चाहिए और मैं माननीय मंत्रीजी को, माननीय उपाध्यक्षजी, आपके द्वारा यह सूचित कर देना चाहता हूं कि १८ अक्टूबर को इसी सदन ने पब्लिक ओपीनियन को प्राप्त करने के लिये, जनता की ओपीनियन को जानने के लिये, इसको प्रसारित कर दिया था। मैं यह निवेदन करूंगा कि कौनसी ऐसी परिस्थिति राज्य सरकार के सामने आ गयी, कौनसी आपत्ति राज्य सरकार के सामने आ गयी कि पब्लिक ओपीनियन को कन्सीडर किये बिना, क्या राय राज्य सरकार को इस बिल के बारे में जनता देना चाहती है उसको जाने बिना एकदम से उसको आर्डिनेन्स जारी करने की आवश्यकता आ पडी ? हो सकता है इसमें युग की पुकार हो, हो सकता है यह समय की मांग हो कि ऐसा आवश्यक कानून बनाया जाये, लेकिन राज्य सरकार को इस बात का हमेशा ध्यान रखना चाहिये कि जहां तक वह कानून बनाये उसमें प्रजातांत्रिक प्रणाली हो, उसकी अवहेलना नहीं की जाये, उसको सही रूप में माना जाये कि उसको मानते हुए हमें कानून बनाने के लिए आगे बढना चाहिए। मैं यह कहता हूं कि यदि आपको इस कानून की जल्दी थी तो उसी समय आपकी असेम्बली चल रही थी। आप इसको असेम्बली में से पास करवा सकते थे, आप इस पर विचार कर सकते थे और विचार करने के बाद जो जनता के सच्चे प्रतिनिधि हैं, नुमाइन्दे हैं और जिसका संविधान अधिकार देता है वह हाउस के अन्दर कानून बनाते, उसको वह पास कर सकते थे। लेकिन ऐसा नहीं करने के बाद इन्होंने इस बात का कोई विचार नहीं किया और उसके बाद आर्डिनेन्स के रूप में यह कानून थोपा गया। मैं, माननीय उपाध्यक्षजी, यह निवेदन करना चाहता हूं कि राज्य सरकार भविष्य में भी इस प्रकार की जैसी कि एक परिपाटी यह राज्य सरकार बना कर आ रही है इसका परित्याग कर दे। मैं इस कानून का विरोध नहीं करता, लेकिन जो प्रणाली यह राज्य सरकार अपना रही है उसका विरोध करता हूं और गृह मंत्रीजी से मैं अपनी काव्यबद्ध भाषा में निवेदन कर देना चाहता हूं।

एक बार गृह मंत्रीजी ने भी आग्रह किया था कि मैं किसी भी बात को काव्यबद्ध भाषा में उसका विरोध करूं और मैं इसका विरोध उसी दृष्टिकोण में करता हूं :

"माननीय अध्यक्ष, निवेदन है बस इतना;
अरे इन्हें समझ है नहीं, कोई समझावे कितना।"

श्री मथुरादास माथुर (गृह मन्त्री) : मुकर्रर।

श्री दुर्गालाल बाडदार :

"माननीय अध्यक्ष, निवेदन है बस इतना;
अरे इन्हें समझ है नहीं, कोई समझावे कितना।

यह कहते कुछ और और कुछ कर देते हैं"

एक माननीय सदस्य : क्या कहना है ?

श्री दुर्गालाल बाडदार :

"यह कहते कुछ और और कुछ कर देते हैं,
और ठंडे छींटे देय सबका मन भर देते हैं।
फिर कब तक यह पोल ढोल की चल पायेगी,
अरे देंगे कोई खोल पोल ढोल पर चढ़ आयेंगे।
ऐसा विधि मन्त्री पद विधि ने विधि से तुमको दिया है,
और विधि विधान का क्या तमने अनुसरण किया है,

Page No 61

(श्री दुर्गालाल बाढदार)

गृह मन्त्री क्या बने राज सब घर नानी का,
और जब चाहे कानून बनादो मनमानी का।
गृह मन्त्री गृह रक्षा करने बनाया,
और गृह वैसा तब क्यों न कोई इसमें अपनाया।
फिर विधान की सही भावनाओं को भी फैला ?
और यदि आवश्यक हो तो अध्यादेश निकाले ;
जब तुमने बिल सदन में पेश किया था,
और जनमत का अनुरोध सही स्वर से किया था।
पेश हुआ बिल गये वर्ष की १० अक्टूबर को
और १८ को जनमत भेजा आपने।.
जब था यह चला जनमत को तुम जाने क्या
जनता कहेगी;
बिना प्राप्त किये जनमत क्यों अध्यादेश
निकाला।
अरे कैसे निकल गया बुद्धि का दिवाला···"

श्री मथुरादास माथुर : चीन ने निकाल दिया।

श्री दुर्गालाल बाढदार : "प्रजातन्त्र की नहीं सुनोगे फिर दम क्यों भरते हो,
जो कुछ सोच लिया तुमने वही करते हो।"

"है अच्छा कानून"; I don't oppose the principles of the law, but I oppose the policy which you are pursuing further.

"है अच्छा क़ानून समय की मांग यही है,
पर इस तक पहुंच तुम्हारी ठीक नहीं है।
मैं विरोध करता हूं आदत सही सुधारो,
अरे प्रजातन्त्र का ढोंग अपनाना दूर बिसारो।।"

श्री मथुरादास माथुर : बहुत अच्छा; शुक्रिया।

श्री विजयसिंह झाला (नाथद्वारा) : उपाध्यक्ष महोदय····

श्री उपाध्यक्ष : It will be moved first by the Hon'ble Minister.

श्री मथुरादास माथुर: I have moved, Sir. For consideration I have moved already.

श्री विजयसिंह झाला : उपाध्यक्ष महोदय, मैं यह प्रस्ताव करूंगा कि इस होम गार्ड बिल को प्रवर समिति के सुपुर्द किया जाय जो अपना प्रतिवेदन आगामी सत्र में प्रस्तुत करे।

उपाध्यक्ष महोदय, जो क्षुब्ध वातावरण इस विवाद के पहले हुआ, मैं सदन के सभी माननीय सदस्यों से यह अपील करूंगा कि इस वातावरण को भुलाकर जो एक महत्वपूर्ण विधेयक सदन में प्रस्तुत हुआ है उस पर विचार करेंगे।

उपाध्यक्ष महोदय, जब कभी राजस्थान सरकार की तरफ़ से कोई कानून आता है तो हमेशा····

श्री उपाध्यक्ष : मैं माननीय सदस्यों से निवेदन करूंगा कि जो अमेन्डमेन्ट मूव कर रहे हैं इस बिल को पुनः सिलेक्ट कमेटी में भेजने के लिये अथवा दूसरी तरह से वे १० मिनिट से अधिक नहीं बोलेंगे।

श्री विजयसिंह झाला : इसमें मूव करते ज्यादा समय लग जायगा, फिर भी मैं कोशिश करूंगा। मैं निवेदन कर रहा था कि हमेशा इसमें तीन, चार तरह के दोष होते हैं और उन दोषों पर इधर के माननीय सदस्य कई बार विरोध करते हैं लेकिन विरोध करने के बावजूद भी उन्हीं दोषों का जो भी दूसरा

(श्री विजयसिंह झाला)

क़ानून आता है, उन्हीं दोषों को दुहराया जाता है। सबसे पहले जितने कानून आते हैं उनमें डिस्क्रीशनरी पॉवर्स बहुत होती हैं, चाहे गवर्नमेन्ट को हो, चाहे किसी आफ़िसर को हो, लेकिन जब इस प्रकार की डिस्क्रीश्नरी पॉवर्स क़ानून के अन्तर्गत ज्यादा दिये जाते हैं तो यह माना जाता है कि जिस उद्देश्य से यह विधेयक लाया जाता है, वे डिस्क्रीशनरी पॉवर्स विधेयक से अलग कर दिये जाते हैं। और दूसरे जब कभी इस प्रकार के नये विधेयक के द्वारा किसी बोडी या आर्गेनाइज़ेशन या किसी व्यक्ति को नियुक्त करने का प्रश्न होता है तो वह अधिकार भी सरकार अपने हाथ में रखती है इसके कारण यह होता है कि माननीय सदस्यों को मजबूर होकर यह लांछन लगाते पड़ते हैं कि यह प्रोविज़न इसलिये रखा करते हैं कि मिनिस्टर किसी व्यक्ति विशेष में इन्ट्रेस्टेड होते हैं, इस वजह से इस प्रकार का प्रावधान गवर्नमेन्ट अपने हाथ में रखती है और साथ ही साथ एक दूसरा इस प्रकार का क़ानून बना सके कि आगे जाकर पार्टी इन-पॉवर है वह किसी प्रकार से अपनी शक्ति का प्रयोग कर सके और शक्ति के अनुसार पार्टी की शक्ति किसी प्रकार से बढा सके। ये तीनों बातें राजस्थान सरकार द्वारा जितने कानून लाये गये—ये तीन दोष बराबर रहते हैं और इन दोषों के आधार पर कई बार इस प्रकार की आलोचना मजबूर होकर करनी पड़ती है, कई व्यक्तिगत मन्त्रियों पर लांछन लगाये गये, लेकिन दुःख के साथ कहना पड़ता है कि इस प्रकार का विरोध करने के बावजूद भी इन दोषों को नहीं छोड़ा और इसके साथ साथ एक इस प्रकार का क़ानून बनाते हैं जिसके अन्तर्गत एक मन्त्री का ज्यादा से ज्यादा इन्टरफ़ियेरेन्स चले। यह प्रवृत्ति बहुत बुरी है। होम गार्ड की जो प्रान्तीय संस्था बनाने जा रहे हैं जिससे देश की रक्षा के लिये काम लेना चाहते हैं उसमें ज्यादा से ज्यादा इन्टरफ़ियेरेन्स किसी मन्त्री या सरकार का रहेगा तो आगे जाकर राजनैतिक रूप धारण कर लेगा और जब राजनैतिक रूप धारण करेगा तो पार्टी इन पॉवर की स्थिति मज़बूत हो जायेगी और पार्टी इन-पॉवर हो जायगी तो जिस उद्देश्य से कर रहे हैं वह अलग हो जायगा।

यदि आप मुझे आज्ञा दें तो मैं एक उदाहरण आपके सामने रखूं कि हमारे मन्त्रियों का इन्टरफ़ियरेंस इतना बढ़ गया है कि जयपुर शहर में चौराहे पर खड़ा होने वाला पुलिस का आदमी इससे दुःखी है। आज से तीन-चार दिन पहले की घटना है, मैं पांच बत्ती की तरफ़ जा रहा था, तो पांच बत्ती पर खड़ा हुआ पुलिस वाला कुछ अपने आप से बड़बड़ा रहा था। उसने मुझे कहा, "इस जयपुर शहर में मिनिस्टरों के साले कितने होंगे?" "मैंने पूछा, क्यों ?" तो उसने कहा, "अगर उनकी पहिचान हो जाय तो कम से कम हम अपने अधिकारों का उपयोग कर सकें।, मैंने पूछा" 'क्यों क्या बात हो गई ?' उसे मालूम नहीं था कि मैं एम. एल. ए. हूं। उसने कहा, "जब कभी किसी साइकिल को चैक करता हूं, किसी मोटर को चैक करता हूं तो यह बात कह देते हैं कि मैं अमुक मिनिस्टर का रिश्तेदार हूं, मैं अमुक मिनिस्टर का साला हूं।" जहां ट्रैफ़िकमैन के लिये यह आवश्यक हो जाय कि मिनिस्टरों के सालों की कुछ छाप बन जाय जिससे वे पहिचान सकें और अगर वे अवैधानिक ढंग से जाते हों तो टोकें नहीं। तो इसका तात्पर्य यह है कि इस प्रकार की छोटी छोटी बातों के अन्दर भी

(श्री विजयसिंह झाला)
इन्टरफ़िथरेन्स हो गया है? मिनिस्टरों का। इस कारण सही रूप से किसी क़ानून को बनाना चाहते हैं, उसकी उद्देश्य-पूर्ति नहीं हो सकती है। इसका कारण यह है कि सरकार सदन के सदस्यों के सामने सब पॉवर्स नहीं रखना चाहती है, डिस्क्रीशनरी पॉवर्स बहुत ज्यादा अपने हाथ में रखना चाहती है, रूल्स बनाने की पॉवर्स सरकार अपने हाथ में रखना चाहती है। इस दोष के कारण सही दिशा की ओर नहीं बढ़ पाते हैं।

उपाध्यक्ष महोदय, अब इस कानून में जो दोष हैं, इनकी जो पूर्ति होनी चाहिये, उसके बारे में मैं निवेदन करना चाहता हूं कि इस क़ानून को पब्लिक ओपिनियन के लिए प्रसारित किया था तो यह उद्देश्य था कि इसमें जिस प्रकार के सजेशन्स आयें उनके बारे में सोचें और संशोधनों के अनुसार, सजेशन्स के अनुसार इसमें किसी प्रकार की पूर्ति कर सकें। इसके बारे में जितनी ओपीनियन आई है वह क़रीब ७५ आदमियों की ओपिनियन आई है और उन्होंने कहा है कि यह उज्जड कानून है और इसमें कई प्रकार के सजेशन्स उन्होंने दिये हैं। जब इसको जनता की राय जानने के लिए प्रसारित किया था तो यह आवश्यक हो जाता है कि जनता की तरफ से जो सजेशन्स आये हैं उनको कानून का रूप दें।

मैं उसके तीन-चार उदाहरण आपके सामने रखूंगा। सबसे पहले तो इसका जो नाम रखा गया है उससे लगता है कि हिन्दी का दीवाला निकल गया है। इसका नाम होम गार्ड्स रखा है, क्या उसकी जगह गृह सुरक्षा बिल नहीं हो सकता था? हिन्दी में जो इसका रूपान्तर दिया है, उसमें भी होम गार्ड रखा है। दरअसल में राष्ट्र भाषा के लिए यह अपमान का विषय है। आप देश के अन्दर स्वयं सेवक दल का निर्माण करने जा रहे हैं, फिर भी उसके लिये आप होम-गार्ड बिल नाम रखने जा रहे हैं। क्या हिन्दी में इसका नाम नहीं हो सकता था? हिन्दी में इसका नाम नहीं रखते हैं तो हमारे देश का दीवाला और राष्ट्रभाषा का दीवाला इसमें निकलता है। मैं समझता हूं यह, हमारे लिए बड़ी शर्म की बात है।

उपाध्यक्ष महोदय, इसके साथ साथ मुझे ऐसा मालूम होता है कि जिस वक्त इसका निर्माण किया गया उस वक्त हमारे गृह मन्त्रीजी किसी डकैत को पकड़ने के मूड (mood) में होंगे। इसलिये उन्होंने रखा है कि इसके जो स्वयं सेवक मेम्बर बनेंगे, तो जिस तरह डकैतों के साथ व्यवहार होता है उसी प्रकार का व्यवहार और पनिशमेन्ट इन्हें देना चाहते हैं और वह इस प्रकार रखा है कि इसके पूरे पृष्ठों को पढ़ें तो २, ३ पृष्ठ पनिशमेन्ट और पैनल्टी के बारे में है कि कितनी सजा दी जायगी। कमान्डेन्ट को कितना अधिकार है; पचास, पच्चीस का जुर्माना करने का उसको अधिकार है सेक्शन ८ और ९ के अन्दर और उसके साथ ही ९ को देखें तो उसके अन्दर तीन महीने की सजा का प्रावधान रखा है। सजा और जुर्माने का अधिकार साथ साथ रखा है। वह उस स्थिति में रखा है जब कि ऐसी हालत पैदा होती हो कि चार के अन्तर्गत किसी वॉलन्टियर को बुलायेंगे और वह उसमें किसी प्रकार की नेगलीजेन्स करता है

(श्री विजयसिंह झाला)

और इसके अन्दर आगे जाकर जो सर्टिफ़िकेट पेश करने का प्रावधान रखा है वह पेश नहीं करेगा तो इस बिल के अन्तर्गत अधिकार दिया गया है कि उसको सज़ा दी जा सकती है और जुर्माना भी किया जा सकता है। सैक्शन आठ के अन्तर्गत यह प्रावधान है कि अगर क्लॉज चार के अन्तर्गत वह समय पर नहीं आयेगा और सर्टिफ़िकेट पेश नहीं करेगा तो कमान्डेन्ट को यह अधिकार दिया गया है कि सज़ा दे सकता है। इसके साथ ही में निवेदन करूं कि क्लॉज़ ६ में यह स्पष्ट नहीं है कि ९ के अन्तर्गत कौन सज़ा देगा, क्या मजिस्ट्रेट सज़ा देगा, या डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट सजा देगा या कमान्डेन्ट सज़ा देगा? इस प्रकार का कोई प्रावधान नहीं है। में समझता हूं जब क्लॉज़ ८ ऑलरेडी था, जिसके अनुसार क्लॉज़ ४ के अन्तर्गत गलती करता है तो उसको सज़ा कमान्डेन्ट दे सकता है तो उसके बाद ६ की ज़रूरत नहीं है। में महसूस करता हूं कि इस प्रकार····

श्री श्योपतसिंह (हनुमानगढ़) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, सदन में कोरम पूरा नहीं है।

(गण-पूरक घंटी)

श्री विजयसिंह झाला : तो उपाध्यक्ष महोदय, में यह कह रहा था कि हम वॉलन्टियर्स फोर्स बनाने जा रहे हैं, जिसमें स्वेच्छा से जो सदस्य आना चाहें वे आ सकें। वह उसके लिए समय देगा और समय देने के बाद यदि इस प्रकार की गलती करेगा तो उसके लिए इस प्रकार की सज़ा का प्रावधान रखना ठीक नहीं है। इसमें एक बार नहीं, दो बार सजा मिल सकती है इस एक्ट के अनुसार, इसलिये में इसको अनावश्यक मानता हूं।

इसके साथ ही साथ जो सदस्य इसमें आयेंगे, स्वेच्छा से आयेंगे उनको क्या सहायता दी जायगी–इस प्रकार का प्रावधान इसके अन्तर्गत नहीं है। यह आवश्यक है कि यूनिफ़ार्म मिले और यूनिफ़ार्म हमेशा के लिये दे दी जाय, जिससे हम मानते कि उसको यूनिफ़ार्म दी जाती है और जब आवश्यकता होगी वह यूनिफ़ार्म में आ सकता है। लेकिन इस तरह का कोई प्रावधान इसमें नहीं है। साथ ही साथ ट्रेनिंग करने के बाद में सरकारी नौकरी में उसको प्राथमिकता दी जाय, इस प्रकार का प्रावधान रखते तो उचित था। जो आदमी अपने को स्वेच्छा से ऑफ़र करता है, उसके लिए आपने किसी प्रकार की सुविधा या सहायता नहीं रखी है, लेकिन केवल उसको सजा का प्रोविज़न करने वाला बिल बना दिया है। इससे में समझता हूं कि लोग इसमें आने से हिचकिचायेंगे।

उपाध्यक्ष महोदय, इसके साथ ही साथ में महसूस करता हूं कि जो एक्टीविटीज होनी चाहियें मेम्बर्स की वे भी प्रेस्क्राइब नहीं की हैं। केवल लिमिटेड एक्टीविटीज का प्रावधान किया है। आवश्यकता यह है कि ट्रेनिंग का टाइम बढ़ा कर कुछ व्यवस्थित ट्रेनिंग दी जाय तो ट्रेनिंग में स्थिरता आ सकती है। केवल कुछ दिनों के लिए कुछ बातें सिखाना चाहते हैं। उसके बाद लोग होम गार्ड से अलग हो जायं। अब अगर पांच-छः महीने के बाद वापिस बुलाया जायगा तो उसको ज्ञान नहीं होगा। इसलिये जो ट्रेनिंग रखी है वह लिमिटेड है, उसको आगे बढ़ाना चाहिये।

(श्री विजयसिंह झाला)

साथ ही साथ जब किसी व्यक्ति को शस्त्र चलाना सिखाते हैं, तो यह आवश्यक समझता हूं कि उसको लाइसेन्स दिया जाय और उससे लाइसेन्स की फ़ीस नहीं ली जानी चाहिये। गन का या किसी प्रकार का लाइसेन्स मिलेगा इस प्रकार का प्रावधान होता तो मेरी समझ में अच्छा होगा।

उपाध्यक्ष महोदय, इसी प्रकार जो कमाण्डेन्ट की नियुक्ति के बारे में सवाल है उसके सम्बन्ध में कुछ बात कहना चाहता हूं। कमान्डेन्ट को हमारी गवर्नमेन्ट नियुक्त करेगी। लेकिन उसके लिए किस प्रकार की क्वालिफिकेशन होनी चाहिए, यह बात इसमें होनी आवश्यक थी। मान लीजिये कि किसी ऐसे आदमी को खड़ा कर दिया जाता है जिसमें किसी प्रकार की योग्यता नहीं और ट्रेन्ड नहीं है। इस एक्ट के किसी प्रावधान के अनुसार आप कह सकते हैं कि इस प्रकार नहीं कर सकते? राजस्थान के अन्दर कमान्डेन्ट ज़िला स्तर पर नियुक्त किये हैं, वे इसी प्रकार के हैं जिनमें जो ट्रेनिंग होनी चाहिये, जो क्वालिफ़िकेशन्स होनी चाहिए वे नहीं हैं। जो ज़िला स्तर पर कमान्डेन्ट नियुक्त किये हैं उनके सम्बन्ध में मैं नहीं कहना चाहता लेकिन जो रिटायर्ड कमान्डेन्ट होने चाहियें वे नहीं हैं और मिलिट्री के बारे में ट्रेनिंग के बारे में जानते हुए भी उनको नियुक्त किया है......

श्री परसराम मदेरणा (उप-मन्त्री, न्याय) : कमान्डेन्ट एक्स मिलिट्रीमैन है, Not below the rank of Captain नहीं है। इसलिये आपका सुझाव है उसमें आप कैप्टिन के लिये कह रहे हैं..

श्री विजय सिंह झाला : उपाध्यक्ष महोदय, मैं यह चाहता हूं कि कम से कम रिटायर्ड कैप्टिन होना चाहिये। ऐसा व्यक्ति नहीं होना चाहिये जो केवल एक महीने मिलिट्री में रहा हो, उसको चान्स दे दिया जावे। इसलिये यह ज्यादा अच्छा हो सकता है कि आप उसके लिये क्वालिफिकेशन्स निर्धारित करें और उसको इन्टरव्यू लेकर अपोइन्ट करें। यदि आप पार्टी पोलीटिक्स को लेकर कार्यवाही करेंगे तो यह कानून कांग्रेस तक ही सीमित रह जावेगा और जिस प्रकार आपने समाज कल्याण विभाग आदि अनाथालय खोल रखे हैं उसी प्रकार से होम गार्ड को भी खोल रहे हैं और इसी लिये आप इसमें कोई क्वालिफ़िकेशन निर्धारित नहीं कर रहे हैं। यदि आप सभी पार्टीज़ से सहयोग को लेकर चलना चाहते हैं तो स्पष्ट रूप लेकर आपको चलना होगा।

साथ ही साथ क्लॉज़ १० में आपने रखा है कि राजनीति में होम गार्ड के लोग भी भाग ले सकते हैं और यदि ऐसा होगा तो कमान्डेन्ट पर भी इसका असर होगा। आपने इस पर भी कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं लगाया है। यदि उसने कांग्रस के चुनाव लड़े तो चुनाव लड़ने के बाद में उसमें कांग्रेस की भावना आवेगी। इसलिये मैं यह कहना चाहता हूं कि चाहे वह कमान्डेन्ट हो, चाहे डिप्टी कमान्डेन्ट हो जो किसी पोस्ट पर काम कर रहा है उसको राजनीति में भाग लेना नहीं चाहिये।

(समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

इससे उसको दूर रखना होगा। यदि वह पार्टी पोलिटिक्स में पड जायेगा तो वह अच्छी तरह से काम नहीं कर पावेगा।

(समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

(श्री विजयसिंह झाला)

तो इन सारी बातों को आधार में रखते हुए मैंने यह रखा है कि इसको प्रवर समिति के सुपुर्द कर दिया जावे।

श्री मुरलीधर व्यास (बीकानेर) : उपाध्यक्ष महोदय, होम गार्ड्स बिल आज एसे समय पर हमारे सामने आया है और हम इस पर विचार कर रहे हैं जब कि हमारे देश में इस प्रकार के बिल की अत्यन्त आवश्यकता है क्योंकि होम गार्ड्स बिल जो है यह मैं बताना चाहता हूं कि इसका जन्म कैसे और किस प्रकार से हुआ। मैं इसके सम्बन्ध में इतना ही कहना चाहता हूं कि १९३९ में दूसरे महायुद्ध के प्रारम्भ के समय या दूसरा महायुद्ध प्रारम्भ हो गया तो और जिस समय जर्मनी ने बेलजियम पर हमला कर दिया था और जब इंग्लैन्ड को मालूम पड़ा कि यह महायुद्ध प्रारम्भ हो रहा है तो उस समय इंग्लैन्ड के प्राइम मिनिस्टर ईडन ने रेडियो से अपना एक भाषण ब्रॉडकास्ट किया था कि देश में होम गार्ड की ज़रूरत है। इसलिये जितने लोग ज्यादा से ज्यादा तादाद में होम गार्ड में शरीक होना चाहें, हों। भाषण हुआ और उस भाषण के ८ दिन में दो लाख लोग होम गार्ड में भर्ती हो गये और एक महीने में २० लाख तक होम गार्ड में भर्ती हो गये। बम्बई में भी होम गार्ड इस आधार पर कायम किया गया जब यहां पर रॉइट्स चलने लगे तो होम गार्ड १९४६ में प्रारम्भ हुआ और राजस्थान में भी जिस प्रकार की परिस्थितियों में प्रारम्भ हो रहा है वह इंग्लैन्ड की परिस्थितियां और हिन्दुस्तान की परिस्थिति एक सी हैं। आज इंग्लेन्ड और बम्बई की नक़ल को लेकर हम प्रारम्भ कर रहे हैं। तो मैं यह कहूंगा कि इंग्लैन्ड जो उस समय एक केन्द्रीय सरकार की थी सारे इंग्लैन्ड का एक जगह से शासन होता था उसका सब इंग्लैन्ड तक सीमित था। आज वैसी ही परिस्थितियों में होम गार्ड पर विचार करें तो जैसा इसको राजस्थान तक ही सीमित रखा है मैं तो इसको, होम-गार्ड को समझता हूं कि देश की उन परिस्थितियों में बन रहा है तो उसकी सीमा केवल राजस्थान तक ही नहीं, बल्कि उसकी सीमा तो मौका आवे तो हिन्दुस्तान के चप्पे चप्पे के दृष्टिकोण से बननी चाहिये। इसको राजस्थान की सीमा तक ही नहीं सोचें देश की किसी भी सीमा पर किसी प्रकार की ऐसी आवश्यकता की पूर्ति करने में जो मदद की ज़रूरत हो, दूसरे क्षेत्र में भी भेजा जावे, यह दृष्टिकोण इसमें होना चाहिये। आखिर हमारा देश राजस्थान नहीं, हमारा घर है उसके दृष्टिकोण से होम गार्ड को सिर्फ़ यहां तक के लिये ही सीमित रखा है। मैं चाहता हूं कि इसको सारे देश के लिये लागू किया जावे। लेकिन जैसा कहा गया है कि स्वयं सेवक म्यूनिसिपैलिटी बना रहे हैं उसको आपने उसी सीमा तक रखा है। मैं यह समझता हूं कि यह सारा देश हमारा है। होम गार्ड बने, हिन्दुस्तान की कौने कौने में सेवा करे। यह हमारे राष्ट्र का काम है उसमें उनको मौक़ा मिलना चाहिये और यह बात उसमें शरीक होनी चाहिये। यह शरीक नहीं है। मैं यह समझता हूं कि यह सारे देश के लिये होना चाहिये। यह तो हो गया नाम के सम्बन्ध में, विस्तार

Page No 67

(श्री मुरलीधर व्यास)

के सम्बन्ध में । मैं ऐसा मानता हूं कि होम गार्ड्स स्थाई है या अस्थाई। जैसा इन्होंने कहा है कि इंग्लैन्ड के दृष्टिकोण से है। एमर्जेन्सी का प्रश्न है तो यह अस्थाई है। बम्बई का है तो वह स्थाई है। एक बॉम्बे की किताब है जिसमें बताया गया है कि होम गार्ड जिस तरह से काम करते हैं उसके बारे में, मैं आपको कहना चाहता हूं:—

"Home Guard is a member of the public, who volunteers to undergo training outside his working hours and takes upon himself the responsibilities of maintaining law and order and preventing crime and to carry out such orders as may be issued from time to time.

तो होम गार्ड वहां पर स्थाई है और वे स्थाई रूप से इस प्रकार का काम करते हैं, उसके पीछे बहुत से काम हैं। यहां पर भी जिस उद्देश्य को लेकर इसको रखा है परिस्थितियों के समय वह लॉ एन्ड ऑर्डर को भी किस प्रकार से संभाल सके और देश के दूसरे काम भी कर सके। कहीं आग वगैरह लगती है तो उसको भी बुझाने का काम वे करते हैं। यदि इस आधार पर आपने इस होम गार्ड की स्थापना की है तो अलग है और जैसे इंग्लैन्ड में बनी उसके आधार पर हो, तो अलग चीज़ है। मैं समझता हूं कि इसको स्थाई किया जा सकता है, परन्तु आज की स्थिति में सरकार को अपने निर्णय पर पहुंचना चाहिये।

अब मैं होम गार्ड पर कुछ बुनियादी चीज़ों के सम्बन्ध में कहना चाहता हूं। होम गार्ड में आपने ऐसी व्यवस्था की है कि कमान्डेन्ट की नियुक्ति स्टेट गवर्नमेंट करेगी और वह कमान्डेन्ट उसकी देख रेख में काम करेगा, उसमें एस. पी. भी कमान्डेन्ट हो सकता है, इस प्रकार की व्यवस्था रहेगी। यह होम गार्ड के काम करने का तरीका है। होम गार्ड के साथ साथ उसकी और भी ड्यूटीज़ हो सकती हैं। मैं आपसे बताना चाहता हूं कि उसका यह भी कर्त्तव्य है कि कौनसा बुरा काम देश में हो रहा है और कौन आदमी इस समय देश को नुकसान पहुंचाने की कोशिश कर रहा है कौनसा आदमी बुरा काम कर रहा है। इसमें पुलिस भी हो सकती है। जैसा अभी सीमा के मामले में आपने क़दम उठाया, कुछ नागरिक डाकुओं और तस्करियों के साथ में गये। बहुत से पुलिस ऑफ़िसर्स, डिप्टी सुपरिन्टेन्डेन्ट तक थे जिनका सबको मालूम है कि गंगानगर की सीमा के डाकुओं के साथ उनका सम्बन्ध रहा है और इसलिये उनको पकड़ा गया और चालान हुआ और जिस प्रकार एस. पी. और डी. एस. पी. ने तस्करियों की ज़मानत ली, ऐसे लोग आज भी पुलिस में बैठे हैं। आपने दूसरे लोगों के खिलाफ तो एक्शन लिया। पुलिस भी जो डाकुओं के साथ थी और तस्करियों के साथ थी और उनका साथ दिया उनके खिलाफ़ आपने क्या क़दम उठाया? मैं यह कहना चाहता हूं कि गंगानगर और बीकानेर में दो तस्करी पकड़ गये। मगर उनके सम्बन्ध में अभी तक आपने कोई क़दम नहीं उठाया है।

तो मैं इसमें इतना ही कहना चाहता हूं कि ज़िम्मेदारियां हर आदमी की अलग अलग हैं। मैं होम गार्ड्स का सदस्य बन सकता हूं पर होम गार्ड के सदस्य के नाते जो मेरे कर्त्तव्य हैं उनके अलावा मेरे और भी कर्त्तव्य हैं, मसलन कोई आदमी देश के खिलाफ़ काम करता है अराष्ट्रीय काम करता

(श्री मुरलीधर व्यास)

है तो मैं उसके खिलाफ़ बोल सकता हूं। अराष्ट्रीय कार्यों के खिलाफ़ बोलने का मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है इसे मैं अपना परम कर्त्तव्य समझता हूं। ऐसी दशा में एक डी. वाई. एस. पी. जिसको कि होम गार्ड्स का कमान्डेन्ट बना दिया वह तस्कर व्यापार करता है, घूंस लेता है, भ्रष्टाचार करता है और मैं उसकी सरें आम आम सभा में मुखालिफ़त करता हूं और उसको आपने पॉवर्स दे रखे हैं कि कमान्डेन्ट किसी भी आदमी को गिरफ्तार कर सकता है, उसको सजा दे सकता है। इस प्रकार के पॉवर्स उसके पास आपने दे रखे हैं तो मेरे द्वारा की गई मुखालफ़त से नाराज़ होकर वह कमान्डेन्ट मुझे किसी भी बहाने से गिरफ्तार कर सकता है और सज़ा दे सकता है। तो इस प्रकार के पॉवर्स उसके देने से लोकतन्त्र के बुनियादी अधिकारों का हनन होता है। देश के मामले में कोई भी ईमानदार व्यक्ति बोलना चाहता है तो एस. पी., डी. वाई. एस. पी. उसको गिरफ्तार कर सकता है; यह हमारे खिलाफ़ बोलता है तो इसको गिरफ्तार कर लो और इस तरह इन पॉवर्स का मिसयूज़ हो सकता है। तो इस तरह होम गार्ड्स, जिनसे देश की रक्षा का काम लेना चाहते हैं, उनके अधिकारों में कुछ बुनियादी परिवर्तन करने होंगे। या तो ऐसे अफ़सरों को रखिये जो मिलिट्री के रिटायर्ड आदमी हैं, जिन्होंने देश के लिये अच्छे काम किये हैं, डिस्ट्रिक्ट्स में भी ऐसे आदमी मिल सकते हैं, उनको आप रख सकते हैं। इस तरह करने से यह डेमोक्रेटिक फ़ंक्शन बन जाता है इससे गड़बड़ नहीं होगी। इसलिये मैं निवेदन करना चाहता हूं कि कमान्डेन्ट जनरल और कमान्डेन्ट्स को पॉवर्स दिये हैं, इनमें कुछ इस तरह के बुनियादी परिवर्तन करने की आवश्यकता है। सजा है, जुर्माना है यह ज़रूर होने चाहिये, मैं यह नहीं कहता कि यह नहीं हो, यह आवश्यक है। मैं होम गार्ड का सदस्य हूं मुझे हुक्म मिलता है कि फ़लां जगह हाज़िर होओ और मैं वहां हाज़िर नहीं होता हूं तो उसके लिये मुझे सज़ा मिलती है बड़ी से बड़ी सजा भी मिलती है तो मैं इसे बुरा नहीं मानता, क्योंकि देश के प्रति कर्त्तव्य होता है, उसको निभाना चाहिये, इसमें किसी तरह की रियायत नहीं बरती जानी चाहिये।

अभी चर्चा चली; कॉम्युनिस्टों को गिरफ्तार किया उसके सम्बन्ध में बड़ा विवाद चला। मैं यह कहना चाहता हूं कि अगर गिरफ्तार कर लिया, देश की ऐसी परिस्थितियां हैं, सरकार चाहती है कि सुरक्षा के लिये अन्दर रख दिया जाय और देश की सुरक्षा की दृष्टि से अन्दर रख दिया तो इसमें विरोध किस बात का? देश की सुरक्षा आप भी चाहते हैं, हम भी चाहते हैं, फिर ऐसे आदमी को इस देश की सुरक्षा की दृष्टि से अन्दर रख दिया तो इसमें सरकार से मतभेद तो नहीं होना चाहिये। मैं चाहता हूं कि हम वैल डिसिप्लिन्ड, वैल ओर्गेनाइज्ड हों, हमारे सामने परिस्थितियां आ रही हैं, उस वक्त हमें जवाब देना पड़ेगा कि कौन ग़द्दार है और कौन देश के प्रति वफ़ादार है। अब वह समय नज़दीक आ गया है। मैं चाहता हूं कि इस होम गार्ड्स बिल को बहुत मज़बूत और शक्तिशाली बनाना चाहिये, ऐसा वैल डिसिप्लिन्ड बनाना चाहिये कि इसके अन्दर जाने वाला हर एक आदमी समझे कि मेरा देश के प्रति एक महान् कर्त्तव्य है और उस कर्त्तव्य को वह पूरी तरह से निभावे। अभी तो वह सीमित है। उसको और भी

(श्री मुरलीधर व्यास)

मज़बूत, वैल ट्रेन्ड तैयार कर देते हैं तो इसको देश के डिफ़ेन्स के अन्दर भी भेज सकते हैं तो देश का और उस व्यक्ति का सौभाग्य होगा कि देश की रक्षा के लिये मोर्चे पर जाकर, वह देश की रक्षा के लिये अपनी सेवाएं अर्पित करता है।

इसलिये मैं निवेदन करना चाहता हूं कि यह बिल बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसको केवल लाल फ़ीताशाही में ही नहीं बांधेंगे, बल्कि जो डेमोक्रेसी के राइट्स हैं उन सब का प्रावधान इसमें रखेंगे। इन्हीं शब्दों के साथ मैं उम्मीद करता हूं कि माननीय गृह मन्त्रीजी इसे सिलेक्ट कमेटी में देकर, इस पर अच्छी तरह से विचार करके, इसे और अच्छे तरीक़े से तैयार करवायेंगे। चाहे ८ दिन के लिये या इससे भी कम दिन के लिये इसे सिलेक्ट कमेटी को देकर उसमें इस पर विचार कर लिया जाय और सिलेक्ट कमेटी जो सुझाव दे उनको मान्य करेंगे। अगर यह नहीं मानते हैं तो सरकार इसमें बुनियादी सुधार अवश्य करेगी।

श्री उपाध्यक्ष : श्री हांडा।

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा (रायसिंहनगर) : उपाध्यक्ष महोदय, एमर्जेन्सी के कारण बहुतसी चीज़ें बहुत आवश्यक हो गई हैं। सबसे बड़ी आवश्यकता, जिसने एमर्जेन्सी के कारण जन्म लिया वह इस महान् और अपार उत्साह का शक्ति के रूप में प्रदर्शन करना है जो देश की जनता ने देश में पैदा की। उपाध्यक्ष महोदय, उस राष्ट्रीय शक्ति ने हमारे लिये यह लाजिमी कर दिया कि हम इस शक्ति को संगठित करके तीनों मोर्चों के ऊपर युद्ध आरम्भ करदें, चीन की सीमा पर जहां दुश्मन के नापाक पैरों ने हमारी पवित्र भूमि को पददलित किया है। खेतों में और कारखानों में और इसके साथ साथ किसी संकट के समय जनता की शक्तियों को इस तरह सुव्यवस्थित, सुसंगठित करें कि उनको देश रक्षा के हर कार्य में काम में लें। होम गार्ड्स, राइफिल ट्रेनिंग, विलेज वॉलन्टियर फ़ोर्सेज़ या इसी नक्शे के कुछ मुख्य मुद्दे हों, जिन पर सरकार को ज़ोर देना आवश्यक हो गया है। ३.५० लाख रुपया ६२-६३ में इस मद में था उसको बढ़ा कर अब ६.५४ लाख इसमें करना पड़ा और ९ लाख ६३-६४ में ख़र्च करने जा रहे हैं, सिविल डिफ़ेन्स फ़ोर्म के लिये और भी बड़ी धन-राशि खर्च करें ताकि कमान्डर्स हर पंचायत में देश के नौजवानों को पूरी तरह से ट्रेन्ड कर सकें।

इस होम गार्ड्स बिल का, जैसा पिछले सदन में स्वागत हुआ था उसे सभी जानते हैं। न कोई इस मूड में था और इसे पुलिस का बगल-बच्चा बता कर अलग रख दिया था, पर राष्ट्रीय संकट ने हमारी विचारधारा को बदल दिया। अब हमारा दृष्टिकोण इस बारे में बदल चुका है।

वैसे होम गार्ड्स बॉम्बे में सबसे पहले लागू हुआ, उसका पैटर्न है, पुलिस के फ़ंक्शनिंग से अलग है। जो चित्र राजस्थान के होम गार्ड्स का पेश किया यह ऑग्जीलियरी पुलिस के हैल्पिंग फ़ोर्स के रूप में रखा है। हम इसको अलग अलग नहीं कर पाये हैं। अभी इसके रूल्स आये नहीं और न हम इसे क्लियर-कट डिफ़ाइन कर पाये हैं, किस प्रकार होम गार्ड्स के पैटर्न की ट्रेनिंग होगी लेकिन इस बिल ने एक मंजिल और भी तय की है। पब्लिक ओपीनियन के लिए सर्कुलेशन

Page No 70

(योगेन्द्रनाथ हांडा)

किया गया और कुछ ओपीनियन्स भी सदन के अन्दर पेश कीं, जो विभिन्न इलाकों से आई। इन ओपीनियन्स में अधिकतर कलेक्टर्स की हैं। वैसे पंचायत समिति और बार एसोशियेशन्स और कलेक्टर्स की ओपीनियन्स हैं। कलेक्टर्स का मुद्दा है कि राजनीति से बचाया जाय। पंचायत समिति ने प्रजातन्त्र से सम्बन्ध कायम करना चाहा। हमने होम गार्ड्स का चीफ कमाण्डर अपने राज्य में आई. जी. पी. को और डिप्टी कमाण्डर एक्सपीरियेन्स्ड मिलिट्री ऑफिसर लेफ्टिनेन्ट कर्नल के रेन्क का डिस्ट्रिक्ट में एक्सऑफिशियो तय किया है। ९ डिस्ट्रिक्ट्स में मिलिट्री ऑफिसर्स को कमाण्डर किया है और पुलिस का जो सबसे बड़ा अधिकारी है उसके नीचे होम गार्ड है। जहां तक होम गार्ड्स में आनेवाले लोगों को सुविधायें, स्टिपेन्ड्स, वर्दी वगैरह का सवाल है, कुछ लोगों की ओपीनियन है कि स्टिपेन्ड दिया जाय।

उपाध्यक्ष महोदय, आज राजस्थान में सारी परिस्थितियों को देखते हुए आज जो परिस्थिति है उसके बारे में चर्चा भी हो चुकी है, लॉ एण्ड ऑर्डर की। राज्यपाल ने अपने भाषण में इस ओर विशेष रूप से इंगित किया हैं। राजस्थान की पुलिस ने और राजस्थान के गृह मंत्री ने यह स्वीकार किया कि राज्य में जो लॉ एण्ड ऑर्डर की स्थिति है वह एब्नार्मल है और तस्करियों का धन्धा तेजी से चल रहा है और वह इन्डो-पाक बोर्ड पर विशेष रूप से जारी हुआ है। उपाध्यक्ष महोदय, ऐसी परिस्थितियों में होम गार्ड्स की निश्चित बात हो जाती है। मेरी राय है और मेरी पार्टी की भी राय है कि होम गार्ड्स को डिस्ट्रिक्ट के अन्दर जिला परिषद् से जो करके चलतें, सामन्जस्य स्थापित करके चलें। होम गार्ड्स के और जिला परिषद् के फंक्शनिंग में तालमेल होना चाहिये और उसके लिए कमेटी होनी चाहिये और इलेक्टेड लोगों की सारे राजस्थान में एक कमेटी होनी चाहिये जो तालमेल कायम कर सके। इसके अतिरिक्त होम गार्ड्स में ट्रेनिंग का प्रोविजन है। पुलिस की ड्यूटी पर होम गार्ड्स को अपोइन्ट कर देते हैं, पुलिस ऑफिसर्स के रूप में काम कर सकते हैं, फिर फायर के सम्बन्ध में, दीगर अटेक्स या रोइट्स आ जायें उस सम्बन्ध में होम गार्ड्स के लोगों की ड्यूटी के बारे में साइन्टिफिक स्टडी होनी चाहिये।

उपाध्यक्ष महोदय, सदन में इस बात पर भी जोर दिया गया और कई साथियों ने कहा कि परिस्थितियां ऐसी भी हैं कि जिनमें देश-द्रोही तत्व अलग अलग वेष बदल कर अपने स्थान बनाये हुए हैं और गृह मंत्री ने मेरे दल के नेता के भाषण की आलोचना करते हुए इस चीज को इस रूप में लिया कि मेरी पार्टी की ओर से कांग्रेस को पूंजीवादी होने की संज्ञा दी। मुझे आश्चर्य होता है गृह मंत्रीजीकी राय पर। भारतवर्ष की कॉम्युनिस्ट पार्टी अपनी राय रखती है, देशद्रोही तत्वों के बारे में अपनी राय रखती है और उसका अपना जो इतिहास है वह किसी से छिपा हुआ इतिहास नहीं है होम गार्ड्स को कायम करने में निश्चित रूप तालमेल है। यह हम नहीं मानते हैं कि कांग्रेस में बैठे हुए लोग हैं वे सारे के सारे प्रतिक्रिया-वादी है कॉम्युनिस्ट पार्टी ने स्पष्ट रूपसे से स्वीकार किया है कि कांग्रेस की मैनेंज में वे लोग हैं जो समाजवाद के सच्चे पोषक हैं, ईमानदार हैं, ईमानदारी से काम करने वाले हैं, जिनका देश के लिये कुर्बानियों का इतिहास है और कांग्रेस में वे लोग भी हैं जो बैठते हैं कांग्रेस में, लेकिन उन लोगों

(श्री योगेन्द्रनाथ हांडा)

की वकालत करते हैं, उन लोगों की सोचते हैं, जो देश के राष्ट्रीय संकट में बच्चों के दिमाग में जहर घोलना चाहते हैं सांप्रदायिकता का, जो लोगों के दिमाग में सांप्रदायिकता का जहर कायम करना चाहत ह, जो आज भारतवर्ष में कौमियत के नाम पर राजनीति को आगे ले जाना चाहते हैं, उन्होंने ऐसे लोगों से तालमेल किया है। वे भी आज मौजूद हैं कांग्रेस में। यह मेरे दल की निश्चित राय है।

यह भी कहा गया कि नेहरू को प्रोटेक्शन की आवश्यकता नहीं। देश की संकट की स्थिति में देश के लिये चन्दा इकट्ठा करने में, सोना इकट्ठा करने में, कुर्बानी करने में, जिन्होंने आगे कदम उठाया उन पर लगातार लांछन लगाये गये। देश भक्ति का कोई बोर्ड नहीं, देश भक्ति की कोई टोपी नहीं है, राष्ट्र के अन्दर एक संकट पैदा हुआ और राजस्थान में और दूसरे सूबों में जो इसके लिए प्रतिक्रियाएं होनी चाहिए थीं वे हुईं। राष्ट्र के अन्दर कुर्बानियों का सर्टीफिकेट एक ही हो सकता था कि जिन लोगों ने कितनी मेहनत से सोना पैसा कमाया होगा, जिन लोगों ने सोना देते समय, बोण्ड्स खरीदते समय; जिनके नेताओं ने यह कह दिया देश कुछ नहीं, सोना सब कुछ है, सोना उनको कैसे भेंट कर दें, जिनने यह कहा कि सिपाहियों को जूते नहीं दिये, सिपाहियों को वर्दी नहीं दी, उनको तरजीह नहीं देनी चाहिए। उन लोगों से उन लोगों का आप मुकाबला करें जिन्होंने रात दिन राष्ट्र के लिये एक कर दिया, व्यक्ति तौर पर, जाति तौर पर अधिक कुर्बानियां कीं। यह कहा गया कि कॉम्युनिस्ट पार्टी ने भयभीत होकर प्रस्ताव पास किया। वे लोग उन लोगों की पार्टी के लिए यह कहें कि जिन्होंने राष्ट्र के लिए अनेक कुर्बानियां दीं, वे लोग उस पार्टी के लिए यह कहें जो राष्ट्रीय संकट के समय में सबसे आगे थीं, वे चीमा, मनीदेव, जयदेव, कपूर और डांगे की पार्टी के लिए यह कहा जाय कि भयभीत होकर प्रस्ताव पास करे, जिन्होंने जिन्दगी की एक लम्बी अवधि जेलों में काटी, जिन्होंने अपनी जिन्दगी का सब कुछ देश के लिए न्योछावर कर दिया, सब कुछ देश के लिए कुर्बान कर दिया, जमीन-जायदाद सब कुछ कुर्बान कर दिया देश के लिए, देश के लिए उनका आज महत्व है। आज कुछ लोग सांप्रदायिक लोगों को खुश करने के लिए यह कह दें कि उन्होंने भयभीत होकर पिछड़ जाने के कारण यह प्रस्ताव किया है। क्या वे भयभीत होने वाले लोग थे? नहीं। उनके एक निश्चित सिद्धान्त हैं। हम पं० नेहरू की फॉरेन पॉलिसी के पोषक हैं, हम उसको निश्चित सफल बनाने में लगे हैं; लेकिन वे लोग हैं जो पं० नेहरू की फोरिन पॉलिसी के विरुद्ध हैं, जो पं० नेहरू की फोरेन पॉलिसी की खिलाफत करने वाले हैं; वे लोग हैं जो नब-राष्ट्र खतरे में था राष्ट्र को पूंजीपतियों की झोली में फेंक देना चाहते थे; वे लोग हैं जिनकी पिस्तोल से कारतूस निकले और महात्मा गांधी की हत्या हुई। आज कांग्रेस पार्टी से एक आदमी को वकील बना कर कहें कि कांग्रेस पार्टी ने यह किया है। वे लोग वॉलण्टियर फोर्स के लोग नहीं हैं गांवों में कमाण्डेण्ट को स्टडी दिला कर राष्ट्र की एक शक्ति को एक निश्चित उपयोग के अन्दर और राष्ट्र को मजबूत बनाने में समर्थन देने वाले नहीं हैं। अगर समर्थन

(श्री योगेन्द्रनाथ हांडा)
भी देते हैं तो एक इस प्रकार का बल देते हैं जिसमें कुनैन है, ऊपर से मीठा लिपटा है। उनका एक ध्येय है समाजवाद के चरण आगे न बढ़ें। इधर बैठे हुए मित्रों से कहूंगा कि जहां तक समाजवाद का ताल्लुक है जो ईमानदार हैं, समाजवाद के सही रक्षक हैं, हम उनके साथ में, हम उनको साथ मिला कर चलना चाहते हैं।

राष्ट्र के संकट के लिये धन इकट्ठा किया उस ओर दृष्टिपात करिये। गंगानगर से आने वाले जो साथी हैं जिनको उधर बैठने वाले जागीरदार बताते हैं इन्दिरा गांधी मौजूद थी सब-मजिस्ट्रेट ने रिपोर्ट बतायी कि इसी एक आदमी के कारण पं० नेहरू को और इन्दिराजी को सोने में तोला गया। जब ये घर से चन्दा इकट्ठा करने चले तो इनके पिता ने इनकी स्त्री को बुला कर उनके तमाम गहने चन्दे में दे दिये। मैं जिस सब-डिवीजन से आया हूं वहां का रेकॉर्ड है कि कितना पैसा इकट्ठा करने में योग दिया है।

(४ म.प.)

उन साथी ने केवल पैसा ही एकत्रित नहीं किया जिन्होंने ट्रांसमिटर सेट बताये। उनके लिये आप आक्षेप करते हैं कि समाजवाद के खिलाफ हैं। ये बातें वे लोग कर रहे हैं जो किसी न किसी वेष में यहां आये हैं। वे हमारी राष्ट्रीयता पर आक्षेप करते हैं। हमारे लिये कहा जाता है कि हम उन गद्दारों की वकालात करते हैं, हम गद्दारों की दलाली करते हैं। हम आपको बता देना चाहते हैं कि गंगानगर वह इलाका है जिसमें जब राष्ट्र की रक्षा के लिये लड़ने वाले जवानों के लिये खून देने की बात आयी तो गंगानगर के पहले वे लोग हैं जिनकी संख्या ४० थी जो कॉम्युनिस्ट पार्टी के लोग हैं, वे सबसे पहले खून देने के लिये पहुंचे।

इन शब्दों के साथ जो होम गार्ड बिल आया वह सुन्दर है लेकिन इसको और सुन्दर बनाने के लिये इसको सिलेक्ट कमेटी में भेजना चाहिए और उससे सात दिन के अन्दर रिपोर्ट प्राप्त कर लेनी चाहिए।

श्री गिरधारीलाल व्यास (आसीन्द): आज तो जोशीले भाषणों में आपने रेकॉर्ड कायम कर दिया।

श्री उपाध्यक्ष: श्री मोतीलाल चौधरी।

श्री मोतीलाल चौधरी (डीडवाना): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, विरोधी तीनों पार्टियों ने इन बिल को सलेक्ट कमेटी में भेजने का प्रस्ताव किया है। उस संबंध में बोलते हुए उनके आपसी मतभेद, उनकी अपनी नीति का प्रचार जिस प्रकार से किया वह यह बताता है, कि उनका मकसद इसको सलेक्ट कमेटी में भेजने का क्या है, उसका खुला चित्र उन्होंने सदन के सामने प्रस्तुत कर दिया।

होम गार्ड बिल की कितनी जरूरत है, इसको दृष्टि में रखते हुए हाउस के कई सदस्यों ने वर्तमान में एमर्जेन्सी की स्थिति नहीं है, इस प्रकार बताने की चेष्टा की। उनका दकियानूसी तरीका इसको टालने के लिये था कि इसके लिये म्युनिसिपैलिटीज़ पैसे कहां से लायेंगी। इसके लिये उन्होंने कहा कि इसको सलेक्ट कमेटी में भजा जाना चाहिये। पहले जिस प्रकार का बिल था उसी प्रकार का बिल है, भाषा में कोई परिवर्तन नहीं, खामख्वाह टालने के लिये यह बात कही गई है। विरोधी पक्ष चाहता

(श्री मोतीलाल चौधरी)

है कि अब तो एमर्जेंसी नहीं रही इसलिये वॉलण्टियर फोर्स नहीं होनी चाहिये । तीनों पार्टियों ने इस प्रकार का प्रस्ताव रखा । तीनों का उद्देश्य एक ही दिशा की तरफ था कि किसी भी तरह से होम गार्ड नहीं बने और फिर जाकर हम प्लेटफार्म पर चिल्लावें कि होम गार्ड सरकार बनाती नहीं । यह तरीका है विरोधी दल का, यह डिले के टैक्टिक्स हैं जो इस एमर्जेन्सी के बिल्कुल खिलाफ जाते हैं । राष्ट्र के यह हित में है या नहीं, यह सदन अच्छी तरह जान सकता है ।

मैं गृह मंत्री महोदय को यह निवेदन करूंगा कि इस बिल को जल्दी से जल्दी पास करना चाहिये । इसमें जो देर की है वह गलत की है । ऑर्डिनेन्स पास करने के पहले ही काम क्यों शुरू नहीं किया गया और आज करने जा रहे हैं यह और भी आश्चर्य का विषय है । आपको तो यह बताना चाहिए था कि ऑर्डिनेन्स के लागू होने के बाद होम गार्ड में हमने इतना काम किया और इतना काम आगे करने वाले हैं । इसका फाइनेन्शियल स्टेटमेंट रखा जाना चाहिये । मुझे तो गृह मंत्री महोदय से यह शिकायत है कि उनकी ओर से देरी हुई है । माननीय सदस्य जो इसे सलेक्ट कमेटी में भेजना चाहते हैं उनका मकसद केवल इतना ही है कि इसको डिले किया जाय । मेरा तो सरकार से यही निवेदन है कि जितनी जल्दी हो सके इस कानून को पास किया जाय और इसके अनुसार अमल शुरू कर दिया जाय और आगे आने वाले सैशन में, अगस्त में, हमारे सामने जो भी कदम आपने उठाये हैं उनका चित्र हमारे सामने आ जाय । इसके साथ में उन माननीय सदस्यों से निवेदन करूंगा जिन्होंने इसको सलेक्ट कमेटी में भेजने का जो अमेण्डमेण्ट रखा है वे विथड्रा करें ।

इसके साथ साथ में एक-दो बातें और निवेदन कर देना चाहता हूं । होम गार्ड्स बिल पर जो बहस हो रही थी उसके दौरान में हमें एक चित्र मिला कि कौन देश का हित चाहने वाले हैं और कौन श्रमिकों के हित में काम करने वाला है, कौन राष्ट्र के प्रति वफादार है और कौन दूसरे देशों की तरफ झांकते हैं । जनसंघ और कॉम्युनिस्ट और स्वतंत्र पार्टी ने अपने अपने विचार व्यक्त किये । मैं कॉम्युनिस्ट साथियों से निवेदन करना चाहता हूं, उनमें राष्ट्रीयता है और वे अपने राष्ट्र के प्रति वफादार हैं तो उनको एक नीति का त्याग करना होगा । वे जो हर चीज के लिये रूस और चीन की ओर देखते हैं, यह नहीं होना चाहिए । स्वामीजी हमारे पूजनीय हैं, उनकी राष्ट्रीयता में किसी को शक–शुबा करने की गुंजाइश नहीं है । दूसरी तरफ हमारी स्वतंत्र पार्टी हम कहती है कि हम अमेरिका और ब्रिटेन के साथ गठबन्धन कर लें । यह भी इस समय में उचित कदम नहीं है । हम तो यह चाहते हैं कि हमारे देश का एक एक बच्चा, हर नागरिक अपनी राष्ट्रीयता का परिचय दे । वह केवल मौखिक ही नहीं, बल्कि कुछ सक्रिय रूप से कार्य करके दे । एक पार्टी रूस और चीन की तरफ देखती है और दूसरी यू. एस. ए. से मदद लेने की और उनके गुट्ट में शामिल हो जाने का परामर्श देती है । हम इन दोनों पॉलिसीज़ को नहीं चाहते । हमारी पार्टी का यह प्रिंसिपल है कि चाहे किसी से भी हमें सहायता, सहयोग मिले वह लेना चाहिये और किसी भी गुट्ट

(श्री मोतीलाल चौधरी)
में शामिल नहीं होना चाहिये । कॉम्युनिस्ट पार्टी के माननीय सदस्य बोल रहे थे और कह रहे थे कि हम यदि कर लगायेंगे तो रिवोल्यूशन कर देंगे । मेरा उनसे निवेदन है कि आज की स्थिति में रिवोल्यूशन की बात न करें । उनका तरीका वॉयोलेन्स का है, वह कभी सफल नहीं हो सकता । अगर विरोध ही करना है तो नॉन–वायोलेन्स के तरीके से हो सकता है ।

आज के दिन लेनिन का तरीका नहीं चल सकता, स्टालिन का तरीका नही चल सकता । स्टालिन के तरीके को बन्द करने का प्रयत्न आज रूस के प्रधान मंत्री ख्रुश्चेव कर रहे हैं । कॉम्युनिस्ट पार्टी को हिन्दुस्तान की हालात को देखते हुए अपनी नीति में परिवर्तन करना होगा । आज मार्क्सवाद और लेनिनवाद नहीं चल सकता; हम तो गांधीयन तरीके से समाजवाद की स्थापना कर सकते हैं । जो निर्णय कांग्रेस ने आवड़ी अधिवेशन में लिया उसको हमारी कांग्रेस सरकार पूरा करने का प्रयत्न गत १४ साल से कर रही है । आज किसान और मजदूर की बात कॉम्युनिस्ट पार्टी करती है । आपका केरल में कॉम्युनिस्ट शासन था । उसमें वह सरकार छठे बांटे पर लैण्ड रेवेन्यू नहीं लगा सकी । कांग्रेस ने लैण्ड रेवेन्यू १।६ पर फिक्स किया है, केरल में कॉम्युनिस्ट सरकार तीसरे बांटे पर भी लैण्ड-रेवेन्यू नहीं लगा सकी ।

इसके बाद में आप चाहते हैं कि रेवोल्यूशन करेंगे । इसके बारे में प्लानिंग कमीशन के एक मेम्बर ने रिपोर्ट लिखी है, वह पढ़ें । उन्होंने कहा है कि हिन्दुस्तान में जो लेंड रिफार्म्स हुए हैं उनमें राजस्थान अग्रणी है ।

आप कह रहे हैं किसानों पर टैक्स लगा रहे हैं । मुझे महसूस हो रहा था एक सदस्य कॉम्युनिस्ट पार्टी के और जनसंघ के लड़ रहे थे । मुझे खुशी हुई इसलिये कि जो उनकी हालत है, घर की बात कही । इसलिये आज के दिन ज्यादा नहीं कह कर इतना ही कहना चाहूंगा कि आप अपने को परिवर्तित करें, इस होम गार्ड के नमूने को जल्दी जल्दी पेश करें, इस बिल को जल्दी पास करें ।

श्री उपाध्यक्ष : सरकारी पक्ष ।

श्री भेरोंसिंह (किशनपोल, जयपुर) : अभी तो बहुत टाइम है ।

श्री उपाध्यक्ष : अमेण्डमेण्ट्स बहुत से हैं, १९ हैं ।

श्री भेरोंसिंह : अमेण्डमेण्ट्स पर बहस करने वाले नहीं हैं ।

श्री मथुरादास माथुर (गृह मंत्री) : तो विथड्रा करा लो ।

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा (रायसिंहनगर) : विथड्रा तो नहीं होंगे ।

श्री भेरोंसिंह (किशनपोल, जयपुर) : अमेण्डमेण्ट्स तो वैसे ही नहीं लिये जावेंगे । माननीय उपाध्यक्ष महोदय, होम गार्ड्स विधेयक.........

श्री उपाध्यक्ष : थोड़ा समय का ख्याल रखें ।

श्री भेरोंसिंह : पांच बजे पहले पहले पास करवाना है, बहुत ख्याल है, साहब । होम गार्ड्स विधेयक इस सदन में विचारार्थ

(श्री भैरोंसिंह)
प्रस्तुत किया गया है। पिछले सेशन में भी यह विधेयक इस सदन में प्रस्तुत हुआ था और उस समय इस विधेयक के कई क्लाजेज को लेकर इस सदन के कई माननीय सदस्यों ने कई प्रकार के संदेह व्यक्त किये थे।

उस समय जिस प्रकार की स्थिति थी, उस स्थिति में इस प्रकार का संदेह व्यक्त करना उचित था। लेकिन उसके बाद साम्यवादी चीन के आक्रमण के कारण देश में कुछ ऐसी परिस्थितियां बनीं, जिनके कारण यह विधेयक आवश्यक हो गया और हमारी सरकार ने उसे आवश्यक महसूस करते हुए एक आर्डिनेन्स भी इश्यू किया।

राजस्थान में इस कानून के अन्तर्गत बनने वाले होम गार्ड्स की स्थापना भी हुई। बहुत से व्यक्तियों को ट्रेनिंग दी गई, कई अधिकारियों की नियुक्ति हुई और उन सबके लिये बजट के अन्दर प्रावधान भी रखा गया। ये सब बातें आवश्यक थीं और उस आवश्यकता के अनुसार इन सब बातों की किसी सीमा तक पूर्ति की गई।

इस संबंध में जनमत जानने की भी चेष्टा की गई। इस विधेयक को सर्कुलेट किया गया और सर्कुलेशन के पश्चात् कई व्यक्तियों की नाना प्रकार की रायें भी आईं, जो माननीय सदस्यों को वितरित की गई।

उसके अनुसार भी यह बिल आज की स्थिति में कानून का रूप ले, यह बहुत ही आवश्यक है। लेकिन कई मत इस प्रकार के आये हैं कि होम गार्ड्स के अन्दर राजनैतिक दलों को सम्मिलित नहीं किया जावे।

मैं यह नहीं समझता कि उनकी यह राय किस प्रकार से बनी है। डेमोक्रेसी के अन्दर इस बात को लेकर यदि हम चलें कि सुरक्षा प्रयत्नों में किये जाने वाले कार्यों के अन्दर राजनीति प्रविष्ट न हो, यह प्रजातन्त्र के प्रति एक प्रकार की दुर्भावना है।

आज कोई यह नहीं कह सकता कि हिन्दुस्तान की जनता ने राजनीतिक क्षेत्र में प्रवेश नहीं किया है। जब चुनाव होते हैं तो हिन्दुस्तान के प्रत्येक मतदाता व्यक्ति को मतदान करने के लिये अपनी इच्छाओं के अनुसार पोलिंग स्टेशन पर जाकर मतदान करने का अधिकार है। वह मतदान करता है और वह किसी न किसी राजनैतिक दल अथवा व्यक्ति की विचारधारा की पुष्टि करता है। तो इस सम्बन्ध में इस बात को तो मैं स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं हूं कि राजनैतिक दल का उसमें प्रवेश निषिद्ध कर दिया जावे, पर इस बात की आवश्यकता समझता हूं कि यहां इस प्रकार के तत्वों के ऊपर अवश्य निगरानी रखी जावे जो होम गार्ड्स के नाम पर होम गार्ड्स के काम को सेबोटेज कर सकता हो।

उपाध्यक्ष महोदय, यह सेबोटेज करने की भी एक कला है और उस कला को प्राप्त करने में कई वर्ष लगते हैं। कई लोगों को इस प्रकार की ट्रेनिंग दी जाती है। शैल्स बना कर सेबोटेज आसानी से किस प्रकार किया जा सकता है इस बात की प्रेक्टिस कराई जाती है। राजनैतिक दल के अन्दर सरकार के अन्दर, सरकार की मशीनरी के अन्दर किस प्रकार से प्रवेश किया जावे और प्रवेश करके सरकार की कार्यवाहियों को किस प्रकार से सेबोटेज किया जावे, इन

(श्री भैरोंसिंह)

सब बातों की ट्रेनिंग जिन लोगों को मिलती है हमें उनसे थोड़ा सावधान रहना पड़ेगा।

यदि हमने वह सावधानी बरती तो वास्तव में हम होम गार्ड्स के द्वारा जो इस संकटकालीन स्थिति में सेवा प्राप्त करना चाहते हैं वह निश्चित रूप से प्राप्त कर सकेंगे।

अभी कुछ देर पहले हमारे साम्यवादी पार्टी के एक वयोवृद्ध नेता ने बहुत ही जोश से यह कहा कि कॉम्युनिस्ट पार्टी देश में जो संकट आया है उसका मुकाबला करने में किसी से पीछे नहीं रहेगी। मैं उनकी इस बात का स्वागत करता हूं और उनको इस बात के लिये धन्यवाद भी देता हूं। उनसे जिस प्रकार की अपेक्षा की जाती है उन्होंने उस प्रकार का आचरण करके यह सिद्ध करने की चेष्टा की है कि अभी तक उनमें वह सेबोटेज करने के संस्कार जो उनकी पार्टी के शैल्स में मिलते हैं, उनका प्रभाव उन पर नहीं पड़ा है। पर उन्होंने साथ साथ एक बात यह भी कही कि टैक्सों के मामलों को लेकर हम आन्दोलन करेंगे। उनके इस आन्दोलन का मैं विरोधी नहीं हूं। मैं भी समझता हूं कि जो टैक्स ज्यादा लगे हैं जिनको बर्दाश्त करने की जनता की शक्ति नहीं है, उन टैक्सों का विरोध अगर जनता करे तो वह कोई प्रजातन्त्र के विपरीत कदम होगा, ऐसी बात नहीं है।

मेरा तो केवल एक सवाल उनसे हो जाता है कि टैक्स लगाने के मामले पर वह जब इतने उतावले होकर यह बात कहते हैं कि हम उसके लिये आन्दोलन करेंगे तो कोई उनसे एक बात पूछ सकता है कि २० अक्टूबर को चीन ने जब आक्रमण किया हिन्दुस्तान पर तब २० अक्टूबर से लेकर अब तक गंगानगर क्षेत्र का उल्लेख भी बाद में करूंगा जन जागरण के लिये उन्होंने क्या आन्दोलन किया? जब चीन की सेना हंसिया हथोड़े के झंडे को लेकर हिन्दुस्तान की फौज जो तिरंगा लेकर अपनी और अपने देश की रक्षा के लिये जी जान की बाजी लगा कर उनकी गोलियों का मुकाबला कर रहीं थी, उनकी गोलियां अपनी छाती पर झेल रही थी उस समय उनको जन-आन्दोलन करने की आवश्यकता महसूस नहीं हुई, चीन को कन्डेम करने की आवश्यकता वे महसूस नहीं कर सके, पर आज आवश्यकता महसूस करते हैं कि उसी चीन का मुकाबला करने के लिये, सुरक्षा प्रयत्नों को मजबूत बनाने के लिये कर-भार यदि जनता पर थोड़ा ज्यादा बढ़ता है तो जन आन्दोलन किया जावेगा? मैं उन जैसे रिवोल्यूशनरी नेता से यह भी अपेक्षा करता था कि चीन के आक्रमण के समय भी वे जनता के बीच में आकर इस बात की शहादत देते कि हम केवल टैक्सों के खिलाफ ही आन्दोलन करना नहीं चाहते पर हमारा साम्यवादी साथी कोई मुल्क भी हिन्दुस्तान की स्वतंत्रता पर आंच लगाता है और आक्रमण करता है तो उसके लिये उसके विरुद्ध आन्दोलन करने के लिये भी तैयार हैं।

श्री कुमारानन्द (ब्यावर): बहुत कहा है हमने।

श्री भैरोंसिंह: आप सुनें। घबरायें नहीं।

अब वह कहते हैं कि हमने भी किया। लेकिन मुझे माननीय गृह मंत्रीजी बता दें कि आज तक जयपुर शहर के अन्दर या

Page No 77

(श्री भैरोंसिंह)

राजस्थान के अन्दर किसी और जगह कॉम्युनिस्ट पार्टी की कितनी मीटिंग्ज हुई उन दिनों के अन्दर हुई जब कि देश के ऊपर संकट आया हुआ था ? वह इस बात का सुबूत सबसे बड़ा होगा । हिन्दुस्तान के अन्दर कॉम्युनिस्ट पार्टी की कितनी मीटिंग्ज हुई ? जयपुर में कितनी हुई ?

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा (रायसिंहनगर) : सिवाय जयपुर के और कहीं की बात किया कीजिए ।

श्री भैरोंसिंह : जिस समय आप बोल रहे थे गर्ज गर्ज कर मैंने आपको बिल्कुल डिस्टर्ब नहीं किया था । क्या आपकी यह इच्छा है कि इस तरह डिस्टर्ब करके आप यह बतलाना चाहते हैं कि केवल आप ही करना जानते हैं तो यह मैं भी कर सकता हूं । अगर इसका आप नाजायज फायदा उठायेंगे तो बाकी के लिये आप समझ लें ।

तो मैं यह कहता हूं कि राजस्थान के अन्दर, हिन्दुस्तान के अन्दर कांग्रेस पार्टी की कितनी मीटिंग्स हुईं ? उसका रेकॉर्ड मिल सकता है । इस बात का कांग्रेस पार्टी का इतिहास मिल सकता है कि देश के ऊपर संकट के अवसर पर हिन्दुस्तान के अन्दर उसकी कितनी मीटिंगें हुईं, प्रजा समाजवादी पार्टी का इतिहास मिल सकता है कि कितनी मीटिंगें हुईं, समाजवादी दल का इतिहास मिल सकता है कि कितनी मीटिंगें उस समय में उनकी हुईं, जनसंघ का इतिहास मिल सकता है लेकिन कॉम्युनिस्ट पार्टी के इतिहास के पन्ने कहां गये, कहां कहां उनकी मीटिंग हुई, कहां कहां उन्होंने पब्लिक मीटिंग में डिक्लेरेशन किया ?

श्री कुमारानन्द (ब्यावर) : ब्यावर में मीटिंग किया, जोधपुर में मीटिंग किया, अजमेर में किया, बीकानेर में मीटिंग किया और इंडिया के अन्दर जगह जगह पर मीटिंग किया ।

श्री भैरोंसिंह : अब आपने वे मीटिंगें सैल्स में कर ली हों तो उसकी जानकारी नहीं है ।

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा : राजस्थान में मैं चैलेंज करके कहता हूं कि आपकी मीटिंगें कुल ४-५ हुई होंगी ।

श्री भैरोंसिंह : सैल्स के अन्दर आपकी मीटिंगें हमसे ज्यादा हुई हैं ।

(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : ऑर्डर, ! ऑर्डर प्लीज !!

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा : शाखा में जाते हैं ।

श्री भैरोंसिंह : मुझे शाखा में जाने का गर्व है ।

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा : तो हमें भी सैल्स का गर्व है ।

श्री भैरोंसिंह : तो फिर मैं लोगों से कहूंगा कि सैल्स में जो सेबोटेज करने की कार्यवाही होती है उससे सावधान रहें ।

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा : लाठी भी चलाना सिखाते हैं ।

श्री भैरोंसिंह : उसका मुझे गर्व है ।

(श्री भैरोंसिंह)

मैं कह रहा था कि वे बतायें कि आखिर मीटिंगें कहां हुई ? एक मीटिंग हुई जोधपुर में और वह भी गृह मंत्री जी के संरक्षण में। गृह मंत्रीजी ने कहा कि कॉम्युनिस्ट पार्टी के लोग बोल रहे हैं, चुप रहो। वहां जनता ने आन्दोलन किया कि हम सुनने को तैयार नहीं हैं, तो गृह मंत्रीजी कहते हैं कि इनको बोलने तो दो। वह मीटिंग जिस तरह की हुई, मैं विरोध नहीं करता; लेकिन मीटिंग की है किसी न किसी के संरक्षण में और आज भी मैं दावे के साथ कहता हूं कि आप इंडिपेण्डेंटली कोई मीटिंग करके बतायें। आपने दिल्ली में कोई मीटिंग की हो तो बता दें, जयपुर में की हो तो बता दें, बीकानेर में की हो तो बता दें, अजमेर में की हो तो बता दें ? उपाध्यक्ष महोदय, यह सब किस बात का सुबूत है ? यह इस बात का सुबूत है कि जनता इनकी बात को सुनने को तैयार नहीं है, जनता में आपके प्रति अविश्वास है......

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा : हम इतने गिरे हुए नहीं थे कि झंडा पकड़ कर एमर्जेन्सी की मीटिंग तोड़ते। आपने कदम उठा लिया कि एमर्जेन्सी की मीटिंग झण्डा लेकर तोड़े। हमने कहा कि हम नहीं तोड़ेंगे और न हमने इसको मुनासिब समझा। जोधपुर में जो मीटिंग हुई उसमें सिवाय आपके भगवा झंडा के कोई शोर मचाने वाला नहीं था और वह आपके ट्रेण्ड आदमी थे, वे बच्चे थे, वे शाखा वाले थे और उन्होंने एमर्जेन्सी की मीटिंग तोड़ी, जगह जगह हल्ला मचाया और बाद में तंग आकर आपके वालण्टियर्स पकड़े तो आप शांत रहे।

श्री भैरोंसिंह : उपाध्यक्ष महोदय, एक बात हुई, जिसके ऊपर सारा वाद-विवाद हुआ। जिस समय वॉलण्टियर फोर्स क्रियेट करने की बात आई तो मैंने कहा था कि कहीं उसमें इस प्रकार के तत्व नहीं आ जायें, जिस प्रकार के तत्व जिनको आज हिन्दुस्तान की जनता, चीन के एजेण्ट की संज्ञा देती है वह तत्व न आ जायें। केवल एक बात कही और इस बात से हमारे कम्युनिस्ट मित्र चिढ़ गये। जैसे कोई गिल्टी कॉन्स्येन्स होता है और वह अपने आपसे प्रिक करके उठता है और कहने लगे कि हम गद्दार नहीं हैं। मैंने पांचों को गद्दार नहीं बताया......

श्री कुमारानन्द (व्यावर) : गद्दार वही हैं जो नेहरू को हटाना चाहते हैं।

श्री भैरोंसिंह : इसमें कोई सन्देह नहीं है। आप जो कह रहे हैं वह सही है। लेकिन मुझे एक ताज्जुब होता है कि आप नेहरू और कांग्रेस में विभेद करके चलते हैं। नेहरू जी कांग्रेस के नेता हैं। वह हमारे से बाहर नहीं है। कांग्रेस को आप सरमायेदारों की संस्था कहते हैं, पूंजीपतियों की संस्था कहते है, अमरीका के एजेण्टों की संस्था कहते हैं और नेहरूजी की आड़ लेकर चलते हैं, वह इसलिए कि जब किसी के ऊपर विपत्ति आती है तो वह "हनुमान चालीसा" का पाठ करता है, "संकटमोचन नाम तिहारो'। तो नेहरूजी आज आपके लिए "हनुमान चासीला' बन रहे हैं। उनका खूब पाठ करो, वही आपके संकट को दूर करेंगे।......

श्री कुमारानन्द : आज देश के लिए नेहरूजी की बहुत जरूरत है। अगर वे नहीं होंगे तो प्रतिक्रियावादी आ जायेंगे।

श्री भैरोंसिंह : स्वामीजी, मैं इन्कार नहीं करता ।

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा : "हनुमान-चालीसा" का काम वही करते हैं जो लाल लंगोट लगाते हैं ।

श्री भैरोंसिंह : मैं तो यह चाहता हूं कि वह चीन का लाल झण्डा है उसकी यदि लाल लंगोट भी बना लूं तो कोई आपत्ति नहीं है ।

(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : आंर्डर।आंर्डर प्लीज !!

श्री भैरोंसिंह : मैं तो चीन की बात कर रहा हूं । चीन के नाम से यदि माननीय सदस्य चिढ़ें तो मुझे आपत्ति नहीं हो सकती । उनका यदि इस प्रकार का दृष्टिकोण है, चिढ़ें, लेकिन मैं जब चीन की बात कहता हूं तो उनके आग क्यों लगती है ?....

श्री श्योपतसिंह (हनुमानगढ़) : नहीं लगती है ।

श्री भैरोंसिंह : तो उनको (श्री योगेन्द्र नाथ हांडा) समझाइये । अब मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि.....

श्री हरिराम चौहान (तिजारा) : आप कॉम्युनिस्ट पार्टी पर गलत आरोप लगाते हैं । हम जानते हैं आपकी राष्ट्रीयता को । आप हिन्दू-मुसलमानों में झगड़ा करवाते हैं ।

श्री विजयसिंह झाला (नाथद्वारा) : उपाध्यक्ष महोदय, इस प्रकार का इण्टर-फियरेंस नहीं होना चाहिए । जब ये बोल रहे थे तो कोई इण्टरफियरेंस नहीं हुआ था ।

श्री भैरोंसिंह: ये इन्टरप्ट करें इनकी मर्जी की बात है । हमको नहीं करना है । मैं निवेदन कर रहा था कि आया सारी स्थिति के अन्दर आप जब कहते हैं कि जैसे अभी शायद उन्होंने इस बात का आरोप लगाने की चेष्टा की कि हम लोग तो इंग्लैण्ड और अमेरिका के गुलाम हैं । वे इसलिए गुलाम बताते हैं कि हमको जो चीन का गुलाम बनाना चाहे तो उसके बारे में एक स्थिति और पैदा करें । लेकिन मैं एक बात आपसे पूछूं कि एक पार्टी कहती है कि हमको रूस के ब्लॉक में जाना चाहिये और दूसरी कहती है कि हमको इंग्लैण्ड और अमेरिका के ब्लॉक में जाना चाहिये; लेकिन मेरी पार्टी कहती है कि हमें किसी भी ब्लॉक में नहीं जाना चाहिये । हम तो न अमेरिका के गुलाम हो सकते हैं और न रूस के हो सकते हैं । लेकिन मैं एक बात पूछना चाहता हूं कि जिस समय चीन का आक्रमण हुआ था उस समय रूस से हमें मदद नहीं आई, अमेरिका से आई । अमेरिका के पैसों से, अमेरिका के हथियारों से हमने अपनी सुरक्षा की हिन्दुस्तान की धरती पर खड़े होकर.............

श्री कुमारानन्द : Point of order ; अभी अपने कहा कि अमेरिका की मदद आया है तो वह १७ करोड का ही था, ज्यादा नहीं था ।

श्री भैरोंसिंह: मैं आपकी बात को स्वीकार करता हूं । आप पोइन्ट ऑफ आॅर्डर रेंज करें तो स्वीकार है, नहीं करें तो स्वीकार है । मेरे कहने का तात्पर्य यह है कि मेरे ऊपर कोई संकट आये और उस मौके पर मेरे साथी मेरा साथ दें और मेरा भाई उस व्यक्ति को गाली दें जो कि संकट के मौके पर काम आया और साथ दिया तो वह किस बात का सबूत है ? वह इस बात का सबूत है कि हमारे

(श्री भैरोंसिंह)

कॉम्युनिस्ट मित्र चाहते हैं कि अमेरिका की मदद न आ जाये और हिन्दुस्तान कमजोर रहे और चीन का गुलाम बन जाये। वह समय निकल गया, जब कि हिन्दुस्तान के लोग चीन की पूजा करते और चाऊ-एन- लाई के गीत गाते थे। अब तो हिन्दुस्तान में भारत माता के गीत गाने पडेंगे। आप बता सकते हैं कि कॉम्युनिस्ट पार्टी ने कभी भारत माता की जय बोली है ?

श्री कुमारानन्द: हम पचास बार कहते हैं भारत माता की जय, भारत माता की जय, भारत माता की जय............

श्री भैरोंसिंह: उपाध्यक्ष महोदय, मुझे इस बात की बहुत खुशी है.......

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल (जौहरी बाजार, जयपुर): इस सदन में तो बुलवा दिया और बाहर भी बुलवा देंगे।

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा: हम आठ-दस साल से प्यारी भारत मां कहते आये हैं।

(अश्रव्य)

श्री भैरोंसिंह: मुझे इस बात की खुशी है कि भारत मॉं की जगह प्यारी भारत मां हो गई। लेकिन उस प्यारी भारत मां के बोलनेवालों से पूछूं कि आपने कांग्रेस सरकार के ऊपर आरोप लगाया।

तस्कर व्यापार के अन्दर एक कांग्रेसी नेता गिरफ्तार हुए उनका भी तस्करवालों से संबंध था, लेकिन वे इस बात को भूल गये कि जब उस व्यक्ति की गिरफ्तारी हुई उसके थोडे दिन बाद ही बीकानेर कांग्रेस पार्टी ने उनको पार्टी से एक्सपैल कर दिया और यहां की कांग्रेस पार्टी उनके खिलाफ एक्सपैल करने का एक्शन ले रही है। मैं कहता हूं कि जो कॉम्युनिस्ट पार्टी के सदस्य यहां पर चीनी आक्रमण के सिलसिले में गिरफ्तार हुए हैं उनका यदि इस आक्रमण से संबंध है तो क्यों नहीं यहां की कॉम्युनिस्ट पार्टी ने उनके खिलाफ एक्शन लिया और क्यों नहीं उनको पार्टी से एक्सपैल किया?...

श्री हरिराम चौहान: उन पर मुकदमा चलाया जायगा.......

श्री उपाध्यक्ष: Order ! Order please!!

(अनेक माननीय सदस्य एक साथ बोलने खडे हुए)

Order ! Order please !!

श्री कुमारानन्द: यदि कॉम्युनिस्ट पार्टी देश के साथ गद्दारी करती है, यदि कोई देश पर आक्रमण करता है और उसका मुकाबला कोई पार्टी नहीं करती है चाहे वह कॉम्युनिस्ट हो, चाहे कांग्रेस हो, चाहे जनसंघ हो, वह देश की गद्दार है।

श्री भैरोंसिंह: स्वामीजी, आपकी बात को इन्कार करने का कारण नहीं है आपके खिलाफ में दलील नहीं दे सकता। मैंने एक सवाल पूछा था।

श्री उपाध्यक्ष: Please try to wind up.

श्री भैरोंसिंह: उपाध्यक्ष महोदय, जब नेहरूजी का नाम लेकर संकटमोचन की माला जपते हैं, नेहरूजी में विश्वास है, नेहरूजी ने उन लोगों को इसलिए गिरफ्तार करवाया है कि वे सारे के सारे देश के गद्दार हैं। नेहरूजी की बात मानते हैं तो गद्दारों का साथ क्यों देते हैं ? नेहरूजी ने उनको

(श्री भैरोंसिंह)
इसलिये गिरफ्तार किया था कि वे चीन का साथ दे रहे थे, वे देश के प्रति गद्दारी कर रहे थे। एक तरफ आप नेहरूजी की जय बोलें और दूसरी तरफ उनके काम की आलोचना करें ? इन दोनों को लोग पहिचान गये हैं।

(अनेक माननीय सदस्य एक साथ बोलने लगे)

मैं उपाध्यक्ष महोदय, यह निवेदन कर रहा था कि मामला है चीन का, मामला है रूस का। रूस और चीन के मामले में कुछ खास लोगों को जलन हो तो मैं समझता हूं जलन का कारण तभी हो सकता है जब अन्तरात्मा मिली हुई होती है; तभी जलन होती है। नेहरूजी को आप तो सरमायेदार नहीं कहते; लेकिन चीन के चाऊ एन लाई क्या कहते हैं ? वे कहते हैं कि नेहरूजी इम्पीरियलिस्टिक फोर्सेज के हाथ में खेलते हैं..........

श्री कुमारानन्द : चाऊ-एन-लाई का दिमाग खराब हो गया है।

श्री भैरोंसिंह : उपाध्यक्ष महोदय, आज··

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : (जोहरी बाजार, जयपुर): He deserves this for self realization.

श्री भैरोंसिंह: मैं ऐसा समझता हूं···

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा: हिन्दू चीन का दिमाग ठीक है क्या ?

श्री भैरोंसिंह: उपाध्यक्ष महोदय, मैं यह कह रहा था कि हम ६ साल से कहते आये हैं कि अंतर्राष्ट्रीय साम्यवाद से चीन के चाऊ-एन-लाई की साठगांठ है उनके साथ मत जाओ - उस समय कहते थे कि चीन में चाऊ एन लाई ने प्रगति की है उसकी नकल हिन्दुस्तान को करनी है। उस समय नकल करते थे चीन की और यह कहते थे कि चाऊ एन लाई बुद्धिमान है। उसका प्रचार किया जाता था। किताबें बांटी जाती थीं, लेकिन जब लडाई की स्थित पैदा हुई तो कहते हैं चीन के चाऊ एन लाई·········

श्री हरिराम चौहान : समाजवादी व्यवस्था का हम विरोध नहीं करते हैं। हम सारी दुनियां की समाजवादी व्यवस्था के हामी हैं।

श्री भैरोंसिंह: वह बिल्कुल सही है। २ मिनट सुन लें। पिछले दिनों नेहरूजी के नाम पर आन्दोलन किया है। लेकिन एक आन्दोलन और चालू किया कि हम तटस्थता की नीति में विश्वास करते हैं। कांग्रेस भी उसमें विश्वास करती है, हम भी तटस्थता की नीति में विश्वास करते हैं। फिर इस विवाद की आवश्यकता क्या थी ? इस नाम से हिन्दुस्तान में विवाद खडा क्यों किया ? कौन तटस्थ रहना चाहता है, कौन नहीं ? तटस्थता की नीति है देश की। देश की जिससे सुरक्षा होती है उसको निर्धारित करके शासन चलाया। यदि हमारी नीति से हम देश की सुरक्षा कर पावें तो इसमें विवाद की आवश्यकता क्या है ? लेकिन वह विवाद इसलिये खडा किया कि हिन्दुस्तान पर चीन का आक्रमण हुआ, उसके कारण कॉम्युनिस्ट पार्टी की स्थिति खराब हुई और जनता के सामने जाने की उनकी हिम्मत नहीं हुई, उससे बचने के लिये, जनता में कैसे जावें तो कहा कि तटस्थता की नीति में सम्मिलित होकर नेहरूजी के समर्थक हो जावें। यह तो वही

(श्री भैरोंसिंह)

बात हुई; एक प्रोफेसर की लडकी अपने लवर के साथ भाग गई और जाते समय एक चिट्ठी अपने पिता के नाम पर लिख कर छोड गई। लैटर में यह लिखा: "My dear father; I am runing away with my over." प्रोफेसर को चिन्ता हुई कि अब क्या किया जाय, कैसे शर्म बचाई जाय; तो वह कहने लगा, लडकी भाग गई उसकी मुझे चिन्ता नहीं, लेकिन मुझे इस बात की चिन्ता है है कि एक प्रोफसर की लडकी होकर उसने "रनिंग" की स्पेलिंग क्यों गलत लिखी ? तो कॉम्युनिस्ट को यह चिन्ता नहीं है कि भारत तटस्थ रहे या तटस्थता की नीति अपनावे, लेकिन उनको तो यह चिन्ता है कि लोगों के सामने कौनसा मुंह लेकर जावें·····

श्री कुमारानंद: भोपाल में जनसंघ पार्टी की कॉन्फ्रेन्स हुई थी उसमें कितने अमेरिकन एजेन्ट्स आये थे और कितने बाहर के एजेन्ट्स मौजूद थे ?

एक माननीय सदस्य: कॉम्युनिस्ट पार्टी की मीटिंग में जितने सोवियेट एजेन्ट्स थे उनसे आधे ही थे।

श्री भैरोंसिंह: आप चाहते हैं कि मैनन साहब का विरोध क्यों किया ? एक तरफ कहते हैं कि नेहरूजी का विरोध क्यों करते हैं और दूसरी तरफ कहते हैं कि मैनन साहब को क्यों निकाला ? मैनन साहब को मैंने निकाला या नेहरूजी ने ?

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा (रायसिंहनगर): हमने विरोध नहीं किया, उत्तर प्रदेश में हत्या कर दी।

श्री भैरोंसिंह: हत्या भी करेंगे, देश के साथ जो गद्दारी करते हैं उनके टुकडे टुकडे भी करेंगे······

(शोरगुल, अनेक माननीय सदस्य एक साथ बोलने लगे)

श्री उपाध्यक्ष: Order ! Order Please !!

श्री भैरोंसिंह : उपाध्यक्ष महोदय, मैनन साहब के नाम से इनको चिढ, चाऊ एन लाई के नाम से इनको चिढ, माओत्से तुंग के नाम से इनको चिढ, लाल झंडों और हंसिया हथोडा से इनको चिढ, जो चीन का है। इन सब बातों से अब इनको चिढ हो गई है; लेकिन २० अक्टूबर से पहले जब कि चीन ने हमारी १३,००० वर्ग मील भूमि पर अधिकार कर लिया था, जब हिन्दुस्तान के प्रत्येक बच्चे ने चीन के खिलाफ आवाज उठाई थी तब २० अक्टूबर से पहले कॉम्युनिस्ट दल चुप-चाप कैसे खडा था ?. ·········

श्री कुमारानंद : इस सदन में सबसे पहले मैंने आवाज उठाई थी चीन के आक्रमण के खिलाफ।

श्री भैरोंसिंह : आप कॉम्युनिस्ट पार्टी से ऊंचे हैं। यदि आप कॉम्युनिस्ट भी हैं तो भी मैं आपको संदेह की नजर से नहीं देखता। लेकिन २० अक्टूबर से पहले चीन ने एग्रेशन किया, उस बात को आपकी पार्टी ने स्वीकार नहीं किया, इस बात को स्वीकार नहीं किया कि चीन एग्रेशर है। २० अक्टूबर से लेकर १ नवम्बर तक इन्तजार किया; जब चीन की सेनाओं ने तवांग पर अधिकार कर लिया था, दिन दिन आगे बढ़ रही थीं, हिन्दुस्तान की जनता पूर्ण त्याग करके भारत सरकार के साथ थी, उस समय १ नवम्बर तक कॉम्युनिस्ट मौन बैठे हुए थे·······

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा (रायसिंहनगर): आपके दिमाग की बात है ।

श्री भैरोंसिंह: दुनियां जानती है । वह इस बात का सुबूत है कि किस समय रूस से क्या उत्तर मिलता है; जब इत्तला मिले तब प्रस्ताव पास करें कि चीन के खिलाफ बोल सकते हैं या नहीं । अन्तर्राष्ट्रीय साम्यवादी पार्टी से पूछ लें, फिर यदि आवश्यकता पड़े तो प्रस्ताव पास करें ।

मुझे गृह मंत्रीजी की बात सुन कर ताज्जुब होता है, उन्होंने कहा कि जो कागज पर लिख कर देंगे कि हम चीन के विरोधी हैं, मैं उनको जेल से छोड दूंगा·········

श्री मथुरादास माथुर (गृह मन्त्री): मैंने यह नहीं कहा कि जेल से छोड देंगे, मैंने कहा उस पर विचार करेंगे ।

श्री भैरोंसिंह: आदमी की राष्ट्रीयता आत्मा से संबंध रखती है, कागज पर लिखें कलम से, उससे नहीं । आज कोई डाकू यह कह कर चला जाय कि मैं डाका नहीं करूंगा इतना कहने से ही उसको जेल के सींखचों से मुक्त नहीं करते हैं । यदि कोई सरकार ऐसा कहती है तो कहना पडेगा कि वह असावधानी का काम करती है । कागज पर विश्वास करने से राष्ट्रीय भाव नहीं बनते । कागज के प्रस्ताव से राष्ट्रीयता के भाव नहीं बनते, आत्मीयता से बनते हैं, भारत माता के प्रति सच्ची श्रद्धा है उससे बनते हैं । कागज पर लिख दिया और श्रद्धा हो गई । कागज कोई प्रेम-पत्र नहीं है·········

(शोरगुल)

श्री उपाध्यक्ष: Order ! Order Please !!

श्री भैरोंसिंह: गिरफ्तार करने से आप लोग लोगों की नजरों में आ गये । नेहरूजी ने गिरफ्तार किया, मैंने नहीं किया । फिर भी नेहरूजी के नाम का रोज संकटमोचन चालीसा पढते जाते हैं ।

मेरे कहने से शायद गिरफ्तार नहीं करते । फिर भी आखिर जो देशभक्त हैं वे कितने दिन तक बजाये, मजबूर होकर गिरफ्तार कर लिया ।

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा : पब्लिक प्लेटफार्म पर गद्दार कहते हैं और यहां सदन में देशभक्त कहते हैं ।

श्री भैरोंसिंह: मैं कुछ भी कह सकता हूं । यह डेमोक्रेसी है । मेरे मन में जो है वही मैं मुंह से कहता हूं । मन में क्या और मुंह में क्या इस प्रकार का मैं व्यक्ति नहीं हूं । मन में चीन की भक्ति रहे और बाहर से देशभक्त के भाव बतायें, ऐसी बात आप में है । आपको लोग समझते हैं । नेहरूजी को च्यांग काई शेक नहीं बना सकते । मैं चुनौती के साथ कहता हूं कि भारत के अन्दर कॉम्युनिस्ट पार्टी की कब्र खोद दी जायगी·····

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा: कॉम्युनिस्ट पार्टी की कब्र नहीं खुदेगी, कॉम्युनिस्ट पार्टी आकर रहेगी ।

श्री श्योपतसिंह (हनुमानगढ): साम्प्रदायिक पार्टी के लिए मैं निश्चित् रूप से कह सकता हूं······

श्री भैरोंसिंह: मेरी समझ में नहीं आता, आप चीन और रूस के नाम से चिढते क्यों है ?

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा: आपकी सूझबूझ पर दुःख है ।

श्री भैरोंसिंह : आप चीन और रूस के नाम से चिढते क्यों हैं ? मैं तो चीन और रूस का नाम लूंगा, क्योंकि ये अभी तक पार्लियामेन्ट्री शब्द हैं । आप यह कह दें कि ये अनपार्लियामेन्ट्री हैं—चीन का नाम लेना अनपार्लियामेन्ट्री है, रूस का नाम लेना अनपार्लियामेन्ट्री है—तो मैं ये शब्द काम में नहीं लूंगा । ये शब्द पार्लियामेन्ट्री हैं, इसलिए मैं हाउस में इनका जिक्र करूंगा कि आप इनको विथ्ड्रा नहीं करा सकते । मैं समझता हूं, आपको इसमें इतना उतावला होने की जरूरत नहीं है । इस देश के अन्दर समय आया है, तो आपकी परीक्षा हो रही है और इस परीक्षा के समय में आपने किस प्रकार के काम किये हैं—यह हम देख रहे हैं । फिर कभी समय आये–भगवान न करे कि ऐसा समय आये–लेकिन फिर भी आपकी परीक्षा का समय आ जायगा तो देख लेंगे कि उस अर्से में आप क्या करेंगे ? आप आज कहते हैं कि देश के अन्दर चीजों के दाम बढे हैं, महंगाई बढी है, टैक्स बढे हैं—इससे गरीब लोगों पर बोझ पड रहा है और इस नाम पर आप आन्दोलन कर रहे हैं । लेकिन हम जानते हैं कि ये सारे आन्दोलन गरीब जनता के लिए नहीं किये जा रहे हैं बल्कि इसलिए किये जा रहे हैं कि गरीबों का ध्यान दूसरी ओर चला जाय और राष्ट्र पर जो संकट आने वाला है उससे वे विमुख हो जायं । आपकी जो नीयत है उसको सब लोग समझते हैं । आप टैक्स बढन के विरोधी नहीं हैं । आप चाहते हैं कि टैक्स जनता पर बढते जायं और जनता में असंतोष फैले । इसी असंतोष की स्थिति में आपने तैलंगाना में काम किया था; लेकिन वहां की सरकार ने ठंढा कर दिया और फिर आपने शांति का प्रस्ताव पास कर दिया । आप यह कहने का ढोंग करते हैं कि प्रजातंत्र में विश्वास है । कौनसी ऐसी कॉम्युनिस्ट पार्टी है जो प्रजातंत्र में विश्वास करती है ? आप पोलीटेरियट गवर्नमेन्ट में विश्वास रखते हैं, जिसमें लोगों को बोलने का अधिकार नहीं हो, जहां लोग आवाज नहीं उठा सकते और···

श्री कुमारानन्द: रूस में देख कर आये हैं ?

श्री भैरोंसिंह : मैं रूस में देख कर आया हूं । मैंने वहां मालकोव की हालत देखी है, मैंने वहां बुलगानिन की हालत देखी है, सब की हालत देखी है; अभी स्टालिन की हालत देखी है, जिसकी मूर्त्तियों को उठा उठा कर फेंक दिया गया है ।

मैं कहना चाहता हूं कि इस हालत में जो होम गार्ड्स विधेयक सदन के समक्ष आया है, इसके सम्बन्ध में मेरा कहने का मतलब केवल इतना सा ही था कि इस होम गार्ड में इस प्रकार के तत्व न घुस जायं कि जिस उद्देश्य के लिए सदन में यह विधेयक प्रस्तुत किया गया है वह असफल हो जाय । मैं समझता हूं कि गृह मंत्रीजी उत्तर देते हुए इन सब बातों को ध्यान में रखेंगे ।

श्री हरिराम चौहान (तिजारा) : ऐसा है कि जन संघ के माननीय नेता ने बार बार सवाल करते हुए कहा है, कॉम्युनिस्ट इन बातों का जवाब दें । क्योंकि उन्होंने हमारे ऊपर कुछ आरोप लगाये हैं जो निराधार हैं, इसलिए कुछ टाइम हमको मिलना चाहिए, ताकि उनकी बातों का जवाब दे सकें ।

श्री उपाध्यक्ष : आपको काफी समय मिल चुका है ।

(विराम)

सरकारी पक्ष ।

श्री हरिराम चौहान : आरोपों का जवाब देने के लिए समय दिया जाय ।

श्री श्योपतसिंह (हनुमानगढ) : इस तरह के वातावरण में बातें हुई हैं, इसलिए टाइम दिया जाय ।

श्री भैरोंसिंह (किशनपोल, जयपुर) : पहले चार्जेज इन्होंने ही लगाये थे ।

श्री हरिराम चौहान : तीस मिनट का टाइम इन्हें दिया गया है और इस तीस मिनट के टाइम में ये होम गार्ड पर कुछ नहीं बोले हैं। बीस मिनट कॉम्युनिस्ट पार्टी पर बोले । उनका जवाब देने के लिए टाइम देना चाहिए ।

श्री उपाध्यक्ष : Order Please !

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल (जौहरी बाजार, जयपुर) : जवाब ही देना है, तो चौपड पर मीटिंग में आप बोल लेना और मैं बोल लूंगा और फिर देख लेना कि क्या हालत है ?

श्री उपाध्यक्ष: Order Please !

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा (रायसिंहनगर) : चौपड पर क्या···

श्री श्योपतसिंह : चौपड पर क्या ? निपटना है तो यहीं निपट लो ।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : हनुमानगढ की जमींदारी मेरे पास नहीं है, ढाई सौ बीघा जमीन मेरे पास नहीं है ।

श्री उपाध्यक्ष : Order please ! परस्पर वार्तालाप न करें ।

(विराम)

सरकारी पक्ष ।

श्री मथुरादास माथुर (गृह मंत्री) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, होम गार्ड्स बिल सदन के समक्ष विचारार्थ प्रस्तुत है और होम गार्ड्स बिल पर चर्चा करते हुए जो माननीय सदस्यों ने सुझाव दिये हैं वे सुझाव विचारणीय हैं ।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, जो होम गार्ड्स बिल सदन के समक्ष पेश किया गया है और सदन की राय से जनता की राय के लिए भेजा गया और जो कुछ जनता की राय आई वह सदन के माननीय सदस्यों के सामने रख दी गई । एक आवाज से सब लोगों ने, चाहे वे सरकारी ऑफिसर हों, चाहे जनता के प्रतिनिधि हों, चाहे मुख्तलिफ व्यवसायों में काम करने वाले हों—सब लोगों ने एक आवाज से स्वीकार किया है कि इस तरह का कानून हमारे यहां होना चाहिए । होम गार्ड्स बिल जब सदन में रखा गया था, उसके बाद हमारे देश पर चीन का आक्रमण हो गया और उस वक्त हमको जन-रक्षा के लिए, सिविल डिफेन्स के लिए और जो कार्यक्रम उस वक्त जरूरी थे, उनको पूरा करने के लिए इस बिल को ऑर्डिनेन्स के रूप में जारी करना पडा ।

हवा महल क्षेत्र से आने वाले माननीय सदस्य से इस बहस की शुरूआत हुई । सदन का उन्होंने इस ओर ध्यान आकर्षित करने का प्रयत्न किया, और उन्होंने कविता, शायरी इस सदन के अन्दर पढी और उस शायरी के जरिये से उन्होंने इस बात को रखने

(श्री मथुरादास माथुर)

की कोशिश की कि विधान सभा में कानून की धाराओं को रख कर जिस प्रकार प्रजातांत्रिक कानून बनना चाहिए, उस विधि को अपना कर हमने जनता के सामने और राजस्थान में एक ऑर्डिनेन्स के रूप में इस काम को चालू किया है, जो उनकी नजर में हमको नहीं करना चाहिए। मुझे उनकी बात सुन कर खेद हुआ और दुःख भी हुआ क्योंकि वे माननीय सदस्य इस विचार धारा के हैं और यह चाहते हैं कि देश की रक्षा होनी चाहिए, देश की रक्षा के लिए जो कदम आपत्तिकालीन स्थिति में उठाने चाहिए, वे उठाने चाहिए। फिर भी उन्होंने यह बात कही तो मुझे दुःख हुआ। मैं निवेदन करना चाहता हूं कि संकटकालीन स्थिति होने की वजह से हमें यह कानून ऑर्डिनेन्स के रूप में लाना पडा और होम गार्ड्स खडी करनी पडी, उनकी ट्रेनिंग का कार्य-क्रम शुरू करना पडा। हमने जो कानून बनाया था, वह वही कानून था जो सदन के सामने रखा था और अब फिर मैं दुबारा बिल को लाकर उसको कानून बनाने के लिए सदन की राय जानने के लिए हाजिर हुआ हूं। उपाध्यक्ष महोदय, उसके लिए माननीय सदस्यों ने मुख्तलिफ राय रखी है। मैं माननीय सदस्यों से कह देना चाहता हूं कि हम इस बात से पूरी तरह परिचित हैं और हमने कानून के अन्दर जो मुद्दे रखे हैं, जो क्लॉजेज रखे हैं, वे करीब-करीब जितने मुद्दे यहां उठाये गये हैं उनको पूरा करते हैं।

हनुमानगढ़ से आने वाले माननीय सदस्य, रायसिंहनगर से आने वाले माननीय सदस्य ने जो बात कही कि हमें होम गार्ड्स को पोलिटिक्स से दूर रखना चाहिए। हमने इस बात की कोशिश की है और कोशिश करेंगे कि होम गार्ड्स के अन्दर पोलिटिक्स न घुसे। लेकिन पोलिटिक्स की परिभाषा क्या हो सकती है—यह बहुत बडा प्रश्न है। भारत में प्रजातंत्र में सारी आर्थिक नीतियों पर, सामाजिक नीतियों पर सब संस्थायें अपने विचार रखती हैं। लेकिन उसके बाद में देश की रक्षा के लिए ऐसी संस्थायें वॉलन्टियरिली ऑफर करके आवें तो उनके शामिल होने में क्यों बाधा होनी चाहिए, क्यों हम रुकावट करें? होम गार्ड्स में काम करने वाला व्यक्ति, जो देश की रक्षा के लिए, समाज सेवा के लिए, राष्ट्र की सेवा करने के लिए आता है और चुनाव लडना चाहता है, तो चुनाव लडने से कैसे रोका जायगा...

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा (रायसिंहनगर): मैंने यह बात नहीं कही थी।

श्री मथुरादास माथुर : इसलिए मैं निवेदन करना चाहता हूं। इसके अलावा और भी कई माननीय सदस्यों ने कहा है और अमेन्डमेन्ट भी आये हैं, मुझे खुशी है कि वे इस विचार के बिल्कुल नहीं है। लेकिन मैं आपकी इस विचारधारा से सहमत नहीं हूं इसलिए हमने प्रावधान रक्खा है कि होम गार्ड के सदस्य चुनाव लड सकते हैं। खास तौर से अलवर से आने वाले माननीय सदस्य ने जो अभी सदन में नहीं हैं, तरमीम रक्खी है, उन्होंने कहा है कि होम गार्ड का जिला परिषद् से लगाव होना चाहिये। मैं आपको बता देना चाहता हूं कि हमने पहले ही से जिला परिषद् से लगाव बना रक्खा है। विलेज वॉलन्टरी फोर्स पंचायतों के राज्यों का अंग

(श्री मथुरादास माथुर)

है, उसमें जिला परिषद् सुपरवाइज करेगी, इसलिए इसमें जिला परिषद् के साथ इसका लगाव पहले से ही कर रक्खा है। इस तरह से म्युनिसिपैलिटी के वॉलन्टरी फोर्स का कानून अभी हमने पास किया है। हमने जो होम गार्ड बिल सदन के सामने रखा है जो वह ऑर्डिनेन्स के रूप में है। होम गार्ड एक पुलिस का ऑग्जिलियरी फोर्स का अंग है। अमूमन इसके दो पैटर्न देश में चलते हैं, एक तो हिन्दुस्तान के बाहर और एक पैटर्न बम्बई में है। बम्बई वाला पुलिस का ऑग्जिलियरी फोर्स नहीं कहा जा सकता, वह तो १९४६ में, जब देश में पार्टीशन को लेकर हिन्दुस्तान में आतंक और हंगामा हुआ था, उस समय कुछ स्वयं सेवकों ने मिल कर शान्ति और सुरक्षा कार्य का किया था वही अब स्वयं सेवक दल हल्के हल्के होम गार्ड बन गया। उनका अलग दफ्तर है उनका अलग कमाण्ड है। इसलिए वह एक इन्डिपेन्डेन्ड ऑर्गेनाइजेशन है। बम्बई की उस समय की हालत को देखते हुए १९४६ में यह संस्था पैदा हुई। अब भारत सरकार ने जो हमें पैटर्न दिया है और जो दूसरी जगह चलता है, जिसको हमने एक्सपर्ट किया है, उसके अनुसार पंचायत समितियें अपना विलेज वालन्टियर फोर्स अलग तैयार करेंगी।

माननीय सदस्य ने यह भी बताया कि पुलिस की ज्यादा जरूरत नहीं होनी चाहिये और पुलिस का बजट ज्यादा नहीं बढना चाहिये। इस संबंध में मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि होम गार्ड कोई रेगुलर पुलिस फोर्स नहीं है। और जैसा कि मैंने बताया कि उनको यदि रॉइट वगैरह हों तो होम गार्ड उसको दबाने के लिये या मजदूरों का कोई आन्दोलन हो कहीं तो उसको कुचलने के लिए नहीं भेजा जायेगा। होम गार्ड तो देश में जिस एमर्जेन्सी के समय पुलिस दूसरे अन्य आवश्यक कामों में लगी रहेगी उस समय होम गार्ड का काम ट्रैफिक को कन्ट्रोल करना व rescue operations के काम जैसे आग लग जाने पर बुझाना, फायर ब्रिगेड आदि काम हैं वे अच्छी तरह से कार्य कर सकते हैं। उनमें इनकी सेवाएं काम में ली जायेंगी। इसीलिये इनको रेगुलर होम गार्ड की ट्रेनिंग देते हैं और इसके साथ साथ फायर ब्रिगेडियर की स्पेशल ट्रेनिंग भी देते हैं। हम अपने फेज्ड प्रोग्राम के अनुसार १४,००० वॉलन्टियर्स तैयार कर रहे हैं। अगले साल ६,००० खडे करने का प्रावधान रखा है।

(४.५३ म० प०)

(श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल, सभापति, पदासीन)

इसलिये मैं यह कहूंगा कि आज के दिन कोई भी काम करते हैं तो माननीय सदस्यों के लिए बन गया है कि वह काम पंचायतों द्वारा क्यों न कराया जाए ? मैं बताना चाहता हूं कि विलेज वॉलन्टियर फोर्स का लगाव जिला परिषद् के साथ है। मैं यह कहूंगा कि जिला परिषद् के साथ करें तो एक लाख से ज्यादा वॉलन्टियर्स उनके द्वारा होने चाहिये। अगर इतना भी पंचायतें और जिला परिषद् कर देती हैं तो मैं कहूंगा कि उन्होंने बहुत बडा काम किया है। म्यूनिसिपैलिटी करेगी। इससे बहुत बडा काम हो जायगा।

इसके साथ साथ, उपाध्यक्ष महोदय, मैं निवेदन करना चाहता हूं कि अगर किन्हीं

(श्री मथुरादास माथुर)

माननीय सदस्यों को अब भी यदि कोई भ्रम हो तो उन्हें उस भ्रम को निकाल देना चाहिये कि होम गार्ड से कोई राजनैतिक चीज हम करवाना चाहते हैं और न किसी को इसके लिए प्रोत्साहन ही देते हैं। मगर इस बात का ध्यान अवश्य रखा है कि इसमें कोई हंगामा न हो जाय इसलिए हमने कमाण्डेन्ट और डिप्टी कमाण्डेन्ट को कुछ अधिकार दिये हैं कि आवश्यकता पडने पर वे उन अधिकारों का उपयोग करना चाहें तो कर सकते हैं। मैं यह कहना चाहता हूं कि आप सभी लोग यह चाहते हैं कि वॉलन्टियर फोर्स बहुत डिसिप्लिन्ड होना चाहिये, जिस समय हुक्म दिया जावे कि फलां काम नहीं करता हूं, यह मेरा काम नहीं है; यह बात नहीं होनी चाहिये। इसलिए हमने इसमें सजा का प्रावधान रखा है। जो भर्ती होना चाहे अपनी मर्जी से भर्ती हो सकता है। लेकिन भर्ती होने के बाद उसको डिसिप्लेन रखना होगा। यदि कोई भी होम गार्ड किसी मन्दिर की हिफाजत के लिए या किसी और इन्तजाम के लिये खडा किया जाय और वह अपनी जिम्मेदारी को महसूस नहीं करते हुए उस स्थान को छोड कर, यह कह कर कि वह वॉलन्टियर है किसी दावत में चला जाय तो, उससे गांव में या देश में खतरा पैदा हो सकता है। इसलिये सजा का प्रावधान होना जरूरी है। इसलिए जो हमने पैटर्न मंजूर किया है और आपके सामने रखा है वह सोच-समझ कर रखा है और इसमें आपको किसी प्रकार की आपत्ति नहीं होनी चाहिये। आप खुद चाहेंगे कि ऐसा फोर्स जो समाज की रक्षा कर सके, वह वैल डिसिप्लिन्ड हो। इसलिये मैं जो समझता हूं कि जो यह आपत्ति उठाई गई है निराधार है। बाकी कोई खास मुद्दे नहीं उठाये गये हैं।

होम गार्ड बिल के साथ साथ, सभापति महोदय, जब हमने म्युनिसिपैलिटी के वॉलन्टियर फोर्स के कानून को डिस्कस किया तब हमने अन्तर्राष्ट्रीय पैमाने पर दुनिया के सभी देशों की राजनैतिक स्थिति पर विचार कर डाला।

इसमें जो सरगर्मी आपस में हुई वह तो निकली। मैं माननीय सदस्यों का बडा भारी आभारी हूं कि उन्होंने होम गार्ड को अच्छी तरह से डिस्कस किया। मैं सदन का ज्यादा समय नहीं लेना चाहता, लेकिन हमारे यहां होम गार्ड की संस्था आनी चाहिए।

इस बिल में अलवर से आने वाले माननीय सदस्य ने, जो इस समय सदन म नहीं हैं, कहा कि सरकार होम गार्ड बिल को लाकर ऐसी संस्था बनाने जा रही है जैसी पुराने जमाने में राजाओं के समय थी, वैसे दकियानूसी विचार इसमें फिर से ला रही है। समझ में नहीं आता कि वे कैसे विचार इसमें डालना चाहते हैं? वे कहते हैं कि इसमें सरकार का दखल नहीं हो और जिला परिषद् के साथ इसका लगाव हो। लेकिन वे इस बात को भूल जाते हैं कि जिस पर्पज़ से होम गार्ड को शुरू किया है वह न तो ब्राउन शर्ट है, न ब्लैक शर्ट है, न रैड शर्ट है। यह हमारा नेशनल ऑर्गेनाइजेशन है और इसमें हर एक व्यक्ति को आने का अधिकार है और देश की रक्षा के लिये तन-मन से सेवा करने के लिये कोई भी इसमें आ सकता है। अगर कोई डिसिप्लेन नहीं मानेगा और ठीक नहीं करेगा तो उसे अवश्य सजा दी जानी चाहिये। मैं उम्मीद करता हूं कि आप

(श्री मथुरादास माथुर)
और हम सब इस बात को स्वीकार करेंगे। मैं यह नहीं समझता कि इसे सिलेक्ट कमेटी में भेजा जाये। क्यों भेजा जाय? इसको तो हम अमल में ला रहे हैं। हमने ट्रेनिंग शुरू कर दी है। १८ जिलों में यह चालू हो गया है और २५,००० आबादी से ज्यादा के कस्बे हैं, उनमें भी हम इसको लागू करेंगे।

श्री सभापति : आप कितना समय और लेंगे?

श्री मथुरादास माथुर : समय तो कम ही लूंगा, लेकिन फिर भी समय बढाने के लिये तो मैं कहूंगा ही, क्योंकि इसको क्लाज बाई क्लाज लेना होगा।

अब रही बात कि कैप्टिन के रेंक वालों को कमाण्डेन्ट बनाया जावे। इसके लिए आप लिस्ट को देख लें। आपको मालूम होगा कि जो लेफ्टेनेन्ट कर्नल हैं उन्हीं को कमाण्डेन्ट बनाया है।

उदयपुर के बारे में आपने जिक्र किया कि वहां पर कैप्टिन नहीं है। वह कैप्टिन है, उसके पास सर्टिफिकेट है, इसलिये हमने उसके नीचे आदमियों को नहीं लिया है। कुछ मेजर हैं और कुछ कैप्टिन हैं। इसलिये यह जो प्रस्ताव रखा गया है कि इसको सिलेक्ट कमेटी में भेजा जाये इसको विद्ड्रा कर लेंगे।

श्री सभापति : टाइम हो चुका है, आप समय बढाना चाहते हैं?

श्री मथुरादास माथुर : मैं प्रस्ताव करता हूं कि इस सदन का समय जब तक कि बिल पारित न हो बढाया जावे।

श्री सभापति : क्या सदन की मंशा है कि सदन का समय बढाया जावे?

(स्वीकृत)

प्रश्न यह है कि होम गार्ड ......

श्री विजयसिंह झाला (नाथद्वारा): On a point of information, Sir, एक बात मैं पूछ लूं। पब्लिक ओपीनियन के लिये भेजा था, उस समय मेरे ख्याल से सबने सुझाव दिया कि कुछ न कुछ सुधार होना चाहिए। इससे साफ जाहिर होता है कि मौजूदा होम गार्ड के कानून से वे संतुष्ट नहीं थे। इसके लिये आप क्या कहते हैं?

(५.०० म० प०)

श्री मथुरादास माथुर (गृह मंत्री): जो पब्लिक ओपीनियन आई है उसमें कोई फण्डामेंटल मतभेद नहीं है। यही ओपीनियन आई कि कोई क्रिमिनल ऑफेंस में कमिटेड होगा तो उसको निकाल दिया जायगा। तो मैंने खुद ने तीन अमेंडमेंट्स मंजूर किये हैं और वे पब्लिक ओपीनियन को देख कर किये हैं, और कोई फण्डामेंटल डिफरेंस नहीं है।

श्री सभापति : प्रश्न यह है कि राजस्थान होम गार्ड्स विधेयक, १९६२ को अस्वीकृत किये जाने का प्रस्ताव (संकल्प) माननीय श्री दुर्गालाल बाढदार ने रखा है उसे स्वीकार किया जावे।

(अस्वीकृत)

प्रस्ताव (संकल्प) गिर गया।

(विराम)

प्रश्न यह है कि राजस्थान होम गार्ड्स विधेयक, १९६२ को प्रवर समिति के सुपुर्द

(श्री सभापति)
किये जाने के प्रस्ताव श्री योगेन्द्रनाथ हांडा और श्री विजयसिंह · · ·

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा (रायसिंहनगर) : I withdraw this.

श्री विजयसिंह झाला (नाथद्वारा) : I withdraw.

श्री सभापति : प्रश्न यह है कि माननीय गृह मंत्रीजी ने राजस्थान होम गार्ड्स विधेयक, १९६२ को विचारार्थ लिये जाने का प्रस्ताव रखा है उसे स्वीकार किया जाये ।

(स्वीकृत)

विधेयक विचारार्थ लिया गया ।

(विराम)

क्लॉज २ : गृह मंत्रीजी ।

श्री मथुरादास माथुर (गृह मंत्री) : क्लॉज २ में मेरे दो अमेंडमेंट्स हैं, वैसे ही ऑर्डिनेन्स में थे, पब्लिक ओपीनियन के आधार पर रखता हूं :

"1. In sub-clause(1),for the words "constitute for each of the areas otified under sub-section (3) of rection 1", substitute the words "by notification constitute for such 'areas of the State as it may consider expedient."

2. After sub-clause (3), add the following new sub-clause, namely :—

"(4) The State Government may also appoint a Deputy Commandant General of the Home Guards, who shall, subject to the supervision and control of the Commandant General, exercise the powers conferred on the Commandant General in such circumstanes as the Commandant General may specify".

माननीय चेयरमैन महोदय, ये दोनों साफ हैं और इनको एक्स्पलेन करने की आवश्यकता मैं नहीं समझता ।

श्री सभापति : श्री विजयसिंह झाला ।

श्री विजयसिंह झाला (नाथद्वारा) : सभापति महोदय, क्लॉज दो में मेरा छोटा सा अमेंडमेंट है और गृह मंत्रीजी ने स्वीकार कर लिया है कि कैप्टिन से नीचे का कोई कमाण्डेन्ट मुकर्रर नहीं होगा तो क्यों नहीं इस अमेंडमेन्ट को स्वीकार कर लिया जाता ? एक्ट के अन्दर यह प्रावधान होगा तो उस आधार पर आगे चैलेंज कर सकते हैं । अगर यह प्रावधान एक्ट में नहीं रखा गया और रिटायर्ड मेजर या कैप्टिन के नीचे के आदमी को रखेंगे तो चैलेंज कैसे किया जायगा ? हो सकता है कि अभी इससे नीचे के रेंक के किसी आदमी को मुकर्रर न करें पर आगे जाकर यदि कर भी दें तो जब तक कानून में इस प्रकार का प्रावधान नहीं होगा किस तरह इसे चैलेंज किया जा सकेगा ? तो यह प्रावधान तो कानून में होना ही चाहिये ।

इसके साथ ही साथ कमाण्डेन्ट जनरल के बारे में भी है । अभी तक एस. पी. को अधिकार दिये हैं पर इसके बाद यदि दूसरों को देते हैं, जिसको कि ट्रेनिंग वगैरह का अनुभव नहीं है तो इन सारी बातों को चैलेंज कैसे किया जा सकेगा ? जब आपकी मंशा ऐसी है तो एक्ट में इस प्रकार का प्रावधान होना जरूरी है ।

श्री मथुरादास माथुर (गृह मंत्री) : चेयरमैन महोदय, मुझे खेद है कि इस तरमीम को मैं स्वीकार नहीं कर सकता । कमाण्डेन्ट जनरल एक्स आफिशियो एस. पी. होता है, डिप्टी कमाण्डेन्ट, सैकन्ड कमाण्डेन्ट के लिये इस बिल में नहीं है, रूल्स में है, मेजर और कैप्टिन के रैंक का लेते हैं । हो सकता है कि किसी समय ये नहीं भी मिलें उस वक्त एस. पी., डी. वाई. एस. पी. से प्रोमोशन देकर रख सकते हैं ।

श्री विजयसिंह झाला (नाथद्वारा) : वैसे रखना चाहते हैं तो एक्ट में प्रावधान ही रख लें ताकि यदि कभी रास्ते चलते को ही रख लें तो चैलेंज तो किया जा सकता है वर्ना इसको चैलेंज कैसे कर सकते हैं ?

श्री मथुरादास माथुर : कभी भी आफिसर की क्वालिफिकेशन क्या होगी, यह एक्ट में नहीं आता है । हमने १५ मुकर्रर किये हैं उनमें मेजर और कैप्टिन हैं, दो लेफ्टिनेन्ट कर्नल हैं । कभी न मिलें तो क्या करें ?

श्री अब्दुल जब्बार (निम्बाहेड़ा) : नहीं मिलें तो, आनरेरी प्रोमोशन दे सकते हैं ।

श्री मथुरादास माथुर : आनरेरी प्रोमोशन देना हमारे अधिकार की बात नहीं है ।

श्री सभापति : प्रश्न यह है कि क्लाज २ में गृह मंत्री जी ने जो संशोधन रखे हैं उन्हें स्वीकार किया जाये ।

(स्वीकृत)

संशोधन स्वीकार किये गये ।

(विराम)

प्रश्न यह है कि क्लाज दो में जो संशोधन श्री विजयसिंह झाला ने रखा है उसे स्वीकार किया जाये ।

(अस्वीकृत)

संशोधन गिर गया ।

(विराम)

प्रश्न यह है कि क्लाज २, संशोधित रूप में, विधेयक का अंग बने ।

(स्वीकृत)

क्लाज २, संशोधित रूप में, विधेयक में अंग रूप से जोडा गया ।

(विराम)

क्लाज ३, श्री रामानन्द अग्रवाल ।

(अनुपस्थित)

क्लाज ४, श्री रामानन्द अग्रवाल ।

(अनुपस्थित)

क्लाज ५, Shri Jhala, you don't want to move your amendment ?

(नाकारात्मक उत्तर प्राप्त होने के पश्चात्)

Shri Ramanand Agarwal.

(अनुपस्थित)

क्लाज ६, श्री रामानन्द अग्रवाल ।

(अनुपस्थित)

क्लाज ७, विजयसिंह झाला

(नाकारात्मक उत्तर प्राप्त होने के पश्चात्)

Don't want to move.

Shri Ramanand Agrawal.

(अनुपस्थित)

प्रश्न यह है कि खण्ड ३, ४, ५, ६ और ७

(श्री सभापति)

विधेयक के अंग बनें
(स्वीकृत)

खण्ड ३ से ७ विधेयक में अंग रूप से जोड़े गये ।

(विराम)
क्लॉज ८, : गृह मंत्री जी ।

श्री मथुरादास माथुर (गृह मंत्री) : Mr. Chairman, Sir, I move, "That in clause 8, for the words 'on a criminal charge' substitute the words 'for the commission of an offence involving moral turpiuted or an offence against the Act."

मैंने इसे एक्सप्लेन कर दिया है । इसे और एक्सपलेन करने की आवश्यकता नहीं ।

श्री सभापति : प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ श्री विजयसिंह झाला ।

[खण्ड ८ व खण्ड ९ के संशोधन इस प्रकार हैं:]

श्री मथुरादास माथुर (गृह मंत्री) In clause 8, for the words "on a criminal charge", substitute the words "for the commission of an offence involving moral turpitude or an offence against the Act."

श्री विजयसिंह झाला (नाथद्वारा) :

Sub-clause (1).—Delete the words "or fine, to an amount not exceeding fifty rupees".

Sub-clause (3).—Delete the words "or fining".

Sub-clause (4).—Substitute the Words "the Session Judge" for the expression "the State Government" occurring twice.

Sub-clause (7)-Delete the sub clause.

खंड ९

श्री विजयसिंह झाला (नाथद्वारा) : *Sub-clause* (1) For the Words 'for a term which may extend to these months or with fine which may extend to two hundred and fifty rupees or with both" the following words shall be substituted :—

"for a term of seven days or with fine which may extend to one hundred and fity rupees or with both".

Sub-clause (2).—For the words "with imprisonment for a term which may extend to one month or with fine which may extend to one hundred rupees or with both" the following words shall be substituted :—

"with fine which may extend to one hundred and fifty rupees.".

श्री विजयसिंह झाला (नाथद्वारा) : खण्ड ८ और ९ पर साथ ही अमेंमेंट रख देता हूं; क्योंकि दोनों परस्पर सम्बन्धित हैं । कलॉज ८ के माफिक जो अपराध करेगा उसको सजा क्लॉज़ ९ के आधार पर देंगे, पैनाल्टी होगी और क्लॉज़ ९ में साफ नहीं किया है कि किस कोर्ट को इसका अधिकार होगा । गृह मंत्रीजी इसे एक्सपलेन कर दें कि किस कोर्ट को ट्रायल करने का अधिकार होगा, इसके बाद मोशन मूव करें ।

श्री मथुरादास माथुर (गृह मंत्री): क्लॉज९

"If any member of the Home Guards, on being called out under section 4, without reasonable excuse, neglects or refuses to obey such order, or to discharge his functions as a member of the Home Guards, or to obey any lawful order as direction given to him for the performance of his duties, he shall, on conviction, be punishable with simple imprisonment for a term which may extend to three months or with fine which may extenced to two hundred an fifty rupees or with both."

Page No 93

(श्री मथुरादास माथुर)
इसमें आप क्या चाहते हैं, किस कोर्ट में ?

श्री विजयसिंह झाला (नाथद्वारा) : ट्रायल कौन कर सकेगा, ट्रायल करने का अधिकार किसको दिया है ?

श्री मथुरादास माथुर : ट्रायल एनी मजिस्ट्रेट (any magistrate) कर सकता है। जब किसी को स्पेसिफाई नहीं किया है तो कोई भी मजिस्ट्रेट कर सकता। Then it is triable by any magistrate.

श्री विजयसिंह झाला : जुडिशियल सेपरेशन की बात करते हैं तो मुंसिफ मजिस्ट्रेट और फर्स्ट क्लास मजिस्ट्रेट रख देंगे तो मैं अपना मोशन मूव नहीं करूंगा।

श्री सभापति : मुंसिफ मजिस्ट्रेट कई जगह नहीं हैं।

श्री मथुरादास माथुर : I regret, Sir.

अगर मुंसिफ मजिस्ट्रेट करें तो कई जगह मुंसिफ मजिस्ट्रेट नहीं हैं, कई जगह एस. डी. एम. ही हैं, इसलिये 'एनी मजिस्ट्रेट' के लिये रखा है। होम गार्ड्स तो गांव गांव में होंगी, उनको किसी प्रकार की दिक्कत नहीं है, इसलिये 'एनी मजिस्ट्रेट, का रखा है।

श्री विजयसिंह झाला : क्लॉज ८ में मेरा यह संशोधन है कि जो फाइन करने का प्रावधान है उसको हटा दिया जाय। कमाण्डेन्ट को अधिकार दिया गया है। डिस्मिसल किया जा सकता है, हटा दिया जा सकता है, जो स्वेच्छा से कार्य करता है किसी मेम्बर पर फाइन करना उचित नहीं होगा। 'फाइन' शब्द हटा दिया जाय।

श्री सभापति : प्रश्न यह है कि क्लॉज ८ पर जो संशोधन प्रस्ताव श्री विजयसिंह झाला ने प्रस्तुत किया है उसको स्वीकार किया जाय ?

(अस्वीकृत)

संशोधन प्रस्ताव गिर गया।

(विराम)

प्रश्न यह है कि क्लाज ८ पर जो संशोधन प्रस्ताव माननीय गृह मंत्रीजी ने रखा है उसको स्वीकार किया जाय ?

(स्वीकृत)

संशोधन स्वीकार किया गया।

(विराम)

प्रश्न यह है कि, संशोधित रूप में, क्लाज ८ विधेयक का अंग बने।

(स्वीकृत)

क्लाज ८, संशोधित रूप में, विधेयक में अंग रूप से जोडा गया।

(विराम)

श्री विजयसिंह झाला (नाथद्वारा) : क्लाज ९ में संशोधन है कि १५०) फाइन कर दिया जाय।

श्री सभापति : स्वीकार करते हैं ?

श्री मथुरादास माथुर (गृह मंत्री) : जी नहीं।

श्री सभापति : प्रश्न यह है कि जो संशोधन क्लाज ९ में श्री विजयसिंह झाला ने रखा है उसको स्वीकार किया जाय ?

(स्वीकृत)

(श्री सभापति)

संशोधन गिर गया ।

(विराम)

प्रश्न यह है कि खण्ड १० और ११ विधेयक के अंग बनें ।

(स्वीकृत)

खण्ड १० और ११ विधेयक में अंग रूप से जोड़े गये ।

(विराम)

खण्ड १२, श्री विजयसिंह झाला ।

श्री विजयसिंह झाला (नाथद्वारा) : [संशोधन इस प्रकार है—–

"*Sub-clause* (1): Insert the words "other than the Commandant General, Deputy Commandant General and Commandant" between the words "a member of the Home Guards" and the words "shall not".

"*Sub-clause* (2): Insert the words "other than the Commndant General, Deputy Commandant General and Commendant" between the words "a member of the Home Guards" and the words "shall not".]

कमाण्डेन्ट को राजनैतिक पार्टी से दूर रहना चाहिये। कमाण्डेन्ट होने के नाते यदि चुनाव लडेगा तो होम गार्ड में राजनीति प्रवेश होगी। सदस्यों को चुनाव लडने का अधिकार दिया जाय, लेकिन कमाण्डेन्ट को अलग रखन चाहिये । मैं आशा करता हूं कि इसको गृह मंत्री जी स्वीकार करेंगे ।

श्री मथुरादास माथुर (गृह मंत्री) : सभापति महोदय, कमाण्डेन्ट जनरल और डिप्टी कमाण्डेन्ट जनरल सेलेरीड होंगे तो चुनाव नहीं लडेंगे और अन-सेलेरीड होंगे तो उनको कैसे रोक सकते हैं। मैं आपका संशोधन स्वीकार करने के लिये तैयार नहीं हूं ।

श्री सभापति : It is the Parliament only which can disqualify persons from contesting an election. We can not do it.

श्री विजयसिंह झाला (नाथद्वारा) : कमाण्डेन्ट को तो राजनीति से दूर रखें । कांग्रेस या जन संघ का चुनाव लड़े तो यह प्रवृत्ति ठीक नहीं रहेगी ।

श्री सभापति : This House cannot restrict anybody from contesting elections. So far as election to this House and the Parliament are concerned, it is regulated by an act of the Parliament.

श्री विजयसिंह झाला : जब सेलेरी मिलेगी तो इनको रखें ही क्यों ?

श्री सभापति : Then he is automatically disqualified.

श्री विजयसिंह झाला : कमाण्डेन्ट को आवश्यक रूप से सेलेरी मिलती है ।

श्री मथुरादास माथुर : We have said "a member of the Home Guards". The term "member of the Home Guards" does not include Commandant and Dy. Commandant. They are automatically disqualified.

श्री सभापति : That is true.

प्रश्न यह है कि क्लॉज़ १२ में जो संशोधन रखा है उसको स्वीकार·······

श्री विजयसिंह झाला (नाथद्वारा) I want to withdraw.

Page No 95

श्री सभापति : प्रश्न यह है कि क्लॉज, १२ में जो संशोधन प्रस्ताव श्री विजयसिंह झाला ने रखा है उसको विद्ड्रा करने की आज्ञा प्रदान की जाय ?

(स्वीकृत)

आज्ञा प्रदान की गई ।

श्री विजयसिंह झाला (नाथद्वारा) : I withdraw my amendment.

श्री सभापति : प्रश्न यह है कि खण्ड १२ विधेयक का अंग बने ।

(स्वीकृत)

खण्ड १२ विधेयक में अंग रूप से जोडा गया ।

(विराम)

खण्ड १३, श्री मथुरादास माथुर ।

श्री मथुरादास माथुर (गृह मंत्री) : I move the amendment ."—Re-number the existing clause 13 as sub-clause (1) thereof and after sub-clause (1) so re-numbered, add the following new sub-clauses, namely.—

(2) The Rajasthan Home Guards Ordinance, 1962 (Ordinance 2 of 1962) and the Rajasthan Home Guards (Amendment) Ordinance, 1962 (Ordinance 3 of 1962) are hereby repealed.

(3) Notwithstanding such repeal, all rules made, anything done or any action taken in exercise of the powers conferred by or under the said Ordinance shall be deemed to have been made, done or taken in exercise of the powers conferred by or under this Act. "

श्री सभापति : प्रश्न यह है कि क्लॉज १३ में जो संशोधन प्रस्ताव माननीय गृह मंत्रीजी ने रखा है उसको स्वीकार किया जाय ?

(स्वीकृत)

संशोधन स्वीकार किया गया ।

(विराम)

प्रश्न यह है कि खण्ड १३, संशोधित रूप में, विधेयक का अंग बने ।

(स्वीकृत)

क्लॉज १३, संशोधित रूप में, विधेयक में अंग रूप से जोडा गया ।

(विराम)

क्लॉज ?

श्री मथुरादास माथुर (गृह मंत्री) : For sub-clause (3), clause 1, substitute the following sub-clause, namely.—" (3) It shall come into force at once".

श्री सभापति : प्रश्न यह है कि क्लाज १ में जो संशोधन प्रस्ताव माननीय गृह मंत्रीजी ने रखा है उसको स्वीकार किया जाय ?

(स्वीकृत)

संशोधन स्वीकार किया गया ।

(विराम)

प्रश्न यह है कि क्लॉज १, संशोधित रूप में, विधेयक का अंग बने ।

(स्वीकृत)

क्लॉज १, संशोधित रूप में, विधेयक में अंग रूप से जोडा गया ।

(विराम)

क्लॉज ९ रह गया था ।

(विराम)

प्रश्न यह है कि क्लॉज ९ विधेयक का अंग बने ।

(स्वीकृत)

(श्री सभापति)

क्लाज ९ विधेयक में अंग रूप से जोड़ा गया ।

(विराम)

प्रीएम्बल, टाइटल इत्यादि ।

(विराम)

प्रश्न यह है कि प्रीएम्बल, टाइटल इत्यादि विधेयक के अंग बनें ।

श्री विजयसिंह झाला (नाथद्वारा) : हिन्दी में नाम रखें 'गृह रक्षक दल' तो राष्ट्र-भाषा के लिए अच्छा होगा । यदि नहीं रखते हैं तो राष्ट्र भाषा के लिये अपमानजनक बात होगी ।

श्री मथुरादास माथुर (गृह मंत्री) : दोनों लफ्जों का हिन्दीकरण कर लिया है । 'पुलिस' है तो कोई हिन्दी में नहीं है ।

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा (रायसिंहनगर) : 'होम गार्ड्स' चालू सा नाम है ।

श्री सभापति : प्रश्न यह है कि प्रीएम्बल....

Hon'ble members not to talk I am on my legs.

प्रश्न यह है कि प्रीएम्बल, टाइटल इत्यादि विधेयक के अंग बनें ।

(स्वीकृत)

प्रीएम्बल, टाइटल इत्यादि विधेयक में अंग रूप से जोड़े गये ।

(विराम)

प्रश्न यह है कि होम गार्ड्स विधेयक, १९६२ पारित किया जाय ।

(स्वीकृत)

विधेयक पारित किया गया ।

विधेयकों को विचारार्थ लेने सम्बन्धी कार्य-क्रम में परिवर्तन

सदन की कार्यवाही स्थगित होने से पूर्व में माननीय सदस्यों को सूचित करना चाहता हूं कि राजस्थान लैंड रेवेन्यू सेस बिल दिनांक ४ अप्रेल को विचारार्थ लिया जाने वाला था अब वह न लिया जाकर उसकी एवज में राजस्थान लैंड रेवेन्यू सरचार्ज बिल विचारार्थ लिया जावेगा ।

सदन की कार्यवाही दिनांक ३ अप्रेल, १९६३ के प्रातः ११ बजे तक के लिए स्थगित की जाती है ।

(तदुनन्तर सदन की कार्यवाही म. प. ५.१८ बजे, दिनांक ३ अप्रेल, १९६३ के ११ बजे तक के लिये स्थगित हुई)

संक्षिप्त विवरण

(शनिवार दिनांक ३० मार्च, १९६३)

स्कम्भ

सदन की मेज पर रखे गए पत्र ५५९३

श्री मथुरादास माथुर, गृह मंत्री ने होम 'ए' विभाग की अधिसूचना संख्या एफ. ७ (५) होम (ए. जी. आर. I) ६२, दिनांक २६ दिसम्बर, १९६२ को जिसके द्वारा राजस्थान कन्डीशन्स ऑफ डिटेन्शन (डिफेन्स ऑफ इन्डिया) ऑर्डर, १९६२ [Rajasthan Conditions of Detention (Defence of India) Order, 1962] प्रकाशित किया गया है, सदन की मेज पर रखा ।

अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय पर ध्यान दिलाना ५५९४

प्रक्रिया तथा कार्य संचालन सम्बन्धी नियमों के नियम १३१ के अन्तर्गत श्री विजयसिंह झाला, सदस्य, विधान सभा ने ग्राम कोडू-कोटा जिला भीलवाडा में चार व्यक्तियों की हत्या से उत्पन्न स्थिति की ओर गृह मंत्री का ध्यान आकर्षित किया ।

गृह मंत्री, श्री मथुरादास माथुर ने इस सम्बन्ध में एक संक्षिप्त वक्तव्य दिया ।

विधायी कार्य-विचारार्थ लिए गए विधेयक ५६०१

(१) राजस्थान सेल्स आफ मोटर स्प्रिट टेक्सेशन (संशोधन) विधेयक, १९६३ ५६०१

श्री बालकृष्ण कौल, वित्त मंत्री, द्वारा प्रस्तुत यह प्रस्ताव कि उपरोक्त विधेयक को विचारार्थ लिया जाय, सदन द्वारा स्वीकार किया गया ।

विधेयक सदन द्वारा पारित भी किया गया।

स्कम्भ

(२) राजस्थान नगरपालिका (संशोधन) विधेयक, १९६३ ५६०२

श्री मथुरादास माथुर, गृह मंत्री के इस प्रस्ताव पर कि उपरोक्त विधेयक को विचारार्थ लिया जाय, श्री योगेन्द्रनाथ हांडा एवं श्री विजयसिंह झाला, सदस्य, विधान सभा, ने विधेयक को क्रमशः जनमत जानने हेतु प्रसारित एवं प्रवर समिति के सुपुर्द किये जाने के संशोधन प्रस्ताव प्रस्तुत किये ।

गृह मंत्री के उत्तर के पश्चात् संशोधन प्रस्ताव अस्वीकार किये जाकर विधेयक को विचारार्थ लिये जाने का प्रस्ताव स्वीकार किया गया ।

विधेयक सदन द्वारा पारित भी किया गया ।

(३) राजस्थान होम गार्ड्स विधेयक १९६२ ५७०९

श्री दुर्गालाल बाढदार, सदस्य विधान सभा, ने निम्नांकित परिनियता (Statutory) संकल्प प्रस्तुत किया :—

"सदन की यह राय है कि राजस्थान होम गार्ड्स अध्यादेश, १९६२ (अध्यादेश संख्या २ सन् १९६२) जो दिनांक ३-११-१९६२ को प्रख्यापित किया गया है तथा राजस्थान होम गार्ड्स (संशोधन) अध्यादेश, १९६२ (अध्यादेश संख्या ३ सन् १९६२) जो दिनांक २४-११-१९६२ को प्रख्यापित किया गया है, अस्वीकृत किया जाय ।"

श्री मथुरादास माथुर, गृह मंत्री ने विधेयक को विचारार्थ लिये जाने का प्रस्ताव एवं श्री विजयसिंह झाला ने विधेयक को

एक प्रवर समिति को सुपुर्द किये जाने का संशोधन प्रस्ताव प्रस्तुत किया।

वाद-विवाद के पश्चात् श्री बाढदार द्वारा प्रस्तुत संकल्प अस्वीकार किया गया एवं श्री झाला द्वारा प्रस्तुत संशोधन प्रस्ताव वापस ले लिया गया।

तत्पश्चात् विधेयक को विचारार्थ लिये जाने का प्रस्ताव सदन द्वारा स्वीकार किया गया।

खण्डशः विचार के पश्चात् विधेयक संशोधित रूप में पारित भी किया गया।

सदन की बैठक ५ बजकर १८ मिनट पर बुधवार, दिनांक ३ अप्रेल, १९६३ को प्रातः ११ बजे तक के लिये स्थगित की गई।

बुधवार, दिनांक ३ अप्रेल, १९६३ की कार्य-सूची

(१) राजस्थान साहूकार विधेयक, १९६३ (पुरःस्थापन)

(२) राजस्थान वित्त विधेयक, १९६३ (विचार-विमर्श)

शुद्धि-पत्र

(मंगलवार, दिनांक ३० मार्च, १९६३)

स्कम्भ संख्या १	पंक्ति संख्या २	अशुद्धि ३	शुद्धि ४
५५९४	८	**श्री विजयसिंह झाला**	**श्री विजयसिंह झाला**
५५९७	२०	**श्री मुरली र व्यास**	**श्री मुरलीधर व्यास**
५५९८	शीर्षक	ध्यान दिलान	ध्यान दिलाने
५६०३	१२	मेरा निवदन	मेरा निवेदन
५६०४	अन्तिम	के लिये सरका	के लिये सरकार
५६०५	अन्तिम से २	इसके लिबे	इसके लिये
५६०६	अन्तिम	नेकर	करने
५६०८	अन्तिम से ५	उससे बचन के	उससे बचने के
५६१३	,, ,,२	होम गार्डस	होम गार्ड् स
५६१४	११	नसिंग के	नर्सिंग के
५६१८	अन्तिम से ३	गार्डस्	गार्ड् स
५६२३	शीर्षक	३०-मार्च, १९६३-	-३० मार्च, १९६३-
५६३७	१०	आग बढ़ना	आगे बढ़ना
५६३९	६-७	एमर्जेन्सी	एमर्जेन्सी
५६४८	शीर्षक	विधयक, १९६३	विधेयक, १९६३
५६५१	६	को	का
५६५२	२३	म,	में,
५६५४	२२	म यह	में यह
५६५७	११	इसम	इसमें
५६५८	अन्तिम से ७	**श्री गिरधारीला व्यास**	**श्री गिरधारीलाल व्यास**
५६६१	२०	है	हैं
५६६४	२०	जल्जी	जल्दी
,,	२३	**अब्दुल जब्बार**	**श्री अब्दुल जब्बार**
,,	अन्तिम से ४	मुत्तसर	मुख्तसर
५६६७	१	हमारे	हमारा
५६६९	१	(समय-समाप्ति	(समय-समाप्ति
५६७३	अन्तिम से ३	ज्याद	ज्यादा
५६७४	२१	करना चाहिय कि	करना चाहिये कि
५६७६	६	चालीस साल का	चालीस लाख का
५६७९	११-१२	एमर्जन्सी	एमर्जेन्सी
,,	२१	कानन	कानून
,,	२२ व अन्तिम	क	के
५६८०	४	इसलिये मे	इसलिये मैं
५६८३	१४	रह र	रह रहे
,,	अन्तिम से २ व अन्तिम	कांग्रस	कांग्रेस
५६८९	अन्तिम से ७	आर्डिनेन्स	ऑर्डिनेन्स
५६९१	शीर्ष	(श्री मथरादास माथुर)	(श्री मथुरादास माथुर)
,,	अन्तिम से २	एक्ट्रेट	एट्रेक्ट

१	२	३	४
५६६३	८	दत्त	दल
५६६४	२७	डिस्कसन	डिस्कशन
५६६७	११	छोड: दीजिये	छोड़ दीजिये
,,	२४	उपा ध्यक्षम होदय,	उपाध्यक्ष महोद य
५६६८	७	रिजील्यूशन	रिजोल्यूशन
,,	अन्तिम से २	श्री शतीसचन्द्र अग्रवाल	श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल
५६६९	२२	श्री योगेन्द्रनाथ हाडा	श्री योगेन्द्रनाथ हांडा
५७०२	शीर्षक	(सशोधन)	(संशोधन)
५७०४	१८	plese	please
५७०५	अन्तिम	गलाम	गुलाम
५७०६	२५	जा अलवर	जो अलवर
५७०९	अन्तिम से ३	अध्यादेश, १९६३	अध्यादेश, १९६२
५७१७	,, ५	मॅ	में
५७१८	१०	ओर	और
५७२१	२३	चहिए	चाहिए
५७२३	६	एसे	ऐसे
५७२६	१	मं काम	में काम
५७२८	२	जुमांन है	जुमाना है
५७३१	शीर्षक	राजस्थान होम गार्ड स	राजस्थान होम गार्ड्स
,,	शीर्ष	(योगेन्द्रनाथ हांडा)	(श्री योगेन्द्रनाथ हांडा)
,,	अन्तिम से ८	एग्न मॅल	एब्नॉर्मल
५७३२	अन्तिम से ६	मॅनेंज	बेंचेज
५७३३	५-६	चाहत ह	चाहते हैं
५७३४	२५	जो नब	जो जब
५७३६	१४, १९ व २९	सलेक्ट कमेटी	सिलेक्ट कमेटी
५७३७	१	एमसी नहीं रही इसर्जेलिये	एमर्जेंसी नहीं रही इसलिये
५७३९	१५	की हालात	की हालत
५७४१	१०	कुछ ऐमी	कुछ ऐसी
५७४२	८	हिदुस्तान	हिन्दुस्तान
५७४७	२१	श्री योगेद्रनाथ हांडा	श्री योगेन्द्रनाथ हांडा
५७५०	२५	अपने कहा	आपने कहा
५७५२	२२	मॅन एक	मैंने एक
५७५४	८	स्थित	स्थिति
५७५५	१७	कॉन्पत्रेन्स	कॉन्फ्रेन्स
५७५९	अन्तिम से ७	बढन के	बढ़ने के
५७७०	अन्तिम	सुपुद	सुपुर्द
५७७१	२१	otified	noitfied
,,	२२	nection	section
,,	२३	s 'by	'by
५७७३	शीर्षक	—माच ३०, १९६३—	—३० मार्च, १९६३—
५७७५	८	श्री मथुरादस माथुर	श्री मथुरादास माथुर
५७७६	शीर्षक	विधेयक, १९६३	विधेयक, १९६२
,,	२५	एक्सपलेन	एक्सप्लेन